खण्ड-254, अंक-7
बुधवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1886
(3 मार्च, 1965 ई0)

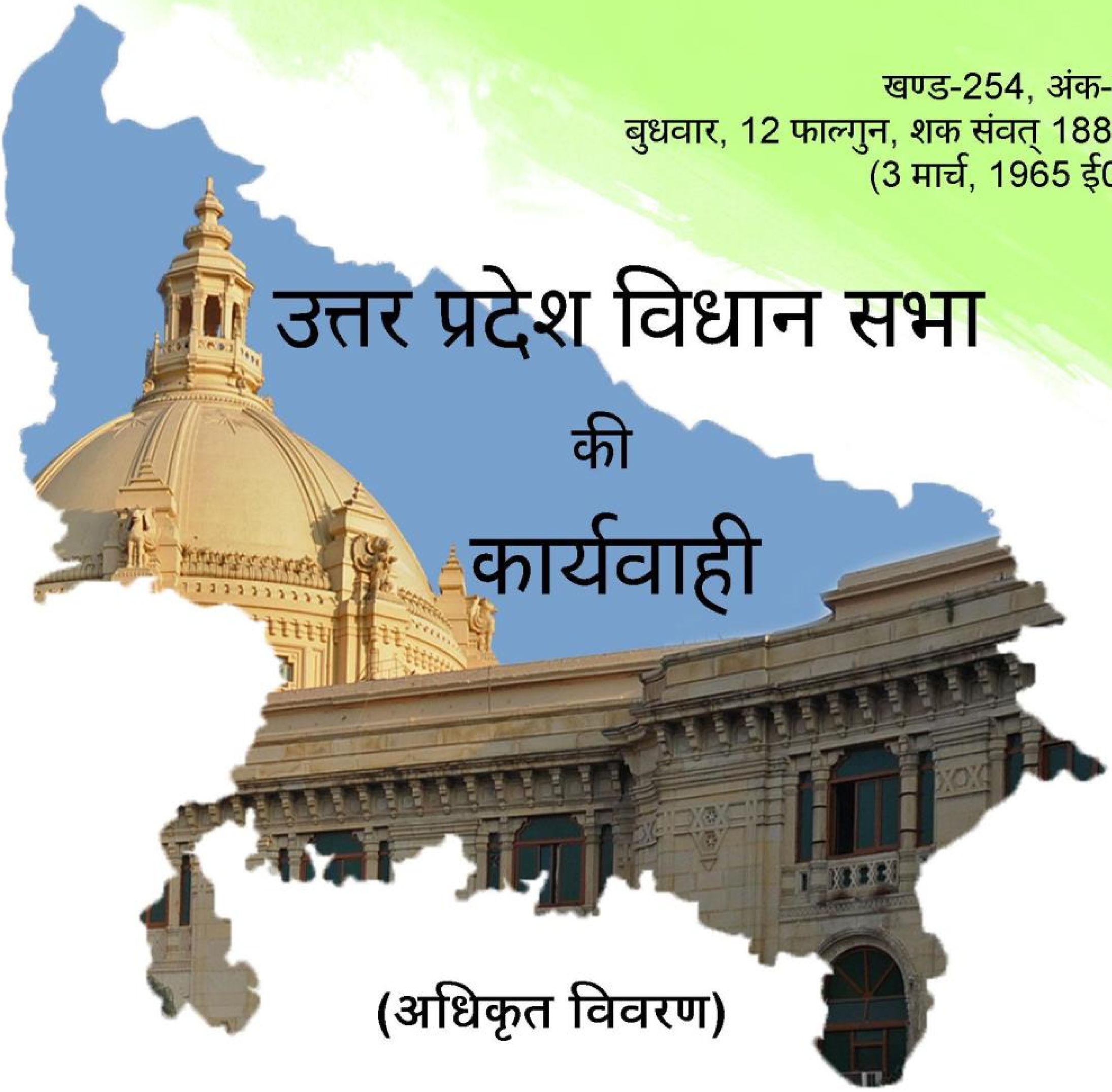

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 254 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६०३–६०७
प्रश्नोत्तर	६०७–६३६
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति	६३६–६३७
मंत्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवादार्थ समय-निर्धारण ..	६३७–६४७
प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार करने के कथित निश्चय के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	६४७–६४८
सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकार की आलोचना करने के संबंध में मुख्य सचिव के परिपत्र के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (वक्तव्य के लिये स्वीकृत)	६४८–६४९
प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार करने के कथित निश्चय के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं	६४९–६५१
विविध विषयों के सम्बन्ध में जानकारी	६५१–६५२
१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां तथा अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण (स्वीकृत)	६५२–७०८
नत्थियां	७०९–७१३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६९

अक्षयबरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट , श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खांन, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषण शरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भोखालाल, श्री
भोमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रूकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री

सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जायसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--शिक्षा उप-मंत्री डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ३ मार्च, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

ग्राम सेवकों तथा सरकारी परिवेक्षकों की पदोन्नति

*१--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के पद पर ग्राम सेवकों तथा सहकारी परिवेक्षकों की पदोन्नति में क्रमशः २:१ का अनुपात राज्य के किन-किन जिलों में अपनाया जा रहा है ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

सहायक विकास अधिकारी सहकारिता तथा कोआपरेटिव इन्सपेक्टरों, ग्रुप २ के पद पर ग्राम सेवकों तथा सहकारी परिवेक्षकों की पदोन्नति उनकी संख्या के अनुपात में करने के आदेशों के अनुसार राज्य के ८ जिलों को छोड़कर अन्य सब जिलों में पदोन्नति करने की कार्यवाही की जा रही है । इन शेष ८ जिलों के सम्बन्धित अधिकारियों को भी ग्राम सेवकों की पदोन्नति करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी उन ८ जिलों के नाम बतायेंगे ? उन ८ जिलों में क्यों कार्यवाही नहीं हुई ? कार्यवाही न होने के क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—

उन ८ जिलों के नाम—देहरादून, बिजनौर, पीलीभीत, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, रायबरेली तथा इलाहाबाद हैं । कार्यवाही न होने का मुख्य कारण यह है कि सन् १९६१ में इस प्रकार के आदेश जारी कर दिये गये थे कि कोआपरेटिव परिवेक्षकों और ग्रामसेवकों का अनुपात इस प्रकार निकाला जाय कि जिनकी सर्विस तीन साल पूरी हो चुकी है, ऐसे ग्राम सेवकों की संख्या को तीन से भाग दिया जाय । उस अनुपात से जितने आ सकते हैं, उतने ले लिये जायं । तमाम सूबे का अनुपात निकालने में दिक्कत होती है, इसलिये इन जिलों में ठीक हिसाब नहीं लग पाया है, वैसे सब कार्यवाही नियमानुसार हो रही है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब से ये आदेश जारी हुये तब से इन ८ जिलों में भी तरक्की देकर व्यक्ति रक्खे गये थे ? उन लोगों को कहीं से लाकर रक्खा गया था ?

श्री बनारसीदास—

मैंने यह निवेदन किया कि इन ८ जिलों को ही रक्खा गया क्योंकि जगह बहुत कम थी । जहां तक जगहों का सवाल है, हमारे पास सूचना नहीं है कि कितने व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई । इसके अतिरिक्त और भी तब्दीलियां हुई हैं । तीन साल की सेवा के बजाय, गवर्नमेन्ट ने यह आदेश दिया है कि पांच साल कर दिया जाय । पांच साल जिनकी सर्विस बहैसियत ग्राम सेवक व कोआपरेटिव परिवेक्षक के रूप में होगी, उन्हीं के आधार पर तमाम सूबे के अन्दर वह तैयार किया जावेगा ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के आदेश हो जाने के बाद भी कार्यान्वित नहीं होते इसको देखते हुए क्या मंत्री जी इस प्रकार की कार्यवाही न होने के कारणों की जांच करवा रहे हैं। कि इन आदेशों पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न से क्या मतलब है ?

श्री जगन्नाथ राव—

श्रीमन्, यह मतलब है कि पांच साल के बाद कार्यान्वित किया जावेगा । आदेश तो दे दिये गये थे पर उन पर कार्यवाही नहीं होती । क्या इस तरह के फर्जी आदेश दे दिये जाते हैं ? मैं जरूरत पड़ने पर, श्रीमन्, उदाहरण दूंगा । प्रश्न यह है कि ऐसे आदेशों को यदि सरकारी अधिकारी कार्यान्वित नहीं करते हैं तो उसकी जांच के लिये क्या आप ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं कि वे आदेश कार्यान्वित हों ?

श्री बनारसीदास—

इस सम्बन्ध में बराबर विभागाध्यक्षों को आदेश दिये जाते हैं कि वे आदेशों का पूर्ण पालन करें । जहां तक इसका सवाल है, जैसा मैंने निवेदन किया, उन नियमों के इन्टरप्रेटेशन के बारे में कठिनाई थी । तमाम का अनुपात लगाने में दिक्कत थी । इसके अतिरिक्त कोआपरेटिव सर्विस रूल्स में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी । जहां तक कोआपरेटिव इन्सपेक्टरों का सवाल है, इनका कन्फर्मेशन लोक सेवा आयोग से होता है । जब तक कोआपरेटिव सर्विस रूल्स में तब्दीली न हो तब तक लोक सेवा आयोग नहीं मानता । एप्वाइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट को लिख रखा था कि नियमों में परिवर्तन कर दिया जाय कि ग्राम सेवकों को भी पदोन्नति के लिये कन्सीडर किया जा सके ।

सामुदायिक विकास विभाग में निलम्बित कर्मचारी

*२—श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक विकास विभाग में दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक ऐसे कोई नान-गजेटेड कर्मचारी हैं जो सस्पेंड कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो नाम व पद सहित वे कौन और कब से सस्पेंड कर दिये गये हैं ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

सामुदायिक विकास विभाग में १-१२-६४ तक ११४ नान गजेटेड कर्मचारी सस्पेन्ड किये गये । विवरण संलग्न सूची में उपलब्ध है ।

श्री नवलकिशोर—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन ११४ में से कितनों को चार्जशीट दी जा चुकी है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इन ११४ में से २ आदमियों को रिवर्ट कर दिया गया है । १७ कर्मचारी बहाल कर दिये गये हैं । ९४ में से १५ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं । ३० मामलों में पुलिस द्वारा जांच करवाई जा रही है । ४९ मामलों में विभागीय जांच हो रही है । एक मामले में अभियुक्त मिल नहीं रहा है । अतः न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री नवलकिशोर—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे मामले जो पांच या तीन साल से ज्यादा हैं, इन मामलों में इतनी देरी का क्या कारण हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, इनमें यथाशक्ति प्रयत्न किया जा रहा है कि मामले शीघ्र ही तय हो जायं ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो तीस मामले पुलिस को सुपुर्द किये गये हैं उनके लिये कोई समय की अवधि निश्चित की गई है कि कितने समय के अन्दर उनकी जांच करवा दी जायगी ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

जिस वक्त जांच की जाती है, उस समय, समय नियत नहीं किया जाता । जब मामले में देर हो जाती है तो रिमाइन्डर भेजा जाता है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ये ११४ अराजपत्रित कर्मचारी हैं उनमें कितने सहायक विकास अधिकारी हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

---

*छापी नहीं गई ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, तीन-तीन, चार-चार वर्ष के केसेज हैं और ऐसे सस्पेन्डेड व्यक्तियों को जीवन भर भत्ता भी देना पड़ रहा है । बहुत से बहाल भी हुये । इस तरह सरकार का बहुत धन व्यय होता है । क्या सरकार स्पष्ट आदेश देने की कृपा करेगी कि एक साल के अन्दर-अन्दर दो जो निलम्बित हैं उनके मामले पर शीघ्र विचार कर अन्तिम निर्णय कर दिया जाय ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, कोशिश तो यही होती है कि सब मामले शीघ्र ही तय हो जायं । जांच का तरीका ऐसा है कि देर हो जाती है ।

ग्राम टोली, पट्टी भरपूर में पेय जल कष्ट

*३—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम टोली, पट्टी भरपूर, तहसील देवप्रयाग, जिला टेहरी-गढ़वाल में पीने के पानी के लिये प्रबन्ध करने में ग्रामवासियों ने लगभग दो हजार रुपया अब तक खर्च कर दिया है, परन्तु सरकार की तरफ से पानी के पीने की सुविधा देने के बारे में अभी तक कुछ नहीं दिया गया है और न सरकार ने कोई सहायता ही दी है ? क्या सरकार उक्त गम्भीर विषय पर तुरन्त विचार करेगी और सरकारी सहायता पहुंचायेगी ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं । सरकार द्वारा वांछित सहायता दी जा चुकी है और कार्य प्रगति पर है ।

भाग्यनगर ब्लाक में सीमेंट वितरण

*४—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक भाग्यनगर, जिला इटावा में जनवरी, सन् १९६३ से अब तक कितनी बोरी सीमेंट के परमिट किन-किन व्यक्तियों को दिये गये हैं ? क्या किन्हीं व्यक्तियों को इसी अवधि में से अधिक बार भी परमिट दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितनी बार व कितनी बोरियां किन-किन व्यक्तियों को दी गई हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इस अवधि में सीमेन्ट की वितरण सम्बन्धी सूची काफी लम्बी है । अतः सदस्य महोदय इसे मेरे कमरे में देख सकते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या मंत्री जी इस बात की जांच करवाने की कृपा करेंगे कि ब्लाक प्रमुख ने उन व्यक्तियों के नाम फर्जी परमिट जारी करके सीमेन्ट का स्वयं उपयोग किया है अथवा दुरुपयोग किया है ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है । इस तरह की तमाम बातें हुआ करती हैं । ऐसे विषय, अच्छा हो, यदि माननीय सदस्य, जो हर जिला परिषद् के मेम्बर भी हैं और हर ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज के भी मेम्बर हैं, वहीं पर ब्यौरे से इनका पता लगा लिया करें । वहां पर तो इस चीज का जवाब अच्छी तरह दिया जा सकता है । हमारे पास तो मोटे तरीके से ही चीजों का उत्तर आता है ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

एक से अधिक जिन लोगों को परमिट दिये गये हैं उनके नाम क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

अगर अध्यक्ष महोदय, आज्ञा दें तो सारी सूची मैं पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं ।

श्री उग्रसेन—

सीमेंट वितरण के लिये जो कमेटी हर जगह बनी हुई है उससे भी पूछताछ की गयी ?

श्री राममूर्ति—

कोई सीमेंट वितरण समिति कहीं भी नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार इस तथ्य की जांच करायेगी कि ब्लाक प्रमुख ने कुआं बनाने के लिये सीमेंट लिया और उसे कुवें में न लगा कर अपने मकान म लगा दिया ?

श्री राममूर्ति—

अगर माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे तो फौरन जांच करा लूंगा ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

सीमेंट के वितरण में जब गड़बड़ी है तो क्या माननीय मंत्री जिले के स्तर पर और ब्लाक के लेविल पर उसके वितरण के लिये छोटी-छोटी कमेंटियां बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

जिले में तो कमेंटियां बनी हुई हैं लेकिन जहां तक ब्लाक्स का ताल्लुक है वहां पर सरकारी तौर पर इस तरह की कोई कमेटीज नहीं बनी हुई हैं लेकिन इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

पहले सीमेंट तहसील से बांटा जाता था, वहां भी भ्रष्टाचार था लेकिन वहां से ज्यादा अब ब्लाक में भ्रष्टाचार होता है; तो क्या सीमेंट को तहसील द्वारा पुनः बंटवाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

माननीय सदस्य ने बड़े मजे की बात कही । पहले तो कहा कि तहसील में करप्शन था और ब्लाक में भी हो गया । अब ब्लाक से हटा कर तहसील को फिर यह काम दे दिया जाय यह तर्क मेरी समझ में नहीं आया ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

विकास केन्द्र जिन मुख्य केन्द्रों के लिये खोले गये थे उनमें कृषि उत्पादन का कार्य मुख्य था और उसमें सीमेंट के वितरण का काम भी दे दिया गया जिससे कृषि के कार्य में बड़ी बाधा पड़ रही है और प्रमुखों तथा बी० डी० ओज० की बदनामी होती है, तो क्या सरकार इस सीमेंट के वितरण के काम को उनसे हटा कर कोई अन्य व्यवस्था करेगी ताकि प्रमुख और बी० डी० ओज० कृषि का कार्य प्रमुख रूप से कर सकें और बदनामी से भी बच सकें ?

श्री राममूर्ति—

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, ब्लाक किसी खास काम के लिय बनाये गये थे और उनमें एक जरूरी काम है कृषि का । कृषि के लिये सिंचाई के साधनों की आवश्यकता होती है । सिंचाई साधनों के लिये कुवों, ट्यूबवेल्स को बनाने की आवश्यकता होती है और कुवों तथा ट्यूबवेल्स के लिये सीमेंट की आवश्यकता होती है। अगर सीमेन्ट के वितरण को विकेन्द्रित न करके जिले के स्तर पर कर दिया जाय तो बडी मुश्किल हो जायगी । इसलिये सीमेन्ट का वितरण ब्लाक स्तर पर किया जाय यह जरूरी समझा गया । वहीं इस बात की जांच की जा सकती है कि किस जगह कुवां बन रहा है और किस का बन रहा है । इसलिये ब्लाक्स को यह काम दिया गया ।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—

ब्लाक के स्तर पर किसी किसान को मकान की मरम्मत अथवा नया मकान बनाने के लिये आवश्यकता है सीमेंट की तो उसे कोई सीमेंट देने का प्रबन्ध किया गया है अथवा नहीं ?

श्री राममूर्ति—

सीमेंट जब होगा तो जरूर दिया जायगा ।

श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—

जिला लेविल पर यह कमेटी बनी हुई है तो किस-किस जिले में यह कमेटी बनी हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

विकास मंत्री जी ! क्या कहीं कमेटी बनाई है ?

श्री राममूर्ति—

यह हर जिले के अन्दर है, एक फूड ऐडवायजरी कमेटी हर जिले में है जो सीमेंट बांटा करती है ।

अनेक सदस्य—

वह तो फूड ऐडवायजरी कमेटी है, सीमेंट ऐडवायजरी कमेटी नहीं ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सीमेंट सन् १९६३ में बांटा गया है वह कुल का कुल कुवां व नाली बनाने के काम के लिये दिया गया ह या मकान बनवाने के लिये भी दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—

इसके लिये सूचना की जरूरत है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार इस बात की जांच करने की कृपा करेगी कि जिन व्यक्तियों को एक से अधिक बार सीमेंट दिया गया है, उसके क्या विशेष कारण थे ?

श्री राममूर्ति—

कारण तो साफ है, जब किसी काम के लिये सीमेंट दिया जाता है और वह काम अधूरा रह जाता है तो वह दुबारा फिर मांगता है और मिल जाती है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

यह तो कोई कारण नहीं है। असली कारण तो जांच करने से ही मालूम हो सकता है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक के स्तर पर मकान बनवाने के लिये सीमेंट नहीं दी जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके ऊपर जांच करने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पर पहले ही अर्ज कर दिया है कि इस समय प्राथमिकता लघु सिंचाई योजनाओं के ऊपर दी जा रही है, ताकि कृषि की पैदावार अधिक बढ़े। इसलिये जो सीमट दी जाती है वह ज्यादातर सिंचाई के कुओं के लिये दी जाती है।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि सीमेंट ईश्यू करने के लिये कमेटी बनाई गई है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात के लिये भी कमेटी बनाने की कृपा करेंगे कि जो सीमेंट ईश्यू किया जाता है उसका ठीक प्रकार से उसी काम में प्रयोग किया जाता है जिस काम के लिये वह दी जाती है, जिससे कि उसका ठीक इस्तेमाल हो सके?

श्री राममूर्ति--

कुछ प्रश्न साफ नहीं हुआ, फिर से . . .

श्री अध्यक्ष--

ऐसी कमेटी बने जो यह देखे कि जो सीमेंट दी गयी थी उसका ठीक से इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ।

श्री राममूर्ति--

यह काम तो बड़ा मुश्किल है, यदि किसी को किसी मामले में शिकायत हो तो जांच हो सकती है।

सहारनपुर जिला अस्पताल की मशीन

*५--श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर, जिला अस्पताल में प्रति दिन काम आने वाली आवश्यक मशीनों में से कौन-कौन मशीन भिन्न-भिन्न कारणों से और कब-कब से बेकार पड़ी हैं और क्यों?

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, डेढ़ महीने हो गये हैं लेकिन अभी तक सूचना इकट्ठी नहीं हो सकी है यह ठीक नहीं है। मैं अध्यक्ष, महोदय आप से प्रार्थना करूंगा कि आप मंत्री महोदय को हिदायत कर दें इस बारे में और इस समय इसे स्थगित कर दिया जाये। आवश्यक सूचना आने पर इसे ले लिया जाये।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

मेरे पास यों तो उत्तर आया है, लेकिन मैं उससे सन्तुष्ट न होने के कारण, उस पर और क्वेरी मने की है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए एक हफ्ता बढ़ा दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अनेक सदस्य--

जो सूचना आई है वही बता दें।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर प्रश्नों की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उग्रसेन--

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बड़ा जरूरी प्रश्न है जो इसी में है। क्या माननीय मंत्री जी के पास यह सूचना आई है कि एक्सरे मशीन महीनों से खराब पड़ी हुई है और वह केवल एक छोटे से पुर्जे की खराबी के कारण बेकार पड़ी हुई है? यदि हां तो क्या मन्त्री जी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जिससे वह जल्दी ठीक हो जाये?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

रायबरेली जिले में मैसनरी वेल्स

*६--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के विकास योजना के अन्तर्गत सरकार ने कितना रुपया गत वर्ष नलकूपों के लिये किन-किन विकास खण्डों को दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस काम को पूरा कर चुकी है? यदि नहीं, तो कब तक पूरा करेगी?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

जिला रायबरेली में विकास योजना के अन्तर्गत किसी भी विकास खंड में गत वर्ष नलकूपों के लिए किसी प्रकार का धन नहीं दिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रतीपाल--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि रायबरेली के जगतपुर ब्लाक में सुल्तानपुर, चिनौली वगैरह गांवों में पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर पानी की व्यवस्था के लिये ट्यूबवेल्स लगवाने की कृपा करेंगे?

श्री राममूर्ति--

अध्यक्ष महोदय, रायबरेली में ट्यूबवेल्स लगाने की कोशिश की गयी थी लेकिन वहां पानी का स्ट्रेटा अच्छा नहीं है और हमारी तरफ से तीन आदमियों को इसके लिये तकावी दी गयी लेकिन उन्होंने भी उस काम को करना नहीं मुनासिब समझा, तो तकावी वापस ले ली गयी।

श्री रतीपाल--

क्या सरकार वहां लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत अपनी तरफ से कुयें बनायेगी जिससे वहां सिंचाई हो सके?

श्री राममूर्ति--

यह सही है कि रायबरेली में मैसनरी वेल्स बनाये जा रहे हैं, उनकी प्रगति अच्छी है और रेहट का काम भी अच्छा चल रहा है।

वाराणसी जिला परिषद् बजट

*७--श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार को पता है कि जिला परिषद् ऐक्ट लागू हो जाने के बाद भी वाराणसी जिले में दो जिला परिषदें चलाई जा रही हैं जिनके बजट, ग्रांट, कर सम्बन्धी धारायें, कर्मचारी और कार्यालय सब अलग-अलग हैं इस कारण जिला परिषद् का बजट आज तक मंजूर नही हो सका है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

वाराणसी जिले में कभी भी दो जिला परिषदें नहीं चलायी गयीं और न जिला परिषद् ऐक्ट के लागू होने के बाद दो जिला परिषदें चलाई जा रही हैं। वहां एक ही जिला परिषद् कार्य कर रही है तथा उसका शाखा कार्यालय भदोही (ज्ञानपुर) में कार्य कर रहा है। इस शाखा कार्यालय के क्षेत्र में कार्यों की सुविधा हेतु कुछ कर्मचारी रखे गये हैं तथा बजट में प्राविधान किया गया है। जिला परिषद् का बजट वाराणसी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

*८--श्री ऋषिनारायण शास्त्री--

क्या सरकार को पता है कि जिला परिषद् ऐक्ट लागू हो जाने के बाद वाराणसी जिला परिषद् में लगने वाला हैसियत कर स्वतः भदोही पर लागू हो गया है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

जी नहीं। यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री--

क्या जिला परिषद् ऐक्ट बन जाने के बाद सूबे में कई ऐसे जिले हैं जहां दो परिषदें काम कर रही हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

बनारस में ऐसा है कि भदोही में बनारस जिला परिषद् का शाखा कार्यालय काम करता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि बजट अभी सिर्फ कार्यकारिणी ने ही पास किया है और उसके लिये ८ तारीख को मीटिंग होन वाली ह ? मेरे पास भी उसका एजेंडा आया है। तो माननीय मंत्री जी ने कैसे कह दिया कि कमिश्नर ने बजट स्वीकार कर लिया है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

शास्त्री जी ने गत वर्ष के बजट के लिये पूछा था उसके बारे में मैंने कहा है, इस वर्ष के बजट के बारे में मैंने उत्तर नहीं दिया है। उस बार यह प्रश्न आया था कि दोनों कार्यालयों के बजट अलग-अलग बनाये जायं लेकिन बाद में तय हुआ कि दो जिला परिषदें नहीं चल सकतीं। स्थिति यह है कि बनारस में रामपुर राज्य की जिला परिषद् अलग थी और भदोही की अलग थी। सन् ५८ के अन्तरिम जिला परिषद् ऐक्ट के अन्तर्गत वह दोनों चलते रहे। लेकिन जब जिला परिषद् ऐक्ट ६२ लागू हुआ तो वह अलगाव खत्म कर दिया गया सिवाय इसके कि भदोही में बनारस जिला परिषद् का शाखा कार्यालय रहने दिया गया जो अब भी चल रहा ह और वह जिला परिषद् कार्यालय प्रस्थापना नियमावली क अन्तर्गत ह।

श्री ऊदल--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो पहले कार्यालय काम कर रहे थे उनके सेक्रेटरीज, आफिसर्स और बहुत बड़ा स्टाफ था जो आज भी काम कर रहा है और उन पर करीब-करीब लाखों रुपया व्यय हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार विचार करेगी कि दोनों का आफिस एक जगह कर दिया जाय और एक ही सेक्रेटरी रहे ताकि एक ही जगह से संचालन हो ?

श्री राममूर्ति--

अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि जब रियासतें टूटीं तो वहां के लोगों को यह खयाल हुआ कि हमारी चीजें तोड़ी जा रही हैं इसलिये इन छोटे आफिसेज को रहने दिया गया और वे अब भी चल रहे हैं। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता उस कामको करें। लेकिन दिल रखना होता है इसलिये कि उनका दिल टूट न जाय, अभी यह काम चल रहा है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

मंत्री जी ने बताया कि बनारस रामनगर महाराजा की रियासत होने के कारण और रियासत के लोगों का दिल न तोड़ने के लिये वह काम किया गया लेकिन जिला परिषद् अधिनियम के अनुसार वास्तव में वह कार्य अवैधानिक है। तो क्या मन्त्री महोदय इसको रखने के लिये यह काम बहुत दिनों तक जारी रखेंगे या उसको तोड़ने का काम विचाराधीन है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

मैंने पहले बताया कि जो जिला परिषद् हैं वह स्वयं इस तरफ सचेष्ट हैं कि वह अपना बजट तैयार करें। वैसे यह कार्य अवैधानिक नहीं है। हर जिला परिषद् को अधिकार है कि कार्य की दृष्टि से वह सब-आफिस कायम कर सकता है।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री--

चकिया बनारस स्टेट का ही हिस्सा था जो शुरू से बनारस जिले में मर्ज किया गया। उसमें जिला बोर्ड का कोई आफिस नहीं है और वहां से आफिस बहुत दूर है। फिर भी प्रापर्टी सरकमस्टैन्सेज ऐक्ट वहां शुरू से लगाया गया और भदोही में आज तक नहीं लगा।

श्री राममूर्ति--

भदोही एक आबाद इलाका है। चकिया जंगल है। इस बात पर मेम्बर साहब गौर नहीं कर रहे हैं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि अब जनता का मन रखने के लिये आप वहां ऐसा प्रबन्ध निकट भविष्य में करेंगे कि वहां एक कार्यालय सचिव, एक सेक्रेटरी और एक असेसिंग आफिसर हो और जो अनावश्यक पदों का सृजन हुआ है उसको समाप्त कर दिया जाय ?

श्री राममूर्ति--

जनता का मन रखने के लिये ही बात मैंने कही है न कि राजा महाराजा का।

संचालक आयुर्वेद से सम्बन्धित कथित अपीलें

*९--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डायरेक्टर आयुर्वेदिक के यहां के किन कर्मचारियों ने शासन को अपील की है जिनका निर्णय ५ वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर भी नहीं दिया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

ऐसी कोई भी अपील शासन के पास नहीं है, जिस पर इतनी लम्बी अवधि के बाद भी निर्णय न दिया गया हो।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि संचालक आयुर्वेद के यहां कर्मचारियों ने कोई अपील पेन्शन की दी है ? यदि हां, तो इस समय उसकी क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि इस समय कोई ऐसी अपील नहीं है ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

इस समय संचालक आयुर्वेद के यहां कर्मचारियों की ओर से कोई अपील पेन्शन की दी गई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसके अतिरिक्त अगर कोई और है तो उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को सहायता

*१०--श्री बेदराम (जिला एटा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् की होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों के काम करने वाले डाक्टरों का वेतन-क्रम क्या है तथा क्या सरकार वर्तमान महंगाई और अन्य डाक्टरों की तुलना में उन्हें प्राप्त कम वेतन को ध्यान में रख कर उनकी वेतन-वृद्धि करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों

चिकित्सा मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)--

जिला परिषदों के अन्तर्गत कोई भी होम्योपैथिक चिकित्सालय कार्य नहीं कर रहे हैं। कुछ परिषदों के क्षेत्र में होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् द्वारा चालित सब्सीडी स्कीम के अनुसार होम्योपैथिक चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं। इस स्कीम के अन्तगत चिकित्साधिकारियों का कोई वेतन-क्रम निर्धारित नहीं है बल्कि उन्हें रख रखाव के लिये निश्चित सब्सीडी ५० रु० प्रति मास की दर से दी जाती है । अतः वेतन वृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहकारी पय परिषद्, कानपुर के लेखा की जांच

*११--श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)--

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी पय परिषद्, कानपुर का वर्ष १९६०-६१ का आडिट कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त वर्षों का आडिट कार्य कब सम्पन्न हुआ था और उसकी रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई ?

श्री बनारसीदास--

जी हां ।

वर्ष ६०-६१ तथा ६१-६२ का आडिट क्रमशः दिनांक ३०-६-६२ व ७-६-६३ को सम्पन्न हुआ। इन वर्षों की आडिट रिपोर्ट की प्रतियां सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, कानपुर को क्रमशः दिनांक ३१-१०-६२ व २४-२-६४ को प्राप्त हुई। एक शिकायत के सम्बन्ध में शासन ने उक्त वर्षों की आडिट रिपोर्ट मंगाई जो २७-४-६४ को प्राप्त हुई। इसके

पश्चात् निबन्धक सहकारी समितियों के कार्यालय से दोनों वर्षों की अनुपालन रिपोर्ट मंगाई गई। वर्ष ६०–६१ की अनुपालन रिपोर्ट शासन को १२–२–६५ को प्राप्त हुई। इस अनुपालन रिपोर्ट की जांच करके निबन्धक को लिखा जा रहा है कि वह उस पर तथा ६१–६२ की अनुपालन रिपोर्ट लेकर उचित कार्यवाही करें और शासन को बताएं।

*१२—श्री ज्वालाप्रसाद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त संस्था को वर्ष १९६१ तथा ६२ में सरकार से कितना ऋण तथा अनुदान दिया गया है ?

श्री बनारसीदास—

सरकार ने इस संस्था को वर्ष ६०–६१ में १०,००० रुपए ऋण के रूप में तथा १५,००० रुपए अनुदान के रूप में एवं ६१–६२ में २,१०,००० रुपए ऋण के रूप में तथा ९०,००० रुपए अनुदान के रूप में दिये।

*१३—श्री ज्वालाप्रसाद—

सहकारी पय परिषद्, कानपुर लिमिटेड किस वर्ग के अन्तर्गत है ? क्या उक्त वर्षों के आडिट करने में आडिटर महोदय ने इसके वर्गीकरण, परिवतन के लिए कोई संस्तुति की थी ?

श्री बनारसीदास—

सहकारी पय परिषद्, लिमिटेड कानपुर इस समय 'डी' वर्ग में है। वर्ष ६०–६१ तथा ६१–६२ के आडिट में यह 'सी' वर्ग में थी।

आडिटर अपने आडिट में समितियों को उनके कार्य के अनुसार स्वयं वर्गीकरण कर देते हैं। अतः संस्तुति करने का प्रश्न नहीं उठता है। आडिट की निर्धारित श्रेणी को रीजनल आडिट आफिसर बदल सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि किस की शिकायत के आधार पर आडिट की रिपोर्ट मांगी गयी ? उसका आधार क्या था और रिपोर्ट कब मांगी गयी तथा रिपोर्ट कब मिली ?

श्री बनारसीदास—

यह तो जवाब में ही दिया गया है कि रिपोर्ट यहां पर कब आयी। शिकायत वहां पर निबन्धक के कार्यालय में प्राप्त हुई थी। उनका नाम क्या था यह मेरे पास नहीं है। यह वहां के ऋण के सम्बन्ध में थी और दूसरी वहां की कार्यवाही के बारे में थी।

श्री ज्वालाप्रसाद—

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आडिट रिपोर्ट १९६१–६२ में सिफारिश की गयी थी कि 'डी' श्रेणी में वह संस्था रहेगी उसके बाद वह कौन-सा कारण था कि उसे 'सी' श्रेणी में रखा गया और वह पहले 'डी' श्रेणी में क्यों रखी गयी थी ?

श्री बनारसीदास—

यह वर्गीकरण करना आडिटर की रिपोर्ट पर होता है और रीजनल आडिटर को अधिकार होता है कि वह वर्गीकरण बदल दे। इसलिए जब उसके वर्गीकरण के लिए परिषद् के मन्त्री ने लिखा तो रीजनल आडिटर ने फिर १४–५–६३ को पुनः बदल कर उसे "सी०" में कर दिया।

श्री नित्यानन्द पाण्डेय (जिला कानपुर)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में अध्यक्ष कौन था और उस संस्था का सेक्रेटरी कौन था ?

श्री बनारसीदास—

अध्यक्ष कौन था यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन अवैतनिक मन्त्री शायद श्री सुवर्णसिंह थे। मुझे निश्चित सूचना नहीं है।

श्री नित्यानन्द पाण्डेय—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि श्री बेनीसिंह अवस्थी इसके अध्यक्ष थे और कोआपरेटिव रजिस्ट्रार इसके सेक्रेटरी थे ?

श्री बनारसीदास—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है। सम्भव है कि सदस्य महोदय जैसा कह रहे हैं ठीक हो। लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता।

श्री उग्रसेन—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो आडिट रिपोर्ट माननीय मन्त्री जी को निबन्धक उत्तर प्रदेश के कार्यालय में और सरकार को २४-२-६२ को प्राप्त हुई उसमें कुछ गबन की भी शिकायत थी ? यदि हां, तो गबन कितने का था ?

श्री बनारसीदास—

मैंने निवेदन किया कि जहां तक उस आडिट रिपोर्ट का सवाल है जब अखबार "स्वतन्त्र भारत" में निकली कटिंग हमारे सामने आयी तो हमने उसको मंगवाया। उस पर क्या कार्य-वाही की गयी है उसके लिए विस्तार से रिपोर्ट मांगी है।

श्री ज्वालाप्रसाद—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि सन् ६२ की रिपोर्ट कई मर्तबा मांगने पर उनसे प्राप्त हुई है और उस समय जो परिषद् "बी" श्रेणी में है, सम्प्रेक्ष्य अधिकारी ने क्यों ऐसी संस्तुति की कि "सी" में कर दी गयी, क्या यह ग्रान्ट का गलत तौर से फायदा उठाने के लिए सिफारिश की थी ?

श्री बनारसीदास—

उन्होंने तो "बी" के लिए सिफारिश की थी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के आधार पर "सी" कर दिया गया। "सी" में होने पर भी पय परिषद् का सवाल है, कोई व्यक्तिगत लाभ का सवाल नहीं है। पिछले दो सालों से कोई अनुदान या ऋण नहीं दिया गया। वह तो ६०–६१, ६१–६२ और ६२–६३ में पहले दिया गया है। तो २ साल से कोई लेने देने का सवाल नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह—

इस वक्त वर्तमान अध्यक्ष और मन्त्री कौन है ?

श्री बनारसीदास—

इस वक्त जो मंत्री हैं उनका नाम सुघड़ सिंह है।

[३ मार्च, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

[६ठे बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

*२–४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

[६ठे बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

एम्प्लायमेंट आफिसर्स का ग्रेड

*५—श्री ऊदल—

क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लायमेंट आफिसर एवं असिस्टेंट एम्प्लायमेंट आफिसर जिन्हें क्लास टू में सन् १९४५ में भारत सरकार ने नियुक्त किया था और जिसे प्रदेश की सरकार को १९५६ में ट्रान्सफर कर दिया, उनका दर्जा क्लास टू से घटा कर सब-आर्डिनेट गजटेड आफिसर की रैंक का बना दिया गया है ?

श्री बनारसीदास—

जिन असिस्टेंट एम्प्लायमेंट अफसरों को सन् १९५६ में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को ट्रान्सफर किया था वे वहां गजटेड क्लास टू कहलाते थे और उनका वेतन-क्रम २१५-३५० रु० था जो कि प्रदेशीय सब-आर्डिनेट सेवा के वेतन-क्रम २००–३५० रु० के अनुरूप था। अतएव उन असिस्टेंट एम्प्लायमेंट अफसरों की नियुक्ति तत्स्थानी प्रदेशीय सब-आर्डिनेट सर्विस के २००–३५० रु० वेतन-क्रम में की गई और उनका गजटेड स्टेट्स भी कायम रखा गया। इस प्रकार उन असिस्टेंट एम्प्लायमेंट अफसरों के रैंक को घटाने का प्रश्न नहीं उठता।

*६—श्री ऊदल—

क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट एम्प्लायमेंट आफिसर एवं असिस्टेंट एम्प्लायमेंट आफिसर के पद को सब-रीजनल एम्प्लायमेंट आफिसर के लेविल की करने एवं जो क्लास टू में उनकी नियुक्ति भारत सरकार ने की थी उसके बराबर करेगी ? यदि हां, तो कब तक और क्या इसमें जो खर्च पड़ेगा उसका ६० परसेन्ट भारत सरकार देने को तैयार है ?

श्री बनारसीदास—

असिस्टेंट अथवा डिस्ट्रिक्ट एम्प्लायमेंट आफिसर के पदों को अब रीजनल आफिसर के बराबर करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री ऊदल—

क्या इस प्रश्न पर मन्त्री जी विचार करेंगे कि भारत सरकार ने उन्हें क्लास २ में रखा था और प्रदेश सरकार को ट्रान्सफर कर दिया था और प्रदेश सरकार ने उसको काट दिया तो क्या उस दर्जे को सरकार देने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—

जैसा मैंने निवेदन किया, प्रदेशीय सरकार के जो क्लास २ आफिसर्स हैं उनका वेतन २५० से ८०० होता है और भारत सरकार के यहां २१५ से ३५० है। हमारे यहां यह वेतन सब-आर्डिनेट गजटेड सर्विस के लिए है। तो वेतन में कोई अन्तर नहीं पड़ता और न स्टेटस में फर्क है। ये लोग अब भी गजटेड गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कहलाते हैं। तीसरे, इसके विचार का कोई सवाल नहीं है।

श्री ऊदल—

क्या सरकार को जानकारी है कि इन क्लास २ के आफिसरों को जो कन्द्र के एम्प्लायमेंट आफिसर्स हैं उनको वेतन देने में ७५ फीसदी भारत सरकार का हिस्सा होता है ? यदि हां, तो ऐसी दशा में उनको क्लास २ का दर्जा देने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री बनारसीदास—

७५ फीसदी तो नहीं, लेकिन वह अनुपात ६०–४० का है। सवाल तो यह है कि मैंने जैसा कि निवेदन किया गवर्नमेंट आफ इंडिया में भी इनका वेतन-क्रम यही था, कोई ज्यादा नहीं था, सिर्फ १५ रुपए का फर्क है। इसलिए कोई आर्थिक नुक्सान नहीं हुआ जब से कि १९५६ से उनको हमारे यहां ट्रान्सफर किया गया है।

श्री ऊदल—

क्या सरकार को जानकारी है कि ब्लाकों में जो बी० डी० ओज० रहते हैं उनको भी हर जिले में २–४ को क्लास २ का दर्जा दे दिया गया है और एम्प्लायमेंट आफिसर्स और रीजनल एम्प्लायमेंट आफिसर्स जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनको टेक्निकल स्कूलों को भी देखना पड़ता है, रजिस्ट्री कराता है तो उसके काम को देखते हुए सरकार उसको बी० डी० ओ० के बराबर भी क्यों नहीं दर्जा देने को तैयार है ?

श्री बनारसीदास—

मैंने जो ग्रेड बतलाया यह डिस्ट्रिक्ट और असिस्टेंट एम्प्लायमेंट आफिसर्स का है। जिस तरह से बी० डी० ओ० को क्लास २ के लिए लिया इसी तरह से श्रम विभाग के अन्तर्गत कुछ रीजनल एम्प्लायमेंट आफिसर्स होते हैं, दोनों का वेतन-क्रम २५० से ८५० तक का है।

*७—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[६ठे बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

गांव सभा देउजी में बरवां गांव

*८—श्री ऊदल—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी की गांव सभा देउजी के एक गांव बरवां को पृथक गांव सभा बनाने के सम्बन्ध में अब सरकार विचार करेगी जबकि चतुर्थ सामान्य निर्वाचन नजदीक आ रहा है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जी हां। पंचायतों के आगामी निर्वाचन के समय कार्यवाही की जायगी।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में जिन ग्राम सभाओं की आबादी ३ हजार से अधिक हो और कई-कई मजरे हों उनको तोड़ कर उनके चुनाव आगामी चुनावों से पूर्व कराने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—

गांव सभाएं रेवेन्यु यूनिट हैं, उनके मजरे तोड़ करके मिलाना मुश्किल नजर आ रहा है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रिंसिपल्स का ग्रेड

*९—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आई० टी० आईज० में जो प्रिंसिपल लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त होकर इस वक्त आई० टी० आईज० में कार्य कर रहे हैं उनकी तादाद क्या है और क्या उनको वेतन नए ग्रेड से ५००—१,२०० रु० तक के हिसाब से देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बनारसीदास—

इस वक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में लोक-सेवा-आयोग की संस्तुति पर नियुक्त प्रिन्सिपलों की संख्या ९ है। इनमें एक का चुनाव ५००—१,२०० रु० वेतन-क्रम में हुआ था और बाकी ८ का २५०—८५० रु० के वेतन-क्रम में। २५०—८५० वेतन क्रम में नियुक्त प्रिन्सिपलों को ५००—१,२०० रु० वेतन-क्रम देने का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि दोनों का चुनाव अलग-अलग होता है।

*१०—११—श्री रियासत हुसैन—

[६ठें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

*१२—श्री जगन्नाथ राव—

[६ठें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

विकास खंडों द्वारा वितरित कृषि यंत्र

*१३—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए बी०डी०ओ०ज़ द्वारा खेती के यन्त्र प्लाउ हैरोज तथा अन्य वस्तुएं निजी मर्जी से खरीद कर किसानों में वितरण करने तथा उन पर सबसिडी तथा छूट देने की प्रथा को बन्द करेगी ?

श्री बंशीधर पाडेय्य—

काश्तकारों को जो कृषि यन्त्र बी० डी० ओज़० द्वारा दिए जाते हैं वे बी० डी० ओज़० अपनी निजी मर्जी से नहीं खरीदते, अपितु उनके चयन तथा खरीद की स्वीकृत हेतु मण्डलीय स्तर पर एक कमेटी होती है, जिसकी संस्तुति क्षेत्र पर ही यन्त्र खरीदे जाते हैं। जहां तक उक्त यन्त्रों पर सबसिडी तथा छूट देना बन्द करने का प्रश्न है इस ओर सरकार अग्रसर है। उन्नतिशील कृषि यन्त्रों के अधिकाधिक प्रचारार्थ उन पर सब्सिडी देने का प्राविधान रक्खा गया है। जैसे-जैसे इनका प्रचार बढ़ता जा रहा है और उनकी उपयुक्तता की ओर काश्तकार की रुचि बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे अनुदान देने की मात्रा घटाई जा रही है और कुछ समय पश्चात् इसको एकदम बन्द कर दिया जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सदन में आपने आश्वासन दिया था कि ये अनुदान देना बन्द कर दिया गया है, क्या वह बात सही है या बन्द करना विचाराधीन है, यह बात सही है ?

श्री राममूर्ति—

मेरे खयाल से दोनों बातें इस माने में ठीक हैं कि कुछ हद तक एक मात्रा तक तो बन्द कर दिया गया और कुछ में दिया जा रहा है। लेकिन मैं मायर जी से इत्तफाक करता हूं और इस कोशिश में हूं कि यह अनुदान बन्द कर दिया जाय, क्योंकि यन्त्र काफी पापुलर हो गए हैं और लोग जान गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि जितने खेतिहर औजार खरीदे जाते हैं ये लोगों के पास, जिनको जबरदस्ती दिए जाते हैं और एक-तिहाई की छूट की लालच में वह ले जाते हैं, नाकारा हालत में हजारों की तादाद में पड़े हुए हैं और यह सब बी० डी० ओज० की मेहरबानी से किसानों का रुपया बरबाद हो रहा है, इसकी वह जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---

अंशतः यह बात ठीक है, लेकिन यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि जो लोग औजार ले जाते हैं वह सब बेकार पड़े रहते हैं, क्योंकि जितने भी औजार ले जाते हैं यह हो सकता है कि उनमें कोई चीज़ गलत निकल जाय और उसका सदुपयोग न हो पाए, लेकिन सारे औजार आज तक गलत बांटे जाते हैं, यह तो मेरी समझ में नहीं आता।

श्री उग्रसेन---

क्या कोई कारखानों के मालिकों की ऐसी सूची है कि यह औजार विकास अधिकारी वहीं से खरीदें ?

श्री बंशीधर पांडेय---

एप्रूव्ड फर्म्स की सूची होती है, उद्योग विभाग द्वारा यह स्वीकृत होती है।

श्री मैनेजरसिंह---

अभी कुछ विकास खंड ऐसे हैं जो अपने प्रथम चरण में ही चल रहे हैं और जहां पर इन उन्नतिशील कृषि यन्त्रों का प्रयोग अभी शुरू ही हुआ है, वहां के लिए यह अनुदान बन्द न करने पर विचार करेंगे ?

श्री राममूर्ति---

यह भी अच्छा विचार है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि प्राइवेट संस्थाओं द्वारा सस्ती कीमत पर यह औजार बन रहे हैं और ब्लाकों द्वारा जो अनिवार्य रूप से औजार दिए जा रहे हैं इनकी कीमत ज्यादा पड़ती है ? क्या वे ५० प्रतिशत की जो शर्त है इसको खत्म करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

सरकार को ऐसी सूचना नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो औजार ब्लाक्स द्वारा दिए जा रहे हैं वही औजार बाजार में ३० प्रतिशत कम कीमत पर मिलते हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

यह तो एप्रूव्ड फर्मों से ही खरीदने पड़ते हैं। अगर बाजार से खरीदने लगें तो यह कहा जाएगा कि अपने किसी रिश्तेदार आदि के यहां से खरीद लिए।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मन्त्री जी किसानों को यह छूट देने की कृपा करेंगे कि वे इस अनुदान से जहां से भी चाहें औजार खरीद लें ?

श्री राममूर्ति--

हम ऐसे नियम बनाने वाले हैं कि कोई प्रतिबन्ध न रखा जाय, जो जहां से चाहे खरीदे।

उन्नाव जिले को क्रैश प्रोग्राम में लेना

*१४--श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)--

क्या विकास मन्त्री इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्नाव जिला में नलकूप नहीं है और सिंचाई के साधनों की कमी है, जिले के ब्लाक नवाबगंज व हसनगंज में जहां चकबन्दी हो चुकी है सिंचाई के कुएं बनाने हेतु चार पश्चिमी जिलों के समान क्रैश प्रोग्राम में रखने की कृपा करेंगे?

श्री बंशीधर पांडेय--

जी नहीं, ऐसा विचार अभी नहीं है।

*१५--श्री श्रीराम तिवारी--

क्या इस बात को देखते हुए कि उन्नाव जिले की अनेक छोटी-छोटी पानी निकालने (ड्रेनेज) की ऐसी योजनायें हैं जिनके कार्यान्वित हो जाने से बहुत सी कृषि योग्य भूमि निकल आयेगी, सरकार इस जिले को भी ग्रामीण जन-शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत रखने की कृपा करेगी?

श्री बंशीधर पांडेय--

भारत सरकार के आदेशानुसार ग्रामीण जन-शक्ति योजना को अभी प्रदेश के अत्यधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों में लागू किया गया है, जहां आबादी का दबाव अधिक है तथा बेरोजगारी भी अधिक है। उन्नाव का जिला इस पिछड़े हुए क्षेत्र की परिधि में नहीं आता। अतः इस जिले को ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत रखना फिलहाल सम्भव नहीं है।

श्री श्रीराम तिवारी--

क्या माननीय मन्त्री जी वह मापदण्ड बतायेंगे जिसके अनुसार क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत ब्लाक्स को लिया जाता है?

श्री राममूर्ति--

वैसे तो आमतौर से यह समझा जाता है कि हमारे पूर्व के जिले बैकवर्ड हैं और पटेल कमेटी ने भी ऐसे विचार जाहिर किए थे। अभी तो यह प्रोग्राम हमारे पूर्वी जिलों के लिए ही हैं। लेकिन २३ जिलों में यह प्रोग्राम जिसको हम मैन पावर स्कीम के अन्तर्गत चला रहे हैं, लागू है और ८ जिले हैं जहां क्रैश प्रोग्राम चल रहा है--इलाहाबाद, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, फैजाबाद, सुल्तानपुर, गोंडा और बहराइच। वहां पर दो-दो ब्लाक्स लिए गए हैं। लेकिन इस प्रोग्राम की प्रगति को देख रहे हैं और जैसे-जैसे धन उपलब्ध होता जा रहा है, हम चाहते हैं कि और ज्यादा ब्लाक्स हमारे लिए जायं। उन्नाव का जहां तक ताल्लुक है, गवर्नमेंट उसको उस हद तक पिछड़ा नहीं मानती है जिस हद तक ये पूर्वी जिले हैं।

श्री देवदत्त मिश्र--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि उन्नाव जिला आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से जिन जिलों को क्रैश प्रोग्राम में लिया गया है उनसे कहीं अधिक पिछड़ा हुआ है, इस प्रोग्राम को उन्नाव जिले में भी लागू करने के प्रश्न पर विचार करेंगे?

श्री राममूर्ति--

उन्नाव जिले के साथ मेरी बड़ी हमदर्दी है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, जौनपुर जिले में भी यह सारी योजनायें लागू हैं और रिहन्द की बिजली की और नलकूप की सारी योजनायें भी उसमें लागू हैं, तो उसी से सटा हुआ इलाका है वाराणसी जिले की वाराणसी तहसील और भदोही तहसील का, जो जौनपुर के इलाके से भी अधिक पिछड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी अगर चकिया के जंगल के इलाके में न लागू करें तो कम से कम वाराणसी तहसील और भदोही तहसील में इसको लागू करने की कृपा करें।

(उत्तर देने के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री जे० पी० मिश्र—

सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, कि जिस इलाके से मन्त्री जी आते हैं वह इलाका तो काफी खुशहाल है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके बड़े खुशहाल हैं और पूरब के इलाके में क्रैश प्रोग्राम और रूरल मैन पावर स्कीम चल रही हैं, अब हमको बड़ी तकलीफ होती है कि हरदोई, रायबरेली, उन्नाव के जिले काफी पिछड़े हुए हैं लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं है, तो यह पटेल कमीशन और क्रैश प्रोग्राम वगैरह का आडम्बर किसी इलाके को मदद देने के लिए जो चलाया जा रहा है उसको छोड़कर के पूरे उत्तर प्रदेश को आप उसके अन्तर्गत लेने के लिए तैयार हैं? अगर हैं, तो कब से?

श्री राममूर्ति—

अपने आपको पिछड़ा हुआ बताना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, तो माननीय सदस्य इस होड़ में क्यों पड़े हुए हैं कि हर एक अपने-अपने जिले को पिछड़ा हुआ बता रहा है?

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात की व्यवस्था करेंगे कि सदन के उन माननीय सदस्यों का भ्रमनिवारण हो सके जो बार-बार यह कहा करते हैं कि पूरब के जिलों के साथ कोई सरकार का पक्षपात है, इसके लिए वह सारी वस्तुस्थिति सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे और पटेल आयोग ने अपनी सिफारिशें जिस रूप में रखी हैं उन पर सदन में विचार करायेंगे ताकि सारा चित्र सदन के सामने आ सके?

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा है कि इसके ऊपर विचार होगा।

श्री श्रीराम तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ग्राम जन-शक्ति उपयोग योजना किन-किन जिलों में लागू हैं?

श्री राममूर्ति—

वैसे तो अभी इसमें २३ जिले और १७९ ब्लाक्स हैं।

श्री उग्रसेन—

उन्नाव जिले की प्रति व्यक्ति आमदनी क्या है और योजनाओं में उस जिले में प्रति व्यक्ति क्या खर्च हो रहा है?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जिलेवार प्रति व्यक्ति आय और प्लान का आउट ले प्रति व्यक्ति नहीं बनाया जाता।

श्री वसी नकवी (जिला रायबरेली)---

क्या सरकार को ज्ञात है रायबरेली जिले और अवध के सारे जिले ताल्लुकेदारी से पीड़ित थे इसलिये वहां के किसानों ने आन्दोलन चलाया था और आज भी उनकी हालत बहुत खराब है, आज भी उनके मकान सुअरगाह हो रहे हैं तो, क्या रायबरेली और अवध के जिलों में सरकार क्रैश प्रोग्राम लागू करने की कृपा करेगी ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

*१६---श्री श्रीराम तिवारी ---

[६ठे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बुलन्दशहर जिले में श्री सियाराम शर्मा, ग्राम सेवक की पदोन्नति

*१७---श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम सेवकों की पदोन्नति सहायक विकास अधिकारी के पद पर करने हेतु मार्च, अप्रैल, १९५८ में लखनऊ में जो विकास आयुक्त ने साक्षात्कार किया था उसमें जिला बुलन्दशहर के श्री सियाराम शर्मा, ग्राम सेवक, बुलन्दशहर विकास खन्ड के बजाय श्री राम चरन शर्मा, ग्राम सेवक, ऊंचा गांव सफल हुए थे किन्तु कार्यालय द्वारा श्री सियाराम शर्मा को सफल घोषित करके उनकी पदोन्नति कर दी गई ?

श्री बंशीधर पाण्डेय---

ऐसा कहना कि श्री राम चरन शर्मा साक्षात्कार में सफल हुए असत्य है । साक्षात्कार में श्री सियाराम शर्मा सफल हुए थे ।

*१८---श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इसका जिम्मेदार कौन है और उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री वंशीधर पाण्डेय---

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या उन्होंने उन मार्क्स को भी देखा है जो इन्टरव्यू करने वालों ने कैन्डीडेट्स को दिये थे ? क्या इन मार्क्स को दिखाया जा सकता है ?

श्री राममूर्ति---

यह तो उन्होंने बड़ा गलत काम किया । चोरी का काम कर डाला, इस तरह से नंबर देखते फिरते हैं। हमारे यहां जो नियम बने हुए हैं उनके अनुसार २० नम्बर से कम वाले को नहीं लिया जाता । जिनको नहीं लिया है उनके २० नंबर से कम थे और जिनको लिया गया है उनके २५ नम्बर थे ।

*१९-२१---श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

[६ठे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ८५-८७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

इंडियन मेडिसिन बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा विधायक के साथ दुर्व्यवहार

*२२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरे साथ इंडियन मेडिसिन बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा दिनांक १ अक्तूबर, १९६४ को किये गये अत्यन्त अभद्र व निम्न कोटि के दुर्व्यवहार की शिकायत पर जिसकी प्राप्ति चिकित्सा (ग) विभाग के पत्र संख्या ४०२६/सी० आई०—५७१-६४, दिनांक १० दिसम्बर, १९६४ को स्वीकार की जा चुकी है, क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार शिकायती-पत्र को सदन की मेज पर रखेगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

चूंकि बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश एक संविधि संस्था है इसलिये सरकार द्वारा उसके किसी कर्मचारी के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करना संभव नहीं था। शिकायती-पत्र को बोर्ड के चेयरमैन को आवश्यक कार्यवाही के हेतु भेजा गया था। ज्ञात हुआ कि बोर्ड के चेयरमैन ने प्रधान लिपिक को २० फरवरी, १९६५ से निलम्बित कर दिया है। वे अभी आरोपों की जांच करेंगे। शिकायती-पत्र की एक प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७०९-७१० पर।)

*२३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पैरा ५० के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन के लिये कितने आवेदन-पत्र इंडियन मेडिसिन बोर्ड को प्राप्त हुए तथा कितना रुपया फीस के रूप में मिला और कितनों के रजिस्ट्रेशन हुए ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ की धारा ५० के अधीन इंलिस्टमेन्ट होता है न कि रजिस्ट्रशन। ज्ञात हुआ है कि इंलिस्टमेन्ट के हेतु २९,९७५ आवेदन पत्र तथा ३,२०, ३०० रु० शुल्क प्राप्त हुआ। २५,०३८ वैद्यों एवं हकीमों का इंलिस्टमेन्ट हो चुका है।

*२४—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इंडियन मेडिसिन बोर्ड के नये भवन निर्माण में कितना रुपया व्यय किया गया तथा यह धन किन-किन श्रोत्रों से प्राप्त हुआ ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

बोर्ड के लिये किसी नये भवन का निर्माण नहीं हुआ है। बल्कि एक बना बनाया भवन ६५,००० रु० में खरीदा गया और ४,७०० रु० रजिस्ट्रेशन आदि में व्यय हुआ। यह समस्त धन इंलिस्टमेन्ट की शुल्क की आय से ही व्यय किया गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इन हेड क्लर्क ने मेरे साथ ही दुर्व्यवहार नहीं किया बल्कि तमाम विधायकों के लिये कहा कि ३६० एम० एल० एज़० हैं और विधायकों की ऐसी-तैसी ? क्या ऐसे आदमी को, जो कि डेप्यूटेशन पर गया हुआ है, वापस बुला कर उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही मंत्री जी करेंगे ?

डाक्टर रमानारायण पाण्डेय—

जब चेयरमैन साहब की कार्यवाही पूरी हो जायगी तब जो जो कार्यवाही भी उनके विरुद्ध आवश्यक होगी वह की जायगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इंलिस्टमेन्ट के हेतु २९,९७५ आवेदन-पत्र स्वीकृत हुए और ३,२०,७३० रुपया शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ। इसमें से ३०–४० हजार रुपया ऐसा पड़ा हुआ ह जिसके आवेदन-पत्र नहीं मिले है औरजिनका इंलिस्टमेन्ट नहीं हुआ यह रुपया अब तक किस मद में पड़ा हुआ है और इसका किस प्रकार से उपयोग होगा ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

अगर वह रुपया कायदे के अन्दर नहीं है तो वापस कर दिया जायगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

आवेदन पत्रों के साथ रुपया मांगा गया जो ३,२०,७३० रुपया आया। उसमें से कुछ फार्म ही लोगों को नहीं भेजे गये और इस वजह से उनका रेजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया है। ३०–४० हजार रुपया वैसे ही पड़ा हुआ है। ऐसा रजिस्ट्रेशन और हेड क्लर्क की लापरवाही के कारण हुआ है। उस रुपये को हज़म करने की नीयत के कारण फार्म नहीं भेजे हैं। तो क्या जिन लोगों का रुपया पड़ा हुआ है उनको फार्म्स भेज दिये जायेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन हो जायगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बोर्ड एक अलहैदा संस्था है। जो बातें आपने बतायी हैं इन सब की जांच करायी जायगी।

लखनऊ का जिन्दा अजायबघर

*२५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ के जानवरों के अजायब घर पर सन् १९६२-६३ तथा १९६३–६४ में कितना व्यय हुआ तथा उसमें प्रवेश हेतु जो टिकट लगाया गया है उसके द्वारा कितनी आय हुई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वित्तीय वर्ष १९६२–६३ तथा १९६३–६४ के आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :

वित्तीय वर्ष			व्यय	प्रवेश टिकट से आय
			रु०	रु०
१९६२–६३	..	..	१,९३,३७०.७६	४३,९५०.६६
१९६३–६४	..	..	१,९६,४८२.०४	५१,५८०.६६

*२६—श्री कल्याणचन्द मोहिले —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ अजायबघर के अतिरिक्त प्रदेश और जिलों में भी अजायब घर खोलने की योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

डाक्टर डी० एन० शर्मा की पदोन्नति

*२७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि डा० डी० एन० शर्मा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के कब से निदेशक हैं ? क्या वे कभी सिविल सर्जन भी रहे हैं ? यदि नहीं, तो इन्हें निदेशक पद पर पहुंचाने का क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

डा० डी० एन० शर्मा १ जनवरी, १९६२ से स्वास्थ्य सेवा निदेशक हैं। वे सिविल सर्जन तो कभी नहीं रहे हैं किन्तु उन्होंने बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर कार्य करते हुए अतिरिक्त सिविल सर्जन, लखनऊ के पद पर भी कार्य किया। यह पद सिविल सर्जन के ही समकक्ष हैं तथा डा० शर्मा सिविल सर्जनों के संवर्ग में स्थायी डाक्टर थे। निदेशक होने के लिये सिविल सर्जन होना आवश्यक नहीं है। वह १ अप्रैल, १९५८ से ७ जुलाई, १९६१ तक उप-निदेशक रहे। तत्पश्चात् ८ जुलाई, १९६१ से ३१ दिसम्बर, १९६१ तक संयुक्त निदेशक के पद पर रहे।

*२८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० डी० एन० शर्मा जब इस विभाग के निदेशक पद पर प्रमोट किये गये तब वे इस विभाग के सभी लोगों में वरिष्ठ थे ? यदि नहीं, तो सब से वरिष्ठ व्यक्ति को इस पद को न देने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी प्रदेश के सभी सिविल सर्जनों की लिस्ट वरिष्ठता एवं योग्यता की सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यद्यपि डा० शर्मा निदेशक के पद पर नियुक्ति के समय विभाग के सभी लोगों में वरिष्ठ नहीं थे, किन्तु सब से वरिष्ठ व्यक्ति की अपेक्षा डा० शर्मा को निदेशक के पद के लिये अधिक उपयुक्त समझा गया। प्रदेश के सिविल सर्जनों की वरिष्ठता एवं योग्यता की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७११–७१२ पर)

*२९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जब से डा० डी० एन० शर्मा इस विभाग के निदेशक हुए तब से आज तक कितने जिला एवं आंचलिक अस्पतालों का निरीक्षण कर चुके हैं ? जिन जिला अस्पतालों का निरीक्षण नहीं कर पाये उसका कारण क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

निदेशक नियुक्त होने के समय से डा० डी० एन० शर्मा ने १९ जिला अस्पतालों, १०३ आंचलिक अस्पतालों एवं अन्य चिकित्सा संस्थाओं का निरीक्षण किया है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी जिला अस्पतालों का निरीक्षण निदेशक स्वयं करें। प्राशासनिक दृष्टि से आवश्यकता होने पर निदेशक स्वयं निरीक्षण करते हैं अन्यथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्य अधिकारी विभिन्न अस्पतालों का निरीक्षण किया करते हैं।

*३०–३२—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

[६ठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३३—श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)—

[६ठे बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

नवीन चिकित्सालय तथा चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण

*३४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन स्थानों पर चालू वित्तीय वर्ष में राजकीय एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालय खोलने की योजना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

(१) चालू वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित १० स्थानों पर राजकीय ग्रामीण एलोपैथिक अस्पतालों की स्थापना के आदेश सरकार द्वारा दिये जा चुके हैं :

(१) महिला चिकित्सालय, बिलसी, बदायूं ।
(२) महिला चिकित्सालय, कांठ, मुरादाबाद ।
(३) महिला चिकित्सालय, रुद्र प्रयाग, पौड़ीगढ़वाल ।
(४) महिला चिकित्सालय , राठ, हमीरपुर ।
(५) महिला चिकित्सालय, नौगंवासदत्त, मुरादाबाद ।
(६) महिला चिकित्सालय, तुलसीपुर, गोंडा ।
(७) महिला चिकित्सालय, पाहासू, बुलन्दशहर ।
(८) महिला चिकित्सालय, बिन्दकी, फतेहपुर ।
(९) महिला चिकित्सालय, मेहदावल, बस्ती ।
(१०) पुरुष चिकित्सालय, बरद, आजमगढ़ ।

(२) निम्नलिखित ६ स्थानों पर आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना के आदेश ७ दिसम्बर, सन् १९६४ को दिये गये :

(१) ग्राम वैरनी, जिला मुरादाबाद ।
(२) ग्राम मुस्तफाबाद, जिला मथुरा ।
(३) ग्राम ज्योती जगीर, जिला बरेली ।
(४) ग्राम कोठी खिमतपुर, जिला मुरादाबाद ।
(५) ग्राम भाईवुर ब्रह्मनान, जिला बुलन्दशहर ।
(६) ग्राम जरहा, रिहन्द बांध क्षेत्र, जिला मिर्जापुर ।

और सातवां चिकित्सालय ग्राम गहनी, जिला बस्ती में खोला गया । इसकी स्थापना का आदेश मार्च, १९६४ में दिया गया था । किसी यूनानी चिकित्सालय की स्थापना नहीं की गई है ।

इनके अतिरिक्त सरकार के गोपन विभाग द्वारा निम्नलिखित नौ स्थानों पर उत्तरा खन्ड डिवीजन में आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित किये गये :

(१) नौली
(२) सिरगढ़ } जिला चमोली ।
(३) लम गोंड़ी
(४) दुनी
(५) जनदान् } जिला उत्तर काशी ।
(६) वारेथ
(७) सिमखोला
(८) मदकोडे } जिला पिथौरागढ़ ।
(९) खिरमांडे

निम्नलिखित ४ स्थानों पर राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना का आदेश २४ नवम्बर, १९६४ को दिया गया :

(१) गंगरौनी छपरौली, जिला बुलन्दशहर ।
(२) सोना तोता, जिला जौनपुर ।
(३) अहरौली गोविन्द साहेब, जिला फैजाबाद ।
(४) सराय, गोकुल, जिला गाजीपुर ।

*३५—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के किन-किन चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण किया जा रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

चालू वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित १० अस्पतालों में से ६ को नीचे दी हुई प्राथमिकता के अनुसार, प्रान्तीयकरण करने का प्रस्ताव है :

(१) आई० डी० अस्पताल, लखनऊ ।
(२) जिला परिषद् पुरुष अस्पताल, बिसवां, सीतापुर ।
(३) जिला परिषद् चिकित्सालय, मऊरानीपुर, झांसी ।
(४) म्युनिसिपल बोर्ड महिला चिकित्सालय, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर ।
(५) जिला परिषद् चिकित्सालय, अमरोहा, मुरादाबाद ।
(६) सिविल अस्पताल, कन्नौज, फर्रुखाबाद ।
(७) जिला परिषद् चिकित्सालय, गोवर्धन, मथुरा ।
(८) जिला परिषद् चिकित्सालय, नानपारा, बहराइच ।
(९) सिविल अस्पताल, कोंच, जालौन ।
(१०) तरकुलवा चिकित्सालय, देवरिया ।

स्वास्थ्य निरीक्षकों के चुनाव में बुन्देलखंड के छात्र

*३६—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद के हेतु १९६४ में चुने गये कुल शिक्षार्थियों में से कितने छात्र बुन्देलखन्ड से लिये गये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रदेश में स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद के हेतु १९६४ में चने गए विद्यार्थियों में से दो छात्र बुन्देलखन्ड से हैं ।

*३७—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद के लिये होने वाले प्रशिक्षण के लिये आने वाले चुनावों में बुन्देलखन्ड का प्रतिशत निश्चय किये जाने पर विचार करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद के लिये होने वाले प्रशिक्षण के लिये आने वाले चुनावों में बन्देलखन्ड का प्रतिशत निश्चित करने का कोई विचार नहीं है ।

*३८—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि प्रदेश में १९६४–६५ के स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद के लिये प्रशिक्षण में कितने-कितने विद्यार्थी कहां के लिये गये हैं और क्या उनकी जिलेवार संख्या की सूची सदन की मेज पर रखी जायेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा में सब से अधिक अंक प्राप्त किये इस कोर्स में भर्ती किए गए। उनकी कुल संख्या ५२ थी और उनकी जिलेवार संख्या का ब्योरा निम्नलिखित है :—

सीतापुर	२	बस्ती	१
बाराबंकी	४	शाहजहांपुर	३
बरेली	१	राय बरेली	१
बहराइच	१	हमीरपुर	२
मुजफ्फरनगर	१	मुरादाबाद	१
फतेहपुर	१	अलीगढ़	१
मेरठ	१	सुल्तानपुर	१
कानपुर	२	हरदोई	१
सहारनपुर	१	प्रतापगढ़	१
लखीमपुर (खीरी)	२	मंसूरी (देहरादून)	१
बुलन्दशहर	३	गोंडा	१
लखनऊ	१८	फैजाबाद	१

*३९–४१—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

[हटा दिये गये।]

मथुरा जिले में विकास खंडों की जीपें

*४२—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले के विकास खंडों में कितनी जीपें हैं और १९६४ में इन जीपों पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ तथा कितने कि० मी० किस-किस माह में चली ?

श्री राममूर्ति—

मथुरा जिले के विकास खंडों में कुल ९ जीपें हैं और वर्ष १९६४ में इन जीपों पर कुल २०,२२० रुपया २२ पैसा व्यय हुआ। इन जीपों द्वारा १९६४ में तय की गई दूरी का महावारी ब्यौरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७१३ पर)

*४३—श्री लखीसिंह—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जिले के कौन-कौन से विकास क्षेत्र ऐसे हैं जिनके भवन नहीं हैं ? क्या सरकार इन ब्लाकों की इमारत बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—

मथुरा जिले में पांच विकास क्षेत्र चौमा छात्ता, माट, बलदेव तथा सहमऊ ऐसे हैं जिनके भवन अभी नहीं है। भवन बनवाये अवश्य जायेंगे, जिनके निर्माण का कार्य मार्च, १९६८ तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

*४४—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

[हटा दिया गया ।]

*४५-४६—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[पांचवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ५९-६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४७—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[छठे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४८-५०—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

[६ठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५१—श्री राजेन्द्रसिंह—

[६ठे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

[६ठे बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५३—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[पांचवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

नर्सिंग कालेज, दिल्ली में राज्य से भेजी गयी छात्रायें

*५४—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६४ में कितनी और कौन-कौन छात्रायें बी० एस-सी० (आनर्स) नर्सिग कोर्स के लिये सरकार द्वारा नर्सिग कालेज, दिल्ली में प्रशिक्षण के लिये भेजी गयी थीं और सरकार ने पृथक-पृथक उनके ऊपर कितना रुपया व्यय किया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वर्ष १९६४ में जुलाई माह में केवल दो छात्राएं कुमारी आशा विल्सन और कुमारी सरला डेनियल सरकार द्वारा नर्सिग कालेज दिल्ली में बी०एस-सी० (आनर्स) नर्सिग कोर्स के लिए भेजी गई थीं और सरकार ने ३१ दिसम्बर, १९६४ तक कुल व्यय निम्न प्रकार किया :

		०
(१) कुमारी आशा विल्सन	..	८१२.७४
(२) कुमारी सरला डेनियल	..	८०९.६६
योग	..	१६२२.४०

उक्त कालेज की प्रिंसिपल की सिफारिश पर कुछ और लड़कियों को जो उस कालेज में सीधे भर्ती होकर पहले से ही प्रशिक्षण पा रही हैं, सरकारी खर्चे पर अपनाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

*५५—श्री सूबेदारसिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उस समय सरकार की क्या योजना थी जिसके अन्तर्गत उक्त छात्राओं को इस उच्च प्रशिक्षण के लिये सरकार द्वारा भेजा गया था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

क्योंकि प्रदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त नर्सों की कमी है और इस उद्देश्य से कि प्रदेश में नर्सिंग व्यवस्था की वृद्धि हो ताकि योग्य और कुशल लड़कियां इस व्यवसाय की ओर आकर्षित होकर उच्च चिकित्सा विज्ञान के साथ-साथ नर्सिंग सेवाओं की उन्नति में हाथ बंटा सकें, सरकार ने उक्त योजना सन् १९६० से आरम्भ की है। इस योजना के अनुसार सन् १९६० से प्रति वर्ष ५ लड़कियों को सरकारी खर्च पर नर्सिंग कालेज, दिल्ली में बी० एस-सी० (आनर्स) नर्सिंग कोर्स के प्रशिक्षण के लिये भेजे जाने की व्यवस्था की गई है।

*५६—श्री सूबेदारसिंह—

क्या यह सही है कि बी० एस-सी० (आनर्स) नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें केवल स्टाफ नर्सों के पदों पर नियुक्त किया जा रहा है, या किया गया है? यदि हां, तो उन्हें उच्च प्रशिक्षण के लिये दिल्ली भेजने की क्या आवश्यकता थी? जबकि स्टाफ नर्सों का प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश में ही होता है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। यह सही है कि बी० एस-सी० (आनर्स) नर्सिंग कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें केवल स्टाफ नर्सों के पदों पर नियुक्त किया जाता है लेकिन उनको ५ अग्रिम वेतन वृद्धि के साथ प्रदेश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया जाता है तथा डेढ़ वर्ष स्टाफ नर्स के पद पर कार्य करने के बाद ही सिस्टर के पद पर उनकी पदोन्नति की जाने की व्यवस्था है, यदि सिस्टर के पद खाली हों और उनका कार्य संतोषजनक रहा हो। दूसरी ओर इस प्रदेश में डिप्लोमा स्तर पर प्रशिक्षित स्टाफ नर्सों की नियुक्ति बिना किसी अग्रिम वेतन-वृद्धि के की जाती है और वे ३ वर्ष स्टाफ नर्स के पद पर कार्य करने के बाद सिस्टर के पद पर उन्नति के योग्य समझी जाती हैं। बी० एस-सी० (आनर्स) नर्सिंग पास लड़कियों को आरम्भ में स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्त करने का उद्देश्य है कि वे स्टाफ नर्स के कार्य का अनुभव प्राप्त कर लें ताकि भविष्य में वे ऊंचे पदों पर कुशलता व सफलता से कार्यभार संभाल सकें।

प्रदेश में नर्सिंग प्रशिक्षण केवल सनद (डिप्लोमा) स्तर तक है और प्रदेश में स्नातक (डिग्री) स्तर तक का कोई कालेज नहीं है। अतः प्रदेश में नर्सिंग सेवाओं के स्तर को बढ़ाने, उच्च शिक्षा प्राप्त और दक्ष नर्स की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से ही, नर्सिंग कालेज, दिल्ली में स्नातक पाठ्यक्रम के लिये सरकारी खर्च पर ५ लड़कियों को प्रति वर्ष भेजने की व्यवस्था की गई है।

*५७—श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

[हटा दिया गया।]

गोरखपुर के लिये मेडिकल कालेज

*५८—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के गोरखपुर शहर में मेडिकल कालेज खोलने के सम्बन्ध में अभी तक क्या-क्या कार्यवाहियां की गयीं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अगस्त, १९६४ में जिलाधीश, गोरखपुर को लिखा गया था कि वह स्थानीय सिविल सर्जन से परामर्श करके प्रस्तावित मेडिकल कालेज के लिये उपयुक्त स्थल के बारे में सुझाव भेजें।

उन्होंने एक स्थल बतलाया है जिसके सम्बन्ध में उनसे अभी और सूचना पानी शेष है।

विश्वनाथसिंह प्रधान, गांव सभा, रैथाना के विरुद्ध जांच

*५९—श्री देवदत्त मिश्र—

क्या विकास मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव जिलान्तर्गत उन्नाव तहसील की गांव सभा रैथाना के हिसाब-किताब में गड़बड़ी होने के कारण उस गांव के प्रधान को जिला नियोजन अधिकारी ने निलम्बित कराने की अभी हाल में कार्यवाही की अनुशंसा की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या हुआ ?

श्री राममूर्ति—

श्री विश्वनाथसिंह, प्रधान, गांव सभा रैथाना, के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र के आधार पर आरोपों की आवश्यक जांच करने के पश्चात् उनके विरुद्ध पंचायतराज ऐक्ट की धारा ९५(१)(छ) के अनुसार प्रशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये जिला नियोजन अधिकारी उन्नाव ने सम्बन्धित परगनाधीश से अनुशंसा की है। परगनाधीश द्वारा अब उस मामले में अन्य आवश्यक जांच व कार्यवाही की जा रही है।

*६०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[चौथे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

इटावा जिले में बिना डाक्टर के अस्पताल

*६१—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बेला और सहायल (विधूना-इटावा) की डिस्पेंसरीज में डाक्टर कब से नहीं है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिला इटावा के बेला व सहायल नामक चिकित्सालय क्रमशः दिनांक ४ नवम्बर, १९६२ व १० मई, १९६० से बिना डाक्टर के हैं।

*६२—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार को यह पता है कि डाक्टर न होने की वजह से कम्पाउन्डरों को कार्यवाहक बना कर चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां।

पशुपालन विभाग में कर्मचारियों का वेतन-क्रम

*६३—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कम्पाउन्डर मवेशियान स्टाक मैन और ए० डी० ओ० पशुपालन का वेतन-क्रम एक ही है जब कि इनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यतायें अलग-अलग रखी गयी हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राममूर्ति—

केवल कम्पाउन्डर (पशुपालन) व स्टाक मैन का वेतन-क्रम व शैक्षिक एवं प्राविधिक योग्यतायें लगभग समान हैं। सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) पद के लिये निर्धारित शैक्षिक एवं प्राविधिक योग्यतायें सामान्यता पशु चिकित्सक के बराबर हैं और स्वीकृत वेतन-क्रम उपरोक्त दोनों पदों के कर्मचारियों से अधिक हैं। परन्तु निर्धारित योग्यता सम्पन्न अभ्यर्थियों

[श्री राममूर्ति]

के अभाव में कुछ कर्मचारियों को ७५–१२० वेतन-क्रम में भी सहायक विकास अधिकारी (पशु पालन) पद पर रखा गया है ।

*६४—श्री श्रीराम—

क्या इस बात को देखते हुये कि ए० डी० ओ० का पद सुपीरियर है सरकार उनके वेतन-क्रम में वृद्धि करने पर विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न नहीं उठता ।

*६५—श्री राजेन्द्रसिंह—

[६ठे बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

१–२—श्री लखीसिंह—

[६ठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

३–४—श्री बृजबिहारी—

[हटा दिये गये ।]

५–७—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर) तथा श्री जगन्नाथ राव—

[६ठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

८–९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[६ठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सिकन्दराराव व हसायन विकास खण्डों में सिंचाई कुएं

१०—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ के दो ब्लाक सिकन्दराराव व हसायन में सन् १९६३ में और ६४ में कितनी आबपासी के कुयें बने, उसके लिये कितनी सीमेंट दी गई ?

श्री राममूर्ति—

जिला अलीगढ़ के सिकन्दराराव विकास खण्ड में सन् १९६३ में ७१ कुओं के लिये १,२११ बोरे तथा सन् ६४ में १०० कुओं के लिये २,३५४ बोरे सीमेंट दिया गया । इनमें क्रमशः १६ तथा ५५ कुओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । हसायन विकास खण्ड में सन् १९६३ में ९८ कुओं के लिये २,४६२ बोरे तथा सन् १९६४ में १५४ कुओं के लिये ३,१७४ बोरे सीमेंट दिया गया जिनमें क्रमशः २५ व ५३ कुएं पूर्ण हुये तथा शेष में कार्य हो रहा है ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आज मुश्किल से २३ सवाल हुये हैं तो आप से मेरी प्रार्थना है कि क्या आप कोई ऐसी व्यवस्थ करेंग जिससे एक घंटे में कम से कम औसतन ६० सवाल लिये जा सकें ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय चन्द्रबलीसिंह जी, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपके इस सुझाव को यह सदन स्वीकार कर ले, फिर तो मैं ६० क्या ७० तक कर दूंगा ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जब मैं सहयोग देता हूं तो आप मुझे निकाल देते हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

जब हम लोग आपसे सहयोग करना चाहते हैं तो बाहर निकाल दिये जाते हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मैं आपके नोटिस में यह बतलाना चाहता हूं कि आपने एक सहायक सचिव, प्रश्न विभाग, श्री कैलाश नाथ मेहरोत्रा को इसलिये नियुक्त किया था कि प्रश्नों का निबटारा जल्दी से जल्दी हो जाया करे । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये बहुत से महत्व के प्रश्नों को भी बराबर किसी न किसी कारण को लिख कर, जैसे कभी सीमित महत्व का लिखकर या कभी निजी पत्र व्यवहार से सम्बन्धित लिख कर या कभी कुछ न कुछ लिख कर अस्वीकृत कर देते हैं । जैसे आज ही उन्होंने पत्र संख्या ७१७/२ के अन्तर्गत लिखकर भेजा है .....

श्री अध्यक्ष—

एक मर्तबा मैं पहले कह चुका हूं कि प्रश्नों के सम्बन्ध में, मैं बगैर पत्रावली देखे और बगैर उसे समझे कोई जवाब नहीं दे सकता हूं । यहां पर मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन् जबसे ये आये हैं तब से अस्वीकृत प्रश्नों की संख्या बढ़ गयी है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह कैसे मान लूं ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं उदाहरण देता हूं , उसे आप देख लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दें, मैं देख लूंगा ।

मंत्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवादार्थ समय निर्धारण† (क्रमागत)

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कल ४ तारीख का दिन अविश्वास का प्रस्ताव के लिये निश्चित किये जाने के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज मैंने अखबार में एक बात पढ़ी, उस सम्बन्ध में मेरा नाम लिया गया है और उससे कुछ गलत फहमी पैदा हो सकती है । माननीय रामसुन्दर पाण्डेय जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उन सबके बारे में, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब अविश्वास प्रस्ताव के प्रस्तुत करने की अनुज्ञा इस सदन ने दे दी, उसके बाद हम सारे विरोधी दल के लोगों ने और उनके नेताओं ने तुरंत बैठ कर आपस में यह बात तय की और यह स्पष्ट सब की राय थी कि अच्छा तो यह होता कि इस पर बहस करने के लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

† २ मार्च, १९६५ की कार्यवाही से ।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

हमें अधिक दिन मिलते, लेकिन ऐसा न हो सके तो कम से कम दो दिन इस पर बहस करने के लिए अवश्य ही मिलने चाहिए। हम तो यहां तक तैयार थे कि अगर आवश्यक हो तो ४ और ५ के अलावा ६ तारीख का शनिश्चर भी इसके लिए ले लिया जाय। मुझे आशा थी कि दो दिन तो अवश्य ही इसके लिए निश्चित हो जायगा और जहां तक मुझे याद है कि उस समय मित्थल साहब भी वहां बैठे हुए थे और डिप्टी स्पीकर साहब भी बैठे हुए और करीब-करीब आपने कहा कि यह सजेशन ठीक है और मैंने आकर इधर सब लोगों को यह बात बता दी कि ५–६ में कोई आपत्ति नहीं है और दो दिन की स्वीकृति हो गई है और आप सरकार से बात करेंगे। लेकिन इसके बाद आपने कल यहां कहा कि केवल ४ तारीख को ही बहस होगी और कहा कि मेरी बात नेता विरोधी दल से हो गई है।

मुझे बड़ा खेद है कि मैंने स्पष्ट कहा था कि कम से कम २ दिन चाहिए लेकिन मुझे खटकती है यह बात कि आपने कहा कि ५ या ६ में किसी दिन भी माननीय मुख्य मंत्री को कठिनाई होगी। जब सब की तरफ से हमने आपके पास यह बात पहुंचा दी कि हम ५ व ६ तारीख चाहते हैं और अगर उसमें कठिनाई थी तो यह आवश्यक था कि आप कह देते हमारे पक्ष के किसी आदमी को बुलाकर कि ५–६ के देने में अब यह कठिनाई है और आपस में कोई हल निकाला जाय, तो शायद यह गलतफहमी न होती। इस तरह से जो यह भ्रम पैदा हुआ है कि एक दिन का समय पर्याप्त है इसमें किसी प्रकार मेरी भी सहमति है, ऐसा समझना गलत है, मेरी राय में अब भी २ दिन से कम समय देना बिलकुल अपर्याप्त होगा। दूसरे आप इस पर अनुज्ञा ले चुके हैं और आपने और सदन ने तय कर दिया है कि यह प्रस्ताव लिया जायगा तो फिर इस तरह से समय कम कर देना हमारे साथ बड़ा अन्याय होगा। इसलिए मैं साग्रह निवेदन करूंगा कि जो मेरी प्रार्थना थी और जिस पर आपने अपनी सहमति भी प्रकट की थी कि २ दिन का समय रखा जाय। उसमें से काटकर १ दिन रखना अपर्याप्त होगा, जो ५–६ तारीख से हमने रखा था वह ठीक बैठ जाती है और उसमें किसी अन्य कार्य में बाधा भी नहीं पड़ती है इसलिए उसको आप स्वीकार कर लें। मैंने आपसे प्रार्थना की, आप ने २ दिन के लिए अपनी सहमति प्रकट की और मैंने अपने मेम्बर्स को भी तदनुसार बता दिया और उसके बाद इस तरह से समय का बदलना हमारे साथ बड़ा अन्याय है.....

श्री अध्यक्ष––

यह तो आप रिपीट कर रहे हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)––

अध्यक्ष महोदय, इस समय माननीया मुख्य मंत्री उपस्थित हैं, आपने कहा था कि उनको बाहर जाना है, तो उनसे भी आप स्पष्ट करा दें कि उनको कौन सा आवश्यक कार्य है जिससे वह बाहर जा रही हैं और जिस कारण से वह एक ही दिन इस के लिये रखना चाहती हैं। वह स्पष्टीकरण इतना कर दें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष––

आप बैठ जायं। पहले तो एक भ्रम हो रहा है उसको मैं दूर कर दूं। जो बात नेता विरोधी दल ने उठाई है, वह मैंने कल ही साफ कर दी थी....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––

लेकिन उसके बाद की भी परिस्थिति तो सुन ली जाय....

श्री अध्यक्ष––

आप बैठें, मैं बोल रहा हूं। कल भी मैंने स्पष्ट कर दिया था और जो मेरी बात नेता विरोधी दल से हुई थी उसको मैंने सदन के सामने रख दिया था। मैंने यह नहीं कहा था कि नेता विरोधी

दल ने एक दिन की बात स्वीकार कर ली है। मैंने उनसे उसी वक्त कह दिया था कि मैं एक दिन देना चाहता हूं। यह ठीक है कि आपने कहा कि हम २ दिन चाहते हैं। मैंने इस पर कह दिया था कि आप माननीय मुख्य मंत्री को आने दीजिए। उस दिन जब अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था और उस पर सदन की अनुज्ञा मिल गई थी, मैंने कहा भी था कि अधिक अच्छा होगा कि सरकारी पक्ष और आप बैठ कर तय कर लें कि यह कब और कितने समय के लिए लिया जाय। यही मैंने कल भी कहा और कल शाम को भी जब लोग मेरे पास आये तब भी मैंने कहा कि मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, आप माननीय मुख्य मंत्री से बातचीत कर लें। कल ही मैंने वह कारण स्पष्ट कर दिये थे कि मैं क्यों केवल एक ही दिन रख रहा हूं। मेरा अपना यह निश्चित मत था और अब भी है कि मैं आप को ७ घंटे दूं। मैंने कल कहा था कि ४ तारीख को जो प्रश्नों का १ घंटे का समय है उस समय हम प्रश्न न करके इसी प्रस्ताव पर बहस करायेंगे। अब जहां तक मेरा सवाल है, मैंने सोच-विचार कर निश्चित रूप से एक दिन रखा है, और ७ घंटे रखे हैं। मैं समझता हूं कि वह पर्याप्त है और नियमों के अन्तर्गत है। अब केवल प्रश्न है ४ और ५ का, ५ के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। माननीया मुख्य मंत्री जी की ओर से, सरकारी पक्ष से मुझे सूचना मिली कि खाद्य स्थिति के संबंध में आप बाहर जा रही हैं। वह मौजूद हैं। नेता विरोधी दल अगर कह रहे हैं कि ४ असुविधा-जनक है....

श्री शारदाभक्तसिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि मैंने स्पष्ट कह दिया था कि आपने कहा कि एक दिन मिलेगा, लेकिन मैंने २ दिन के लिए कहा था, और आपने स्वीकृति भी दी थी।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा कि मुख्य मंत्री जी को आ जाने दीजिए।

श्री शारदाभक्तसिंह--

कठिनाई तो यह है....

श्री उग्रसेन--

एक व्यवस्था का प्रश्न है, नेता विरोधी दल कहते हैं कि २ दिन की स्वीकृति दी और आप कहते हैं कि एक दिन की स्वीकृति दी, दोनों में कौन सही है ?

श्री शारदाभक्तसिंह--

मैं यह कहता हूं कि जब मैं गया तो आपने कहा कि एक दिन देना चाहता हूं, लेकिन मैंने कहा कि कम से कम २ दिन चाहिए और मैंने ५ और ६ तारीख कहा और उसके बाद मैं चला आया, आपने नहीं कहा कि ५ और ६ नहीं होंगे। यह दूसरी बात है कि बाद को आपने निर्णय किया कि एक ही दिन चाहिए और संसदीय मंत्री की भी यही इच्छा थी कि एक ही दिन चाहिए। स्पष्ट है कि मैंने कहा कि २ दिन चाहिए और ५ और ६ का सजेशन दिया, उसके बाद आपने आपत्ति नहीं की, और मैं यह समझा कि २ दिन रहेंगे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल कहते हैं कि मैंने दो दिन कहा, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने एक दिन कहा, अब आप कहते हैं ५-६ आपने कहा। मैंने यह अवश्य कहा था कि मुख्य मंत्री जी से बातचीत कर लीजिए, शुरू से कहता चला आ रहा हूं। उसके दूसरे या तीसरे दिन माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी जब आये हैं, तो मैंने निश्चित रूप से उनसे कहा था कि एक ही दिन देना चाहता हूं, लेकिन एक दिन से ज्यादा नहीं देना चाहता हूं। इस वास्ते.....

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, आपका क्या बिगड़ेगा एक दिन से ज्यादा देने में ?

श्री अध्यक्ष--

बिगड़ने का सवाल नहीं है, आप बैठ जाइये ।

श्री उग्रसेन--

हर समय विरोधी दल की बात को सुनने के लिए सरकारी पक्ष को तैयार रहना चाहिए।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष--

मैं खत्म कर लूं, तब व्यवस्था का प्रश्न होगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

निश्चित रूप से मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मुख्य मंत्री जी से मिल लें। उनसे मिलने की आवश्यकता थी । नियमों के अन्तर्गत मुझे अधिकार है कि मैं काम को देखते हुए समस्त बातों को ध्यान में रखकर समय निश्चित कर दूं । अब मैंने समय निश्चित कर दिया, अब सिर्फ सवाल इतना है कि ५ तारीख को बहस हो । दूबे जी ने यह प्रश्न उठाया कि क्या ५ तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी बाहर जा रही हैं.....

श्री उग्रसेन--

हमसे क्या मतलब कि मुख्य मंत्री बाहर जा रही हैं, सारा कार्य-क्रम छोड़कर उनको यहां रहना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

आप बठ जाइये ।

श्री उग्रसेन--

हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष--

जहां तक मेरा संबंध है, मैं एक दिन नहीं ४ दिन दे सकता हूं । मैंने कल रात को भी एक माननीय सदस्य जो मेरे पास आये थे, उनको सूचित कर दिया था कि मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से कह सकता हूं कि २ दिन के लिए बहस रखी जाय, लेकिन उसके साथ-साथ हमारा जो बजट के संबंध में काम है, वह भी समाप्त हो जाय, इस तरह से आप बातचीत करें.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष--

(श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर) अगर आप नहीं बैठ सकते तो आप बाहर जाइये ।

श्री उग्रसेन--

वह तो आपके काम में मदद दे रहे हैं ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

जब मैं बोल रहा हूं तब व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

आप जो बोल चुके हैं उसी के संबंध में व्यवस्था होगी ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, आप बहुत नाराज हो कर बोलते हैं इसलिए शंका होती है ।

श्री अध्यक्ष--

मुझे भी शंका होती है, आप नियमों के प्रतिकूल बोलना चाहते हैं इस वजह से आपको डांटना है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, आपने कहा कि मुझे डांटना है । तो आप डांट सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

हां, हां ।

तो सवाल यह है कि दो दिन या चार दिन लेना चाहते हैं, मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं । माननीय संसदीय मंत्री आपको कुछ कहना है ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

(श्री बनारसी दास के खड़े होने पर) मैं चाहता था कि हम सब लोगों की राय जाहिर हो जाती तो अच्छा होगा ।

श्री रामायणराय--

श्रीमन्, माननीय संसदीय विषयक मंत्री जी को आपने बुला लिया....

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

मैं चाहूंगा कि पहले हमारी राय जाहिर हो जाने दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं चाहता हूं कि पहले वह बोल लें । आप बाद को बोल लीजिए ।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

श्रीमन्, आपने कहा कि मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं वह बता दें । तो क्या माननीय बनारसी-दास जी मुख्य मंत्री हो गये क्योंकि वह खड़ हो गये हैं ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

आप क्यों परेशान हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

माननीय यादवेन्द्रदत्त जी बोलना चाहते हैं वह इतनी देर से खड़े हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । वह बैठे हैं, खड़े नहीं है । उनको बैठा समझिए ।

*श्री बनारसीदास--

अध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव पर , जैसा आपने कहा नियम २७४(३) के अनुसार, समय आपको तय करना है कि कितना समय, एक दिन या उससे अधिक देना चाहिए। इसके संबंध में आपके सामने सरकार की कठिनाई रखी जा चुकी है । आपको स्मरण होगा आपसे निवेदन यह भी किया था नेता विरोधी दल के सामने कि बजट अधिवेशन के समय अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आता, मद्रास के अध्यक्ष ने अभी स्वीकार किया है । लेकिन यह कहना कि अभी समय कम है, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि नियमावली के अन्दर २७४(३) में आपको यह अधिकार है कि आप १ दिन या उससे अधिक, काम देख कर तय करें । जहां तक ६ तारीख का सवाल है, जब बजट के लिए शनिवार को लिया तो जनसंघ की तरफ से विरोध किया गया कि हम विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं । तो सदस्यों के बारे में, मैंने अपने तरफ के सदस्यों से पूछा, सदस्य अपने कार्य-क्रम बना चुके हैं और कोई भी उस दिन रुकने के लिए तैयार नहीं है । इसलिए हर प्वाइंट पर अगर आप चाहें कि जब हम चाहें शनिवार ले लिया जाय तो इसमें दोनों की सुविधा का खयाल रखना चाहिए और माननीय टम्ब्रेश्वरप्रसाद जी खास तौर से बल देते थे कि शनिवार न लिया जाय । तो उनकी इच्छानुसार कार्य-क्रम बनाया गया । ५ तारीख को माननीय मुख्य मंत्री नहीं रहेंगी यहां । मैं आपसे कहता हूं कि राज्य के हितों का सवाल है, आवश्यक पालिसी निर्धारित करने का प्रश्न है इसलिए उनको दिल्ली जाना है । अगर आप पहले से बता देते तो हम देखते । तो ५ या ६ में से आप कोई दिन निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि नियमों के अनुसार १० दिन के अन्दर समय निश्चित करना चाहिए । मेरा तो विचार यही है कि समय काफी है, और माननीय सदस्यों को बोलने का मौका था गवर्नर ऐड्रेस पर भी और बजट पर भी । इसलिए समय में तब्दीली की कोई वजह नहीं है ।

बहरहाल, ६ तारीख शनिवार के लिए हमारी तरफ के माननीय सदस्य असुविधा प्रकट करते हैं क्योंकि पहले से सब के कार्य-क्रम बनाये जा चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी, आपको कुछ कहना है ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

माननीय अध्यक्ष जी, . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

इस समय केवल सवाल यह है कि क्या मुख्य मंत्री जी ५ तारीख को यहां पर रहेंगी ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

श्रीमन्, ५ तारीख के बाद भी रास्ता निकाला जा सकता है। उनके बोलने के बाद हम क्या बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मेरा अधिकार है कि मैं किस से कहूं बोलने को। आप इस तरह की बातचीत नहीं कर सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

श्रीमन्, आप ४ मर्तबा कह चुके हैं कि बैठो। उनके बोलने के बाद हम क्या कह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

वे तो परिस्थिति बता देगीं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

श्रीमन्, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके फैसले के बाद हम क्या कहेंगे ? ५ तारीख को अगर वे यहां न होंगी, और उन्हें दिक्कत है तो कोई दूसरी तारीख हो सकती है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको इस संबंध में क्या कहना है।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

अध्यक्ष महोदय, राजा साहब खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--

वे बैठे हैं।

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि गवर्नमेंट को नो कान्फीडेंस के मोशन पर डिबेट करने में कतई एतराज नहीं है, हम वैलकम करते हैं। समय भी देने में कोई एतराज नहीं है लेकिन यूज्वली, साधारणतया, जो परम्परा चली आ रही है वह यह है कि यह बजट के सेशन में होता नहीं, क्योंकि इस समय हमारे पास बहुत काम है और मार्च के अंदर ही उस काम के समाप्त करना है इसलिए यह प्रयास किया कि एक दिन ही किया जाय। दूसरे समय का अभाव नहीं किया गया। जितना २ दिन का समय होता उतना समय १ दिन में ही दे दिया गया। इसलिए मेरी राय में उन्हें एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको उतने ही घंटे मिल जाते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी २ बजे या ४ बजे रात तक बहस होती है। तो इनका तो समय से ही मतलब है हमारी पार्लियामेंट में भी बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने नौ-नौ बजे तक डिस्कशन चलाये हैं क्योंकि जब टाइम का प्रेशर हुआ तो उसको हमने इस प्रकार एडजेस्ट किया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

५ तारीख को फूड के संबंध में चीफ मिनिस्टर्स की दिल्ली में बैठक हो रही है। वहां अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वे समझेंगे कि हमें परेशानी नहीं है और जो हमारी खाने की समस्या है उसको उनके सामने नहीं रख सकती। इसलिए मेरी विशेष मजबूरी है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने ३१ मार्च, १९६१ की, जो विधान सभा की कार्यवाही है, उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि विधान सभा में ग्रांट के पेश करने का समय जो है वह २९ तक पेश हो जानी चाहिए। इस कार्यवाही में आप देखेंगे ३१ मार्च, १९६१ को इसमें वृहत् जोतकर और राजस्व मदों पर बहस हुई है। उसके बाद भी बहस हुयी होगी और उसके बाद विनियोग विधेयक पारित हुआ है। इसमें आपकी कृपा भी हुयी है। इस वर्ष में ३ दिन बजट के लिए बढ़ाये गये हैं और पिछले साल के अनुपात को लीजिए तो करीब ५ दिन बढ़ाये गये हैं तो २, ३ तारीख को विनियोग विधेयक पारित हो जायगा। ५ दिन बढ़ा कर विवाद में समय लेना चाहते हैं। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से जो एक दिन का समय दे दिया गया, ४ तारीख को, उससे भी मैं बहुत दुखी हुआ हूं। हमारे १ दिन के विवाद को भी समाप्त कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय बनारसीदास उधर के बैठने वालों का हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। अनुदानों पर बहस करने का जो हमारा समय था उसमें ही काट करके यह समय चुना गया है।

श्री अध्यक्ष--

एहसान का कोई सवाल नहीं है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय-

२९ को जो विनियोग विधेयक पारित होने का सवाल है उसको ३० मार्च को ४-१/२ बजे पारित कर दिया जाय और ३१ मार्च को उस पर राज्यपाल की स्वीकृति हो सकती है। १ तारीख को कार्य होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर ५ मार्च को नहीं, तो ४ मार्च को बहस शुरू हो। मुख्य मंत्री अगर ५ मार्च को न रहें तो ८ मार्च को तो बहस का जवाब दे सकती हैं। शाम तक बहस हो जावेगी। इस. लिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का सुझाव आपके जरिये सरकार को दूं जिससे माननीय मुख्य मंत्री ८ मार्च को अपना वक्तव्य दे दें।

श्री अध्यक्ष--

आपका मतलब ४ या ८ तारीख से है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

जी हां, ४ या ८ तारीख को बहस हो। इसमें काम की बचत हो जाती है और मुख्य मंत्री को भी सहूलियत होगी। ४ तारीख को अगर शुरूआत कर देते हैं तो ८ तारीख को उन्हें दिल्ली से लौटने पर वक्तव्य देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अतएव मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि २९ तारीख के बदले ३० तारीख को विनियोग विधेयक आ जावेगा। उसको पारित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री शारदाभक्तसिंह--

मैं यह निवेदन करता चाहता था कि समय का विचार हम लोगों ने किसी और एक दिन में करना छोड़ दिया है जैस कि साथी रामसुन्दर जी ने कहा कि ५ तारीख को समय क अन्दर प्रारंभ हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष--

४ और ८ कह रहे हैं ।

*श्री शारदाभक्तसिंह--

४ तारीख को इसलिए संशोधन रखना चाहता हूं कि अगर अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस आरम्भ हो तो लगातार होनी चाहिए । हम चाहते हैं कि ५ तारीख को हो और ८ तारीख को पूरा कर दें । स्वायत्त शासन के आधे दिन में वह हम पूरा कर दें । ५ तारीख को प्रारंभ, ६-७ तारीख असेंबली बन्द हो जावेंगी, ८ तारीख को फिर ले लें । आधा दिन जो स्वायत्त शासन का है, उसमें वह कर दें तो दो दिन पूरे हो जावेंगे । ५ तारीख को नहीं होगा तो ८ तारीख को हो जावेगा । उसमें समाप्त कर दिया जावेगा ।

श्री उग्रसेन --

मुख्य मंत्री ८ को ही अपना वक्तव्य दे दें । वे दिल्ली जा सकती हैं ।

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली) --

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए से एक सुझाव रखना चाहता हूं । झगड़ा इस बात का नहीं है कि एक या दो दिन दिये जायं । झगड़ा और ही है । अगर एक या दो दिन को सेंक्टीटी की पैदा हो गई है तो और बात है । समय की बात है । पांच घंटे क्वेश्चन आवर के बाद मिलते हैं । एक घंटा जो समाजवादी नेता उग्रसेन जी हैं, उनका टाईम निकालकर चार ही घंटे मिलते हैं ।

श्री उग्रसेन--

मैं बोल नहीं रहा ।

श्री नवलकिशोर--

आपके पीछे से आवाज आ रही है । उन्हीं दस घंटों में डिबेट हो सकती है । जैसा कि मुख्य मंत्री ने कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में काफी देर हो जाती है । यदि सदन इस बात की आज्ञा दे तो बजाय ११ बजे से १० बजे असेम्बली बैठे और बजाय ५ बजे के ६ बजे तक चल सकती है । इस तरह से कम्पलीट ८ घंटे मिल सकते हैं ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

मेरा एक सुझाव है ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री जे० पी० मिश्र को सम्बोधित करते हुए) मगर सेक्रेटरी आपकी पार्टी के हैं आखिर ।

श्री जे० पी० मिश्र--

किताब पकड़े बैठा हूं श्रीमन्, जबानी नहीं बोलूंगा ।

श्री नवलकिशोर--

मैं यह अर्ज कर रहा था कि इसमें कोई जिद का सवाल नहीं है । १० घंटे का टाईम ले लिया जायगा । जब मुख्य मंत्री खाद्य समस्या पर जा रही हैं तो खाद्य की समस्या भी अविश्वास का जो प्रस्ताव है उससे ज्यादा अहमियत रखती है । रामसुन्दर पाण्डेय जी ने कहा कि ५ दिन

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नवलकिशोर]

ज्यादा दिये और ३ अप्रैल तक ग्रान्ट्स चलीं। मैंने हिसाब जोड़ा और देखा कि सन् ६३ में १९ दिन दिये गये थे। ६४ में २२ दिन दिये गये गौर ५ दिन की बात इसलिये कही गयी कि इस बार २४ दिन का समय दिया गया था लेकिन जब हम सैटर्डे देने को तैयार नहीं हैं तो ४ दिन कट गये और २९ तक २० दिन होते हैं। १९ दिन तब दिये गये थे जब इत्तिफाक से एक, दो मौतें हो गयी थीं और हाउस को स्थगित करना पड़ा था। १४ साल का मेरा तजुर्बा है कि ३१ तारीख के बाद एप्रोप्रियेशन बिल पास नहीं किया गया। मेरा सुझाव तो यही है कि कल १० बजे से बैठ लिया जाय। १ घंटा क्वेश्चन आवर का काट दिया जाय और इस तरह से १० बजे दिन से रात के ८ बजे तक बैठा जाय और इसके लिये सब लोग राजी हो जायं।

श्री जे० पी० मिश्र—

मुझे, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना है कि विरोधी दलों द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पेश करना एक फैशन बन गया है। धारा २७४ (३) में दिया हुआ है "यदि उपनियम (२) के अन्तर्गत अनुज्ञा दे दी जाय, तो अध्यक्ष सदन के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद, प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेंगे।" अब यह एक लाइन का अविश्वास का प्रस्ताव है और उसमें कोई चीज साफ तरीके से है नहीं। मेरा खयाल है कि उसमें बहस कुछ करनी है नहीं, गाली गलौज देनी है और वे काफी दी जा चुकी हैं। मेरा तो यही सुझाव है कि आप अपनी व्यवस्था बदल दें और एक दिन के बजाय किसी दिन २ घंटे ३ बजे से ५ बजे तक रख दें।

श्री शारदाभक्तसिंह—

अध्यक्ष महोदय, आपकी ओर से तथा सरकार की ओर से जो कठिनाई रखी गयी है उसका पूरा ध्यान रखते हुए मैं कोई समय नहीं बदलना चाहता। जो ग्रान्ट्स का समय दिया गया है उसी में हम एडजस्ट करना चाहते हैं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

माननीय यादवेन्द्र दत्त जी बड़ी देर से खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं सबको सूचना दे दूं कि माननीय दूबे जी अपनी तकलीफ की वजह से बैठे हुए समझे जायेंगे हालांकि खड़े रहते हैं।

*श्री शारदाभक्तसिंह—

सारी परिस्थिति को देख कर ही हमने यह सुझाव दिया है कि ५ तारीख को पूरे दिन डिस्कस हो जाय। ६ और ७ को सदन बैठेगा नहीं। फिर ८ तारीख को डिस्कस करके जो मांगें हैं उन पर भी डिस्कस कर लिया जायगा और उनके लिये अधिक देर बैठ जायेंगे और ८ तारीख को मुख्य मंत्री जी भी उपस्थित होंगी। लेकिन माननीय नवलकिशोर जी की जिद है कि १० बजे से ८ बजे तक ही सदन होना चाहिये। वह ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के सहयोग की भावना को भी उनको स्वीकार करना चाहिये। हम कोई अतिरिक्त दिन नहीं मांगते और न उनमें सरकार को आपत्ति ही होनी चाहिये। एक दिन के बजाय दो दिन हम लेना चाहते हैं और क्वेश्चन आवर भी ले लेना चाहते हैं। उनको क्या कठिनाई है कि ८ तारीख को जो ग्रान्ट्स हैं उनके लिये हम दो घंटे अधिक बैठ कर खत्म कर लेंगे। मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को मेरे सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि इसमें उनको कोई कठिनाई नहीं है, ताकि ऐसी स्थिति न बने।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल का जो सुझाव है वह उधर से भी आया है कि ४ का ही दिन बढ़ा लिया जाये । मेरी राय है कि ८ तारीख को भी ठीक है । जैसा कि विरोधीदल के नेता ने कहा कि ५ को शुरू हो और ८ तक चले, मैं समझता हूं कि यह ठीक है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं इस पर काफी बहस हो चुकी है, अब मैं इस पर अपना निर्णय दे दूं । जहां तक १९६१ का सवाल है, मेरा खयाल है उसमें यह स्थिति नहीं थी । दूसरी बात यह है कि जैसा माननीय मुख्य मंत्री ने कहा, वह ५ और ६ तारीख देने में असमर्थ हैं, ४ को तैयार हैं और उस दिन कुछ और भी समय देने को तैयार हैं । माननीय नवलकिशोर जी ने भी ऐसा ही कहा कि ४ तारीख को १० बजे से ८ बजे तक सदन चले. . . .

अनेक सदस्य—

हम इसके लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब यही समय निश्चित हुआ और उस दिन प्रश्न नहीं होंगे ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चनों के बारे में जरा बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

क्वेश्चन नहीं होंगे उस दिन ।

प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार करने के कथित निश्चय के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे पास कुछ सूचनायें आयी हैं, वह मैं बता दूं । मेरे पास सर्व श्री टम्बेश्वरप्रसाद, जगन्नाथराव तथा रक्षपालसिंह जी के कार्यस्थगन के प्रस्ताव आये हैं और माननीय काशीनाथ जी का भी नियम ५२ के अन्तर्गत आया है जो इसी संबंध में है जो कि अध्यापक वर्ग की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिये है । माननीय चन्द्रचीत यादव, श्री नेकराम शर्मा और श्री बालोजी अग्रवाल आदि ने नियम ५३ के अन्तर्गत अध्यापकों की हड़ताल के संबंध में प्रस्ताव दिया है । मैं समझ रहा हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिये । अब मैं इस पर चर्चा किये जाने के लिये मुख्य मंत्री जी के पास भेजे दे रहा हूं, जैसा कि नियम है । मैं समझता हूं कि इस पर ८ तारीख को विचार कर लिया जाना उचित होगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमान्, मेरा भी प्रस्ताव है, देवरिया जिले के सभी माननीय विधायकों की तरफ से वह प्रस्ताव है । यह प्रस्ताव के खाद्य के बारे में है कि वहां पर ७०० से अधिक सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें बन्द कर दी गई हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत है ?

श्री उग्रसेन—

नहीं, मेरा प्रस्ताव, श्रीमन्, कामरोको प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं अभी सब बतला रहा हूं, आप बैठ जाइये ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकार की आलोचना करने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव के परिपत्र के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय नेकराम शर्मा जी की सूचना मिली है और उन्होंने उसमें नियम ५२ का कोई उल्लेख नहीं किया है । तो मैंने पूछा है कि किस नियम के अन्तर्गत वह दे रहे हैं । आज माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी का भी नियम ५२ के अन्तर्गत इसी संबंध में आ गया है, मैं पढ़कर सुनाये देता हूं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि इसे नियम ५२ में लिये जाने से पहले यह देख लिया जाना चाहिये कि क्या ऐसा सर्कुलर मुख्य सचिव ने जारी किया है ? तो इसको मुख्य मंत्री महोदय पहले स्पष्ट कर दें कि क्या मुख्य सचिव महोदय ने इस प्रकार का कोई गोपनीय सर्कुलर समस्त विभागों को भेजा है कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनकी सेवायें बिना कारण बताए समाप्त कर दी जायेंगी और जो स्थायी होंगे उन्हें कम्पलसरी पेंशन दे दी जायगी, जो अपनी मांगों को लेकर आवाज उठायेंगे । तो मैं पहले माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा सर्कुलर गया है । पहले मुख्य मंत्री महोदय इसे स्वीकार करें कि २२ फरवरी को गुप्त सर्कुलर ऐसा गया है, तभी यह प्रश्न आ सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो इस पर कमेन्ट कर रहे हैं, मैं नियम ५२ के अन्तर्गत इसे स्वीकार कर रहा हूं ।

श्री नेकराम शर्मा—

नहीं, पहले मुख्यमंत्री जी का स्पष्टीकरण तो हो जाय कि ऐसा सर्कुलर गया है, तब ही इसे नियम ५२ के अन्तर्गत लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है, मैं कर सकता हूं और चूंकि आपने स्वयं प्रतिलिपि मेरे पास भेजी थी और माननीय नरसिंहनारायण पाण्डेय ने भी भेजी है इसलिये अब पूछने की आवश्यकता नहीं है । मैं उसको नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार करता हूं । (मुख्य मंत्री से) क्या आप ८ तारीख को बयान देंगी ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जी हां ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, वह ८ तारीख को बयान दे देंगी और वह विषय नेकराम जी शर्मा के नाम में आयेगा ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमान्, कृपया उसे पढ़ दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

बहुत लम्बा है फिर भी सचिव महोदय उसे पढ़ देंगे ।

सचिव, विधान सभा—

"आपको सूचना देता हूं कि आज मुख्य सचिव, श्री के० के० दास जी ने एक गोपनीय पत्र नं० १९०४/२–बी–१९–१/६५ को समस्त विभागाध्यक्षों को २२ फरवरी, १९६५ को भेजा है जिसमें लिखा गया है कि सरकारी कर्मचारी जो अपनी मांगों के लिये प्रदर्शन करते हैं उनमें से जो, मुख्य-मुख्य हैं उनको अगर वे अस्थायी पद पर हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाय और अस्थायी नहीं हैं तो उनकी चरित्र पंजिका में प्रविष्टि की जाय । यह सरकुलर समस्त कर्मचारियों को अपनी उचित मांगों के विरुद्ध आशंकित करने वाला है । अतः यह बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्न है जो आपकी सूचनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं । आशा है कि समस्त कर्मचारियों के दिल से भय को निकालने के लिये आप सदन में अपना वक्तव्य इस संबंध में देंगी ।"

प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार करने के कथित निश्चय के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत्)

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, अभी आपने नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचना स्वीकार की है उसको स्पष्टरूप से पढ़ा नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष—

सचिव ने अभी उसको पढ़ा है ।

श्री झारखण्डेराय—

दूसरी बात यह है कि उसकी जल्दी इसलिये भी है कि ११ तारीख से परीक्षा होने वाली है . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप अध्यापकों के बारे में कहना चाहते हैं। वह तो नियम ५३ के अन्तर्गत मैंने लिया है और उस पर ८ तारीख को २ घंटे की बहस होगी ।

श्री झारखण्डेराय—

नहीं, उस सिलसिले में मेरा निवेदन यह है कि इस पर अगर ८ को विवाद होगा तो अगर कोई समझौता हो या वादविवाद में कोई बात निकले तो उसे फिर कार्यान्वित कराने में मुश्किल होगी । इसलिये मेरा सुझाव है कि ५ तारीख को उस पर विवाद किया जाय जिससे उसका कुछ लाभ हो सके ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, इस पर विचार करूंगा, इस समय तो कुछ कहना मुश्किल है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

मेरी भी एक सूचना नियम ५२ के संबंध में देवरिया जिले के रुद्रपुर गांव के बारे में है ।

श्री अध्यक्ष--

अब नियम ५२ के अन्तर्गत कोई सूचना भी नहीं सुनी जायगी ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

आप उस पर बयान दिला दीजिये वह बहुत जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष--

अब बैठ जायं । नियम ५२ की कोई सूचना अब नहीं सुनी जायगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

आपने नियम ५३ के अन्तर्गत जो सूचना अभी स्वीकार की है उसके लिये हम चाहते हैं कि अगर वह आज ही हो सके तो उसको आज के लिये ही रख दिया जाय जिससे ११ तक उसका असर पड़ जाय ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री उग्रसेन--

शिक्षा मंत्री जी आज कोई वक्तव्य देने वाले हैं अध्यापकों के बारे में तो यह समुचित होगा कि सायंकाल के पहले इस पर आप बहस करा दें ताकि हमारी बात सुनकर वह प्रेस वक्तव्य में कुछ कहें ।

श्री अध्यक्ष--

जो नियम ५३ के अन्तर्गत स्वीकार किया है उसको भी सदन के समक्ष पढ़कर सुनवाये देता हूं ।

"सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह पढ़ देना चाहता हूं कि "राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लगभग पैंतालिस हजार अध्यापकों ने निर्णय किया है कि वह बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में असहयोग करेंगे । इस निर्णय के फलस्वरूप लगभग ५ लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा का भविष्य अनिश्चित है । इस निश्चय का प्रभाव विश्वविद्यालय संबंधित परीक्षाओं पर भी पड़ने की आशंका है । राज्य की लगभग ८ करोड़ जनता इससे चिन्तित है ।

अध्यापकों को उपरोक्त निर्णय विवश होकर लेना पड़ा है । बढ़ती हुई महंगाई और राजकीय विद्यालयों में मिलने वाले वेतन क्रम के अनुरूप इन अध्यापकों की भी मांग है कि सरकार उन्हें पचास रुपया मासिक महंगाई भत्ता दे । केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री तक ने इस मांग को उचित माना है और राज्य सरकार पर अतिरिक्त पड़ने वाले व्यय का आधा भाग स्वयं वहन करने का आश्वासन दिया है किन्तु राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री अपने हठ पर अड़े हुये हैं और अध्यापकों की न्यायोचित मांग पर विचार करने को भी तैयार नहीं हैं । इस गम्भीर स्थिति को पैदा करने की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर है ।

अतः हम उपरोक्त सार्वजनिक और अति अविलम्बनीय प्रश्न पर नियम ५३ के अन्तर्गत विचार करने की सूचना दे रहे हैं ।

ह० चन्द्रजीत यादव
ह० बालोजी अग्रवाल
ह० नेकराम शर्मा"

श्री अध्यक्ष—

माननीय झारखंडेराय जी ने और उग्रसेन जी ने जो सुझाव दिया है उस पर मैं विचार करूंगा । अगर कल यहा परसों के लिये हो सकेगा तो मैं उनसे कह दूंगा ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैंने जो नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना दी है उसको भी पढ़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

उसका मजमून भी वही है जैसा कि मैंने अभी स्वीकार किया है । आप चाहते हैं उसको भी पढ़ दिया जाता है ।

सचिव, विधान सभा—

"प्रदेश के आधारिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालयीन अध्यापकों द्वारा सामूहिक रूप से परीक्षा बहिष्कार के निर्णय एवं सरकार द्वारा उनकी महंगाई भत्ता बढ़ाने संबंधी न्यायोचित मांग को न स्वीकार कर प्रतिशोधात्मक रवैया स्वीकार करने से उत्पन्न जनसाधारण से संबंधित लोक महत्व की सुनिश्चित अविलम्बनीय समस्या पर विचार करने के लिये निवेदन है कि नियमावली की धारा ५३ के अधीन २ १/२ घंटे के लिये विवाद का समय निर्धारित करने की कृपा करें ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

राजकीय एवं गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन एवं सेवा की शर्तों में भारी असमानता व्याप्त है । इस निरन्तर बढ़ती हुई महंगाई के काल में गरीब अध्यापकों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया । इससे सभी अध्यापकों में असंतोष एवं उत्तेजना व्याप्त है ।

अध्यापक अपनी मांगों के लिये काफी समय से आन्दोलन कर रहे हैं । परन्तु सरकार की उपेक्षा पूर्ण नीति ने उन्हें परीक्षाओं का बहिष्कार करने का निर्णय करने के लिये बाध्य कर दिया है ।

अभी तक कोई सम्मानपूर्ण समझौते का मार्ग न निकल पाने के कारण छात्रों के सामने अंधकार छा गया है । अभिभावकों एवं जनता में घोर उत्तेजना एवं असंतोष व्याप्त है ।

शिक्षा मद पर विवाद हो चुका है । अस्तु इस विषय पर विवाद करने का अब कोई समय सामने नहीं है ।

अस्तु निवेदन है कि २ १/२ घंटे का समय विवाद के लिये अवश्य ही निर्धारित करने की कृपा करें ।"

विविध विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, एक सूचना चाहता हूं । कल प्रश्न होंगे अथवा नहीं ? दूसरे देवरिया जिले की फसल की चराई और कटाई के बारे में मंत्री जी जो बयान देने वाले हैं उस पर आप क्या निर्णय दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न कल नहीं होंगे और नियम ५२ के अतर्गत जो सूचनायें हैं उन पर वक्तव्य ५ मार्च को दिया जावेगा । कल के प्रश्न आगामी दिन लग जायेंगे ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

तो अगले दिन के लिये प्रश्नों के लिये समय भी दो घंटे का होना चाहिये ।

१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां तथा अनुदान संख्या २९—समाज–कल्याण

श्री अध्यक्ष—

अब १९६५–६६ के आय व्ययक पर विवाद होगा ।

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत ३,५६,१०,६०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९—समाज-कल्याण के अन्तर्गत ५७,१६,८०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या २८ में ८९ लाख १८ हजार ७०० रुपया नान प्लान आइटम्स का है । २ करोड़ ६६ लाख ९३ हजार रुपया प्लान्ड आइटम्स का है । इसमें जो शिक्षा की योजनायें हैं उनके लिये दो करोड़ ४५ लाख ७८ हजार रुपया खर्च होने वाला है । कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे बजट का ६६ फीसदी रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाता है । इसके पश्चात् जो आर्थिक उन्नति की योजनायें हैं उन पर २९ लाख २० हजार रुपया खर्च किया जाने वाला है । इसके साथ-साथ रहन-सहन के सुधार के लिये जो स्कीमें हैं उन पर ८१ लाख १२ हजार ७०० रुपया खर्च किया जाना है ।

(इस समय १२ बजकर ५४ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए ।)

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम परिगणित जाति के विद्यार्थियों की संख्या को देखें तो पता चलेगा कि वह इन तीनों योजना कालों में बहुत अधिक बढ़ी है । उनकी संख्या प्राइमरी कक्षाओं से लेकर यूनिवर्सिटी तक १० लाख के करीब पहुंच गयी है । कहने का तात्पर्य यह है कि यह संख्या १९५१ के मुकाबले में १९६४ में बहुत अधिक बढ़ी है । इस तरह से प्रारम्भिक शिक्षा में, प्राइमरी शिक्षा में परिगणित जातियों के लिए ५,३७,२०० रुपया खर्च किया जाता है । कक्षा ६ से दसवें क्लास तक के विद्यार्थियों पर संस्थाओं को फीस माफी की वजह से सन् ६४–६५ में ५७ लाख रुपया रि-एम्बर्स करना पड़ा था और अगले साल के लिए ६१ लाख के करीब करना पड़ेगा । अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या १९०० थी उनको वजीफा देने के रूप में २२,६७,००० रुपया खर्च होता था, लेकिन ६५–६६ में इसके लिए ४२ लाख रुपये का प्राविधान है । इसका खास मंशा यह है कि ९वीं और १०वीं में प्रत्येक परिगणित जाति का यानी हरिजन विद्यार्थी जो साइंस लेकर विद्योपार्जन करेगा उसको हर एक को वजीफा दिया जायगा । अगर वह छात्र हाई स्कूल में फिजिक्स, कैमिस्ट्री या मैथमेटिक्स लेकर पास है तो उसको टेक्निकल एजूकेशन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सुविधा हो जायगी । साथ ही साथ जो बाइलोजी साइड से साइंस का विद्यार्थी जायेगा उसके लिए मेडिकल, ऐग्रिकल्चर या और बायोलाजिकल साइंस में ऐडमीशन की सुविधा हो जायगी । इस तरह से नाइंथ, टेंथ क्लासेज में जो भी छात्र परिगणित जाति के साइंस लेकर पढ़ेंगे उनमें प्रत्येक को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गयी है ।

इसके अलावा ६५–६६ में जो भी विद्यार्थी इंटरमिडिएट से लेकर यूनिवर्सिटी तक परिगणित जाति के विद्योपार्जन करेंगे उनके लिए ८२ लाख रुपये की वजीफे के रूप में व्यवस्था की गयी है। इस साल ६४–६५ में ८० लाख का ही विधान था। इसी तरह से पिछड़ी हुई जातियों के लिए करीब १३ लाख ७४ हजार रुपये वजीफे के रूप में दिये जायंगे ६५–६६ में। पिछड़ी हुई जातियों से मेरा तात्पर्य जो है उसका मैं स्पष्टीकरण कर देना उचित समझता हूं। हमारे प्रदेश में करीब ५८ जातियां ऐसी हैं जो पिछड़ी हुई मानी हुई है। ३७ तो हिन्दू हैं और २१ मुसलमान हैं। इसके अलावा भारत सरकार से सवा चार या साढ़े चार लाख रुपया जो वजीफे के रूप में मिलता है वह आर्थिक परिस्थिति के अनुसार मिलता है।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

आन ए प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन। मिनिस्टर साहब ने कहा है कि बैकवर्ड क्लासेज में कुछ कास्ट-हिन्दू भी हैं, तो क्या वह ब्राह्मण या कायस्थ भी हैं या नहीं, वजीफे के परपज से ?

डाक्टर सीताराम—

अभी तो मैं बोल रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। मैंने खुद कहा है कि केन्द्रीय सरकार से जो वजीफे मिलते हैं साढ़े चार लाख के करीब उनमें आमदनी के आधार पर वजीफे दिये जाते हैं, चाहे विद्यार्थी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या कायस्थ हो–हरिजनों को छोड़ करके समाज में चाहे हिन्दू हों या मुसलमान, कोई व्यक्ति क्यों न हो, जिसकी आमदनी सवा सौ रुपये महीने है या १,५०० रुपये सालाना से कम होगी उसको वजीफा मिलेगा। यह भारत सरकार का मैंने बतलाया।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

सवा सौ की आमदनी पर वजीफे का क्यों झूठा एलान कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक नहीं है, आपको मौका मिलेगा।

डाक्टर सीताराम—

इस तरह से नहीं टोकना चाहिए। अगर इन्फार्मेशन न मालूम हो तो मांग लें। खैर, उनको खबर होगी।

औद्योगिक क्षेत्र में तीन स्थानों पर, गोरखपुर, नैनीताल और लखनऊ में परिगणित जाति के छात्रों को १५ फीसदी और ऊंची जाति वालों को भी १५ फीसदी उसमें स्थान दिया जाता है और टेक्निकल आदमी रखे जाते हैं। इसमें कई तरह के ग्रेड्स हैं। अभी डिप्लोमा स्तर पर लखनऊ में आर्यनगर में एक पालिटेक्निक इंस्टीट्यूट सरकार ने खोलने की व्यवस्था कर दी है जिसमें जून या जुलाई के महीने में ऐडमिशन शुरू हो जायगा। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि प्रान्तीय सरकार ने इस नीति को ऐक्सेप्ट किया, उसमें जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जायगी। इसके अलावा आई० टी० आईज भी इस प्रदेश में लेबर डिपार्टमेंट की ओर से चलते हैं। उसमें हरिजन छात्रों को वजीफे के लिए ३,७०,००० रु० का प्राविधान है। इसके अलावा छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय, रात्रि-पाठशालाओं के लिए ८,१०,००० रुपये का अगले बजट में प्राविधान है। पिछले साल ६,०५,००० रुपये का प्राविधान था। इसके अलावा आश्रम टाइप स्कूल कई जगह पर खोले गये हैं जो लखनऊ, हरिद्वार, इलाहाबाद, रामपुर, गोरखपुर, खटीमा, मिर्जापुर, आगरा आदि जगहों में खोले गये हैं। आशा है कि इसी साल गोंडा में भी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जायगी।

[डाक्टर सीताराम]

इस तरह से टोटल बजट का जो खर्चा परिगणित जातियों पर होता है वह करीब ५१,०८,५०० रुपया वजीफे के लिए और डि-नोटिफाइड नाइप्स के लिए १,०७,८०० रुपये खर्च किये जाते हैं और टेक्निकल क्लासेज के लिए इस बजट में २०,३६,००० रुपये का प्राविधान किया गया है। हरिजनों के इकोनामिक अपलिफ्ट के लिए करीब २९,२०,००० रुपये की व्यवस्था है जिसमें काटेज इंडस्ट्री, कृषि का विकास यह सब स्कीमें शामिल हैं। साथ ही साथ समाज का सबसे बड़ा उपेक्षित अंग हमारे वाल्मीकि भाइयों का है, जिनको मकान बनाने के लिए ७ लाख रुपये की व्यवस्था है। इसके अलावा उनकी हालत में किस तरह से और परिवर्तन किया जा सके, उसमें साढ़े ६ लाख की व्यवस्था है। इस तरह से कुल साढ़े तेरह लाख की व्यवस्था है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

प्रत्येक बाल्मीकि पर कितना पड़ जायगा ?

डाक्टर सीताराम—

आप अपने जवाब में कहें। जब तक मैं बोलता हूं तब तक बैठें और सुनें। इसके अलावा आश्रम टाइप स्कूलों के लिये भी १० लाख की व्यवस्था है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे और उनके सुझावों से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। दो-तीन बातें और बतलाना चाहता हूं।

तृतीय योजना में पीने के पानी के कुवों की संख्या १० हजार थी, इनमें से ८,३९० कुवें बने हैं और करीब १ हजार नलकूप भी बने हैं। तीसरी योजना में १२,१३० मकान बनाने का लक्ष्य था। लगभग ५,२०६ मकान भी बने हैं। समाज कल्याण का जहां तक प्रश्न है, उसके अन्तर्गत बाल-कल्याण योजना तथा महिलाओं के कल्याण के लिये काफी धन रखा गया है। महिला कल्याण योजना के अन्तर्गत इस बजट में २६ लाख ९९ हजार की व्यवस्था है। हमारे प्रदेश में १७,२२२ ग्राम सेविकाओं को रखने की व्यवस्था थी। जिसमें से १,६३५ नियुक्त हो चुकी हैं, ५९८ ए० डी० ओ० (वोमेन्स) हैं, ३,३७० ग्रामलक्ष्मी हैं। यह अपने कार्य के सम्पादन हेतु, उन गावों में जाती हैं जहां समाज के बहुत से लोग जाना तक पसन्द नहीं करते। इस विभाग की ओर से एक पुस्तिका भी बटी है, माननीय सदस्य उसको भी देखने का कष्ट करें। हमारे यहां एक ग्राम सेविका कमला अवस्थी है जिनको सर्वोत्तम काम के लिये भारत सरकार तक ने प्रशंसा की है। उनका कार्य अत्यन्त सराहनीय रहा है, जिससे प्रदेश का गौरव बढ़ा है। इनकी कार्य-प्रणाली और कार्य क्षमता दोनों ही ऐसी रही हैं जिनकी प्रशंसा भारत सरकार तक ने की है। कम्युनिटी डेवलपमेंट की ओर से इन्हें इनाम भी मिला है।

इसी तरह बाल कल्याण योजना के सम्पादन हेतु भी ७८,३०० रुपया रखा गया है। इसके लिये एक एडिमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड भी है जो सन् ५६ के ऐक्ट के मुताबिक बना है और अपना कार्य कर रहा है। इस बोर्ड को ५७ हजार की ग्रान्ट भी दी जाती है।

इसके अलावा विडो होम्स तथा अनाथालय आदि के लिये भी ५० हजार की व्यवस्था की है इस बजट में। उसी तरह से इन्टेन्सिव ब्लाक योजना के अन्तर्गत इटावा जिले में एक एक लाख की स्कीम भी चल रही है। उत्तर प्रदेश में बाल अधिनियम कानून १९५१ को कार्य में परिणत करने के लिए ५,३१,७०० रुपये की व्यवस्था की गई है। अपाहिजों और वोकलोगों के लिए ४ लाख ३३ हजार ६ सौ रुपये का प्राविधान किया गया है। ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट आफेन्डर्स जो होते हैं, तरुण अपराधी तो अपराध करते हैं उनको प्रोबेशन अधिकारी की देखरेख में रखा जाता है जिससे कि उनमें कुटेव फिर से न पड़े और वह समाज के ऊपर भार स्वरूप न बन सकें, इसलिए इस बजट में ५ लाख ३४ हजार ९ सौ रुपये का प्राविधान इस काम के लिए है। यह सब मोटे-मोटे आइटम्स समाज कल्याण विभाग के मैंने आपके सामने रखे। चिल्ड्रेन्स ऐक्ट में जो जूवेनाइल जजेज रखे गए हैं

अभी तक वह ६ जगहों पर रखे गए थे, अब इस नये बजट में तीन जगहों पर और उनकी संख्या बढ़ायी जायगी जिसमें मथुरा और गोरखपुर भी शामिल हैं। अप्रूव्ड स्कूल लखनऊ और वाराणसी में हैं जिनमें भी स्टाफ के लिए व्यवस्था की गई है। आब्जर्वेशन होम भी खोले गए हैं, उनकी संख्या ६ थी, उसमें तीन और बढ़ाये जायेंगे। इस तरह से समाज-कल्याण के काम में काफी प्रगति हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की राय को सुनूं और उसके पश्चात् उनकी राय के अनुसार भविष्य में पूर्ण रूप से कार्यवाही की जाय।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, ब्लाकों में बहुत सा रुपया यूटिलाइज नहीं हो पाता रहा है। इसके लिए सरकार ने माननीय आचार्य जुगल किशोर जी की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की है और उस कमेटी की रिपोर्ट शीघ्र ही आने वाली है। मैंने उनसे प्रार्थना की है कि अप्रैल या मई के महीने तक वह अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दें। उनकी जो रिपोर्ट होगी उस पर विचार करने के पश्चात, मैं इस हाउस को विश्वास दिलाना उचित समझता हूं कि डिपार्टमेंट में जहां भी बाटिल नेक्स होंगे उनको ठीक करने की पूरी कोशिश हम करेंगे ताकि सभी कार्यों को सम्पादित करने में पूर्ण रूप से हम समर्थ हो सकें।

एक बात और मैं अनुरोधपूर्वक कहना चाहता हूं कि यह वेलफेयर का विभाग है और इस हरिजन सहायक विभाग को करीब-करीब सब विभागों के सहयोग से काम करना पड़ता है क्योंकि, जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, उसमें शिक्षा अधिकारियों का सहयोग और जो ग्रान्ट वगैरह होती है वह चाहे कुएं के लिए हों या मकानात वगैरह बनवाने के लिए हों, या आर्थिक समस्याओं के हल के लिए हों उनमें काफी और विभागों के सहयोग के बाद ही काम चलता है। इस सम्बन्ध में आज से दो, ढाई महीने पूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी की आज्ञा से सब जिला परिषदों के अध्यक्षों और जिलाधीशों को यह आदेश गए हैं कि हरिजन विभाग में जो भी रुपया अभी तक बाकी है ब्लाकों में वह २८ फरवरी तक खर्च कर दिया जाय और अगर २८ फरवरी तक वह खर्च नहीं होता है तो पहली मार्च से सरकार विचार करेगी कि उस रुपये को हर एक ब्लाक से खींच करके किसी तरह की कमेटी का निर्माण उसके लिए करे, जो यह देखेगी कि किस तरह से रुपया खर्च किया जाय। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि सरकार हर साल बजट में रुपया देती है लेकिन ब्लाक्स में यह रुपया यूटिलाइज नहीं होता है, इसी कारण से इस कमेटी का निर्माण किया गया है। कमेटी बहुत महत्वपूर्ण बातों पर विचार कर रही है। मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद इस कमी को दूर किया जा सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों को सदन की स्वीकृति के लिये रखता हूं और माननीय सदस्य जो भी सुझाव देंगे उनको यथाशक्ति पूरा करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत दोनों अनुदानों २८ और २९ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागों की आलोचना करना और सुझाव देना।

मान्यवर, मंत्री जी प्रति वर्ष बजट पास करा लेते हैं लेकिन वह पूरा खर्च नहीं हो पाता है। १९६२–६३ में १२,६४,००० रुपये का अनुदान तथा १३,९७,००० रु० का समाज-कल्याण का अनुदान—दोनों मिला कर कुल २,६६,१०० रु० था, लेकिन आप खर्च नहीं कर पाये। ६३–६४ में ३१ लाख २० हजार रुपया बजट में कम रखा गया लेकिन ५० लाख १ हजार पिछड़ी हुई जातियों का खर्च नहीं हुआ और दूसरी मद में ६ लाख ३१ हजार रुपया समाज-कल्याण का खर्च नहीं कर पाये और एक और मद है, दुर्भिक्ष सहायता, जिसमें ८ लाख १३ हजार जो गरीबों को मदद मिलती है जिसमें हरिजन लोग ही अधिक होते हैं रुपया खर्च नहीं हुआ। टोटल २० लाख रुपया खर्च नहीं हो पाया। आप सोचिये इस २० लाख

[श्री मन्नालाल]

रुपये से हरिजनों को जो लाभ पहुंचना था वह नहीं पहुंच पाया। ६५–६६ में ३ लाख रुपया बढ़ाने की बात आपने कही है लेकिन वह नाममात्र को ही रखा गया है। बजट में जरूर बढ़ा हुआ दिखा दिया गया है लेकिन वह रुपया गरीब हरिजनों को मिलने वाला नहीं है। इसमें से ३० हजार रुपया आफीसरों पर खर्च किया जायगा, ८१ हजार रुपया जिला स्तर के संगठन पर और २ लाख ३० हजार रुपया अन्य कर्मचारियों के भत्तों पर खर्च किया जायगा। इससे हरिजनों को क्या मिलेगा? इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण कार्यों और शैक्षिक कार्यों पर ३ लाख ५ हजार रुपया काट दिया गया है। यानी जिससे गरीबों को कुछ मिल सकता था उसको भी काट दिया गया है। यह है आपका समाजवाद!

आज आजादी को प्राप्त हुए १७–१८ साल हो गये लेकिन अछूतों को सही रूप में कोई आजादी मिल नहीं पायी है। न उनको सही रूप से राजनैतिक आजादी प्राप्त हुई है, न आर्थिक और न सामाजिक ही। पहले मैं सामाजिक आजादी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। समाज में आज अछूत पहले जिस तरह थे अभी तक उसी जगह हैं। खास कर देहात में उसी जगह हैं, शहरों में तो उनकी हालत कुछ ठीक हुई है। गांवों में आज भी अछूत अपने घर के सामने चारपाई पर नहीं बैठ सकता। किसी किसी गांव में तो कुए से पानी भी नहीं भर सकता है। आज वे वैसे ही अछूत माने जाते हैं जैसे कि आजादी के आने के पहले माने जाते थे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज कितने सवर्ण लोग ऐसे हैं जो आज भी गांवों में जाकर अछूतों के घर में या उनकी थाली में खाना खाते हैं? आज कितने लोग ऐसे हैं जो अछूतों को अपने घर ले जाकर अपने साथ खाना खिलाते हैं? फिर भी ढोल पीटा जाता है कि छुआछूत मिट गया, और जैसे कोई छुआछूत रहा ही नहीं। इतना ही नहीं, आपके द्वारा मैं कुछ उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं। पी० ए० सी० की साम्प्रदायिक विकास समिति के साथ हम लोग माननीय मंत्री जी के जिले में भी गये थे। उसके अध्यक्ष माननीय गुप्ता जी हैं। हम लोग देवरिया जिले के सलेमपुर कसया क्षेत्र तथा बलिया के हनुमानगंज क्षेत्र में भी गये थे। हम लोगों के साथ माननीय उग्रसेन श्री, सुक्खन लाल और श्री रामकिंकर जी भी थे। वहां गांवों में जाकर हम लोगों ने हरिजनों की हालत देखी। देवरिया जिले के जिस गांव को हम लोगों ने देखा उसमें एक हरिजन के मकान को हमने देखा जिसके पास केवल ७–८ हाथ की एक फूस की झोपड़ी थी और उसी में उसके परिवार के १२–१३ सदस्य जानवरों की तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसमें चारपाई डालने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, उसी झोपड़ी में उसके बीबी, बच्चे, बहू, लड़के सब को सोना पड़ता है, उसी में उन सबके बिस्तर, एक तरफ टूटे फूटे बर्तन तथा खाने पीने का सामान रहता है। मैंने समझा कि शायद यह एक घर की ही बात हो, लेकिन मैंने पूरे हरिजन मुहल्ले को घूम कर देखा तो हमें कोई हरिजन मकान ऐसा नहीं मिला जो १० हाथ का भी हो। उसी गांव के एक और हरिजन मकान को देखने गया जिसके दरवाजे पर ही एक कुआँ है। वहां कोरी जैसे लोग रहते हैं। एक रात उस घर का एक लड़का पेशाब करने निकला जो उसी कुवें में जाकर गिर पड़ा और इस तरह से उस घर का एक जवान लड़का मर गया। लेकिन आज तक उसके मरने के बाद भी उसके लिये और कहीं उसके मकान बनाने का प्रबन्ध नहीं किया जा सका और माननीय मंत्री जी को तो उसके लिये आंसू तक नहीं गिरे। हमारी कमेटी ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि उसके लिये कहीं दूसरी जगह झोपड़ी बनाने का प्रबन्ध कर दिया जाय। वहां के प्रधान तथा बी० डी० ओ० से पूछा गया कि उसके मरने के बाद आप में से किसी ने जाकर उसके घर की हालत देखी, तो मालूम हुआ कि वहां पर कोई नहीं गया। इसी से आप समझ सकते हैं कि आज गरीब हरिजनों की हालत क्या है। अगर माननीय मंत्री जी हरिजनों को खाना नहीं दे सकते, उनको रहने के लिये मकान नहीं दे सकते, तो क्या उनको डूबने और मरने से भी नहीं बचा सकते हैं?

इसी ब्लाक के अन्दर माननीय उग्रसेन जी ने समिति की तरफ से एक प्रश्न किया था कि जब से यह ब्लाक बना है, तब से आपके विभाग द्वारा हरिजनों के लिये कितने मकान और छात्रा-

वास बनाने के लिये मदद दी गयी है। इसका उत्तर नहीं आ पाया। एक हरिजन कार्यकर्ता ने, जो हरिजन सहायक समिति का मेम्बर भी हैं, बतलाया कि ग्राम मधवापुर में ५२ हरिजनों के मकान हैं लेकिन उनके पास पानी पीने के लिये न कोई कुआं है और न कोई नल ही है। उसके लिये बहुत प्रार्थना की गयी लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। वे लोग वहां के तालाब का गन्दा और सड़ा हुआ पानी पीते हैं। इसी ब्लाक के अन्तर्गत एक ग्राम डुमरियागंज है जिसमें हरिजनोत्थान के लिये कोई योजनाएं नहीं हैं। वे लोग भी इसी तरह से गन्दा पानी पीते हैं। इसी तरह से हरिजन कार्यकर्ता जिसका नाम रामधनी है उसने हमें बताया कि ग्राम बंजरिया .....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

यह अलग-अलग माननीय नवलकिशोर जी और हरीसिंह जी, अपने स्कूल लगाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से आपस में आप लोग बातें न करें। हरीसिंह जी, बात न करें।

श्री मन्नालाल—

खास कर यह सवर्ण वर्ग ही तो उपेक्षा उनकी करता है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि उनके ब्लाकों में क्या हो रहा है। एक हरिजन कार्यकर्ता रामधनी ने बताया कि उस गांव में मकान बनाने के लिये आवेदन पत्र लिये गये थे, वे स्वीकार किये गये और उनको आश्वासन दिया गया और कहा गया कि अपने मकान गिरा दो, तुम्हें नये मकानों के लिये रुपया दिया जायगा। इस पर उन गरीबों ने मकान गिरा दिये लेकिन आज तक उनके मकान नहीं बने, वे बेचारे पेड़ों के नीचे पड़े हुये हैं। गांव का नाम है जगराम कौड़िया, जहां के ५० हरिजनों के मकान गिराये गये लेकिन आज तक एक भी नहीं बन सका बल्कि उल्टे उनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया और उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया गया। उसी हरिजन कार्यकर्ता ने यह भी बताया कि झूंठी रसीदें बना ली जाती हैं और अंगूठे लगवाये जाते हैं, रुपया नहीं दिया जाता। इस तरह से मंत्री जी के विभाग में चल रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में जिला परिषदों में किताबें जो अछूतों के लिये दी जाती हैं वे मार्च में बंटती हैं। उस वक्त मिलने से गरीब हरिजनों का क्या लाभ हो सकता है? जून तक किताबें पहुंच जाना चाहिय और जुलाई में सब को मिल जानी चाहियें, लेकिन वह नहीं मिल पातीं, बार-बार माननीय सदस्यों ने इस ओर सदन में ध्यान दिलाया है, इधर से और उधर से, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी मंत्री जी ध्यान दें कि आडिट रिपोर्ट के अनुसार वजीफे का पिछले साल में १ लाख २६ हजार रुपया नहीं बंट सका। अगर वह दिया जाता तो गरीब हरिजनों को बहुत लाभ होता। इसी तरह से कुटीर उद्योग का ३ लाख रुपया बच गया, अन्य शिक्षा में भी १ लाख७२ हजार रुपया बच गया। प्रशिक्षण क्षेत्र में भी ७ लाख ९५ हजार बच गया। ५० कुओं की भी बहुत बड़ी रकम यह बच गई और कुयें नहीं बन सके। इस तरह से हरिजनों की मद में ही २५ लाख ८० हजार की बचत हुई और वह पैसा खर्च नहीं हो सका। अगर यह खर्च होता तो उससे कुछ न कुछ गरीब हरिजनों को लाभ हो सकता था। क्या इसमें मंत्री जी दोषी नहीं हैं? वह इसके लिये जिम्मेदार हैं अगर वह कड़ाई के साथ इस पर नजर रखते तो इस तरह से इतना भी पैसा न बचता। आपने इस बचत के लिये किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और न कोई नोटिस निकला, अगर यह निकलता तो जरूर कुछ रुपया इस्तेमाल हो सकता था। मंत्री जी कहते हैं कि हरिजनों के लिये सब कुछ किया गया लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि उनका कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ हुआ है उसको हम मानते हैं। वजीफा समय से नहीं मिलता जो समय से मिलना चाहिये, हर विद्यार्थी को अक्तूबर में वजीफा अवश्य मिलना

[श्री मन्नालाल]

चाहिये और उसके बाद हर मास में मिलना चाहिये लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हाई स्कूल में बच्चों को जो माननीय मन्त्री जी ने साइन्स वालों को वजीफा देने का वादा किया, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हाई स्कूल में साइन्स तक कैसे लड़के पहुंच पायेंगे, जब कि वे नीचे से कोई दर्जा पास कर के नहीं आयेंगे। नीचे की भी कक्षाओं मे उन्हें वजीफा मिले, तब वे हाई स्कूल में साइंस लेकर काम कर सकते हैं।

जूनियर हाई स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों की दशा बहुत दयनीय है। मैं तो यह कहता हूं कि सारे प्रदेश में यह बात हो गयी है कि जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूलों के बहुत लड़के सरकारी लोटा-बालटी में पानी आज भी नहीं पी सकते, यही है आपका समाजवाद। सार्वजनिक स्थानों में भी आप छुआछूत नहीं दूर कर पाये। आज हरिजन बालकों के छात्रावास अलग हैं। सवर्णों के साथ परिगणित जाति के छात्रों को आज भी स्थान नहीं मिलता। उपाध्यक्ष महादय, कालेजों में और युनिवर्सिटीयों में शुरू में लड़कों का प्रवेश हाना कठिन होता है, मैंने कई बार माननीय मन्त्री जी से भी आग्रह किया, दाखला नहीं होता, इसी जूलाई में, माननीय मन्त्री जी जो कि हरिजन हैं, चौधरी गिरधारी लाल जी, उनके पास मैं गया, मेरे साथ ३५ युनिवर्सिटी और कालेजों के लड़के भी थे, जिनका दाखला नहीं हो रहा था, मैं ने उन से कहा कि इन गरीबों के लिए टेलीफोन कर दीजिये। इस पर चौधरी साहब कहते हैं कि कोहली साहब से मिल लीजिये। मैं ने पूछा कि कोहली सहाब कौन हैं, वे कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

वह तो चाहते हैं कि विभाग टूट जाय।

श्री मन्नालाल—

मैं ने उनसे कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल से मिलकर क्या दाखिला हो सकेगा युनिवर्सिटी में। मैंने बच्चों से कहा कि आप लोग वापस जाओ, अपने-अपने भाग्य पर आश्रित रहो। मैं माननीय मन्त्री जी को एक बात और बतला देना चाहता हूं कि आप के आदेश होने के बावजूद जूलाई में इसी साल डेढ़-डेढ़ सौ, १३९ रुपये लिये गये, मैं उदाहरण के तौर पर शिया कालेज की बात कहता हूं, वहां पर १३९ रु० में दाखला कराया, कान्यकुब्ज कालेज का यही हाल है। इसके साथ-साथ एक बात मैं और इसी सम्बन्ध में रखना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने बहुत डींग हांकी कि मैं इन हरिजन बच्चों के लिए बहुत कुछ करता हूं। एक उदाहरण है लखीमपुर खीरी का जहां नैपाल की तराई में रहने वाले थारू, मुकसा, भोटिया, भील, कोल, कोरिया, गोंड, खरबार आदि के बच्चों के सुधार के लिए स्कूल खोला जा रहा है, वह स्कूल इन जातियों के आस-पास गांवों में न खोल कर के लखीमपुर-खीरी शहर में खोलना चाहते हैं। मैंने माननीय मन्त्री जी को सितम्बर में एक पत्र लिखा था। अखबारों में भी वह निकला था। आप उस पर क्या कर रहे हैं? मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन बच्चों के मां-बाप अपना काम-काज छोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ८०-९० मील लखीमपुर-खीरी कैसे आयें, उन की रहने की व्यवस्था करें। यह आप की कौन सी सहानुभति है अछत के प्रति? इतना ही नहीं कल ५-७ विद्यार्थी मेरे पास आये थे, उन्होंने मुझे बताया कि और जगह की बात तो दूर रही, यहां बख्शी के तालाब की हालत इतनी दयनीय है कि वहां का प्रिंसिपल, उन को मेहतर, चमारदास, पसिया आदि नाम कहकर पुकारता है। वे इस तरह से अपमानित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में एक दरख्वास्त माननीय मन्त्री जी की भी आयी है, मैं उस की तारीख बाद में बता दूंगा।, रजिस्टर्ड आई है लेकिन क्या उस पर माननीय मन्त्री ने कोई कदम उठाया है? वहां के प्रिंसिपल जो हैं, जो समाज कल्याण विभाग की गाड़ी हैं उस गाड़ी को लेकर अपने निजी काम के लिए, सैर के लिए दिन-दिन भर गायब रहते हैं। अगर मन्त्री जी चाहे तो मैं तारीख बता सकता हूं जिस

तारीख को उन्होंने जिस टंकी पर मोटर के लिए पेट्रोल लिया और काम सरकारी दिखाया गया लेकिन वास्तव में उसको निजी खर्च में लाया गया। मुझे उम्मीद है कि डाक्टर साहब उस को भी सुनी अनसुनी कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अनसुनी न कीजिये। यदि आप इस विभाग को पवित्र रखना चाहते हैं तथा निष्पक्षता से अपना कार्य करना चाहते हैं तो इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाइये तथा जांच कराइये।

अभी २६ जनवरी को झंडा रोहण के लिए उन्होंने लड़कों को साढ़े ८ बजे का समय दिया। लेकिन प्रिंसिपल महोदय ८ बजे ही वहां पहुंच गये और अकेले ही झंडा लगा दिया। जब साढ़े ८ बजे लड़के आये तो लड़कों से कहा गया तुम गधे हो, देशद्रोही हो, तुम्हारा मुंह काला कर के और गधे पर बैठाकर शहर में घुमाया जायगा। इस सम्बन्ध में आप के पास रिपोर्ट आयी है। इतना ही नहीं, वहां के प्रिंसिपल ने इस साल जब जनवरी में दाखले होने चाहिये उसने पूरे दाखिले भी नहीं किये। अभी तक १०८ जगहों में से केवल ४२ लड़कों का दाखिला किया। क्यों? कारण मैं बताता हूं। दूर-दूर से गरीब लोग किसी प्रकार उधार लेकर, जेवर गिरवी रख कर रुपये का प्रबन्ध कर के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहां भेजते हैं लेकिन उन से कहा जाता है कि तुम्हारे बस की यह चीज नहीं है, तुम वापस जाओ। इस तरह से वह गरीबों के लड़के परेशान होते हैं। इस में एक खास मकसद है जिस लिए ऐसा किया जाता है और वह यह है कि प्रिंसिपल महोदय चाहते हैं कि राय बरेली या अन्य के पास के जो जिले हैं, उन में जो उन के परिचित लोगों के कैन्डीडेट हैं उन्हीं को अपने अधिकार से उन जगहों पर भर्ती करें। इसीलिए अपरिचित लोगो के लड़कों को, जो बेचारे बड़ी मुश्किल से कहीं से प्रबन्ध कर के यहां दाखिले के लिए दूर-दूर से आते हैं, वापस कर दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसकी जांच करायें। प्रिंसिपल महोदय का नाम श्री जी० के० सिन्हा है।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी का ध्यान आर्थिक समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। आर्थिक समस्या हरिजनों की काफी विकट है, जिसके कारण उनको जीवित रहना दूभर हो रहा है। मन्त्री जी ने कुछ कुयें और मुर्गी पालन के लिए रुपया दे दिया तथा छोटे-छोटे उद्योगों के लिए दे दिया, सिलाई की मशीन, लुहारगिरी और बढ़ईगिरी के लिए अनुदान दे दिया या कर्जा दे दिया, इससे इन लोगों का भला नहीं होने वाला है। अगर आप वास्तविक रूप में उन की सहायता करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप हरिजनों को जमीन दें। आप कहेंगे कि जमीन कहां से आये। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गोविन्द सहाय, माननीय राममूर्ति आदि के पास हजारों एकड़ की फार्म्स हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जमींदारी समाप्ति के बाद इतनी जमीन इन लोगों के पास कहां से आयी।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)––

माननीय शारदा भक्त सिंह जी से कहिये, उनके पास भी है।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)––

अगर मेरे पास जमीन हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं।

श्री मन्नालाल––

मैं तो सब के लिए कह रहा हूं चाहे वह माननीय शारदाभक्त सिंह हों या राजा साहब जौनपुर हों। अगर आप इन सब से जमीन ले कर ५ एकड़ जमीन एक-एक गरीब हरिजन को दे दें तो फिर वह आप की सहायता की परवाह नहीं करेगा। इतनी जमीन में ही वह सब कुछ कर सकता है और उसका आर्थिक स्तर ऊपर उठ सकता है। इस लिये मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी एक जांच कमेटी नियुक्त करें जो यह पता लगाये कि सीलिंग में कितनी जमीन निकली, कितनी

[श्री मन्नालाल]

जमीन जमींदारी अबालिशन के बाद निकली और कितनी चकबन्दी होने के बाद ग्राम समाज की जमीन निकली। उन को मालूम होगा कि लाखों एकड़ जमीन इस तरह से निकलती है। अगर सब लोग उधर के बैठने वाले, सरकारी पक्ष के, और हमारे माननीय मन्त्री जी चाहते हैं, तो उन गरीबों को उस में से जमीन दे सकते हैं। आज जो जमीन निकलती है वह उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जो एक-एक और डेढ़-डेढ़ हजार एकड़ के फार्म बना लेते हैं। उन गरीबों को तो मकान बनाने के लिए ७–८ हाथ जमीन भी नहीं दी जा सकती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या कल्याण कर रहे हैं। मैं पूर्ण आशा करता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय गरीब हरिजनों को जमीन दिलवायेंगे।

ग्राम समाज की तरफ से कुछ ठेके दिलाये जाते हैं, जैसे मछली मारने, नदियों के पार कराने के ठेके, जैसे, नाव वगैरह के, तो उन को भी मन्त्री महोदय अपने पूंजीपतियों और दलालों को दिलाया करते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि वे उन को न दिया करें बल्कि जो शेड्यूल्ड हैं, उन को ही दिये जायं। केवट को नाव वगैरह के ठेके दिये जायं। चमड़े का ठेका ब्राह्मण आदि को न दिया जाय, जो उस बेचारे चमार से काम लेते हैं और हजारों और लाखों रुपया कमा लेते हैं। इस तरह से इन सब चीजों को रोकने के लिए आप प्रयास करें। जब तक ये क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाये जाते, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मन्त्री महोदय, अगर आप मन्त्रि-पद से त्याग-पत्र दे दें और नेता बनें और एक आन्दोलन खड़ा करें तो उन गरीबों की समस्या को आप हल कर सकते हैं। इस तरह से अनुदान देने से या भीख मांगने से समस्या हल नहीं हो सकती है। जब हमारी मुट्ठी में ताकत होगी, हम में बलिदान करने की शक्ति होगी, तभी हमारी उन्नति हो सकती है, अन्यथा नहीं। आज इन छोटे-छोटे और थोड़े-थोड़े अनुदानों से हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। दुःख है कि आज हमारे अछूतों में कोई नेता नहीं दिखायी देता। एक नेता था जिस ने बलिदान कर दिया है, उसकी वजह से आज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो नेता हैं, वे आज कुर्सी के लालच में पड़कर उधर बैठना चाहते हैं। आप तो ३ लाख के बंगलों में रहते हैं। छोड़िये इनको; और गरीबों की झोंपड़ियों में चलिये, उनकी दशा को देखिये, तब आपको पता लगेगा कि उनकी क्या हालत है।

(लाल बत्ती होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप जल्दी कीजिये। आज केवल हरिजन ही बोलेंगे। आप २ मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिये।

श्री मन्नालाल—

श्रीमन्, गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में २५ से ४५ तक का प्रतिशत बढ़ाने की बात कही थी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप ने कितना कोटा पूरा किया। इस सदन में मैंने सन् १९६४ में एक लोक महत्व का प्रश्न रखा था। पी० एन० टी०, कानपुर तथा लखनऊ में हरिजनों के ११ स्थान पर दूसरे सवर्णों को रख दिया था और प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि बैकवर्ड और शैड्यूल्ड कास्ट एक ही हैं। माननीय मन्त्री जी कोई रूस या अमरीका के रहने वाले हैं जो शैड्यूल्ड कास्ट को नहीं जानते? फल यह हुआ कि बाद में ५ लिये गये। अब उन में से एक हरिजन ने टाप किया था और उसको जनरल की सूची में जाना चाहिये था, उसको भी रिजर्व्ड की सीटों में लिया गया। दूसरे हमारा परसेंटेज कोटा पूरा नहीं किया गया। हर जगह २५ से ४५ किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया है। आधा घंटा हो चुका है।

कुछ सदस्य—

बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप इनको बुलवायेंगे तो और लोग कहां जायेंगे?

श्री मन्नालाल—

उधर वाले यह कहते हैं कि जनसंघ पार्टी राजा महाराजाओं की है, इसमें हिन्दुत्व की भावना ज्यादा है। मैं बतलाना चाहता हूं कि मेरी पार्टी जन संघ का आराध्य कौन है। हरिजन की आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज में ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुये व्यक्ति नहीं बल्कि सब से नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। आज देश में ऐसे करोड़ों मानव हैं जो मानव के किसी भी अधिकार का उपभोग नहीं कर पाते। शासन के नियम और व्यवस्था में, योजनायें, और नीतियां, प्रशासन का व्यवहार और भावना इनको अपनी परिधि में लेकर नहीं चलतीं। प्रत्युत उन्हें मार्ग का रोड़ा ही समझा जाता है। हमारी भावना और सिद्धान्त है कि यह मैले, कुचैले, अनपढ़ मूर्ख लोग हमारे नारायण हैं। हमें इन की पूजा करनी है। यह हमारा सामाजिक एवं मानव धर्म है। यही नहीं, विवेकानन्द ने भी कहा है कि देवी, देवताओं, को ५० साल तक ताक पर रख दिया जाय और इन हरिजन दरिद्रनारायण की सेवा की जाय तभी हमारा, देश का तथा समाज का कल्याण हो सकेगा। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

बोलने वाले अधिक हैं, इसलिये अब से हर सदस्य को ८, ८ मिनट मिलेगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

बोलने वाले अधिक हैं तो रात के ८ बजे तक का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

समय बढ़ाने का सवाल अभी नहीं उठता।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्ववक्ता का भाषण सुन रहा था। मैं यह समझा कि जितनी बातें विरोधी दल की तरफ से सदन तथा सदन से बाहर, समय बे समय, कही जाती हैं अगर उन को कार्यशैली में परिणित किया जाता तो शायद हरिजनों का अधिक कल्याण हो पाता। केवल हरिजन समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लच्छेदार भाषण देने से काम चलने वाला नहीं है। सरकार के पास जो साधन हैं, सन् १९४७ से आज तक जब से यह जन-तन्त्रीय कांग्रेस सरकार बनी है तब से उसने शनै शनैः न जाने कितना धन इस सम्बन्ध में व्यय किया है और हरिजन समाज की प्रगति के लिए बराबर प्रयास किया है। जब कांग्रेस सरकार नहीं भी थी और वह स्वतन्त्रता आन्दोलन चला रही थी उस जमाने में भी अपनी नीतियों में से हरिजनोद्धार की एक नीति मान कर कांग्रेस ने गांव-गांव, घर-घर आन्दोलन चला कर हरिजनों के लिए कार्य किया और आज भी उसे वह कर रही है। अगर विरोधी दल भी गैरसरकारी रूप से उसी प्रकार कुछ कार्य करें तो शायद उस से बहुत लाभ हो। मैं ने देखा है कि आज गांव में हरिजन लोग अस्पृश्यता से पीड़ित हैं, जो विरोधी पार्टीज के सदस्य हैं, वही अधिकतर हरिजन समाज को तंग करते हैं।

श्री शारदाभक्तसिंह---

आप शासन में बैठे क्या कर रहे हैं ?

श्री मैनेजरसिंह---

आप गुरू जी के भाषण से बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं।

श्री मुरलीधर कुरील---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें जो साहित्य बंटा है, उसमें कहा गया है कि प्रदेश में हरिजनों की जन संख्या करीब-करीब २१ प्रतिशत है और आदिवासी पूरे हिन्दुस्तान में जितने है, उसके आधे आदिवासी करीब-करीब उत्तर प्रदेश में हैं। इसी तरह से यहां पर पिछड़ी हुई जातियों की संख्या भी काफी है। इन सबको मिला कर इनकी संख्या कुल संख्या का २/३ जन संख्या हो जाती है और १/३ जन संख्या उनकी हो जाती है जो शोषण करने वाले हैं। अब मैं कहना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी संख्या हो जाती है तो उनके लिए जो अनुदान करीब २ करोड़ रुपये तक का रखा गया है वह अपर्याप्त है। इसके माने यह हैं कि २ प्रतिशत धन जो है, वह इस सम्बन्ध में खर्च किया जा रहा है, जबकि उनकी जन संख्या कुल का २/३ है। इसके माने यह हैं कि इस वर्ग पर अब उस अनुपात में व्यय नहीं हो रहा है, जिस अनुपात पर व्यय किया जाना चाहिये। माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि १२५ रु० के वे कम मासिक आय वाले गैर हरिजनों के जो बच्चे हैं, उन्हें भी छात्रवृत्ति दी जायगी। मुझे इसमें खुशी है, मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि १२५ रु० से कम मासिक आय वाले जो हरिजन हैं उनके बच्चे भी इसी के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के लिए गिने जायं, जनरल में। उनको अलग से केवल हरिजन ग्रान्ट के अन्तर्गत ही न रखा जाये। उनके साथ हरिजनों को भी जोड़ दिया जाये।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो कानून बना हुआ है, उस पर कहां तक अमल हो रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में पिछली बार १ शिकायत भेजी कि विधनू थाने के एक हरिजन के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। उसको सवर्ण वर्ग के कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। उसकी शिकायत को दूसरी दफाओं में दर्ज किया गया, किन्तु असली बात नहीं लिखी गयी। बल्कि उल्टे उनके खिलाफ १०७ के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष---

८ मिनट दिये गये हैं, उसमें आप बोल लें। जल्दी करें।

श्री मुरलीधर कुरील---

इस तरह से पुलिस विभाग इस ओर सही रूप में ध्यान नहीं दे रहा है। इसके साथ-साथ मुझे यह भी कहना है कि जो हरिजनों के हित की योजनायें आपने पिछले दिनों बन्द कर दी हैं, जसा कि आपने बताया कि ११ हजार भवन बनने चाहिये थे किन्तु उनमें से ५ हजार ही बने और ७ हजार रोक दिये गये, इन सारी योजनाओं को फिर से शुरू किया जाना चाहिये, यह ७ हजार मकान भी शीघ्र बनाये जाने चाहियें। जो धन पिछले समय में सभी विभागों और योजनाओं के सम्बन्ध में बांट दिया गया था, तो जब सब विभागों को धन अब मिल रहा है तो इस विभाग को भी धन दिया जाना चाहिये। इस योजना को इस तरह से पूरा करके पूर्ण करने की कोशिश की जानी चाहिये।

हरिजनों में जो आपका प्रचार कार्य है वह भी नहीं के बराबर है। आपकी योजना है कि जो ग्राम हरिजन अस्पृश्यता निवारण में उपयुक्त साबित हों उनको पुरस्कार दिया जाये। मैं समझता हूं कि उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। जिन गांवों को आपने पुरस्कार दिया है, उनमें से किसी एक गांव को आप बता दीजिये कि वहां पर मूल रूप से अस्पृश्यता विवारण हो गया है, सभी जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं और वहां पर हरि-

जनों और गैर हरिजनों में कोई भेदभाव नहीं है। और यदि ऐसा नहीं है तो इन गांवों के पुरस्कृत किये जाने से क्या लाभ है? अच्छा हो कि वह धन सारा हरिजनों के लिए प्रचार कार्य पर ही खर्च किया जाया करे। हरिजन विभाग के प्रचारक को आप ५० रु० मासिक देते हैं, किन्तु ५० रुपये में कोई आदमी कितने दिन खा सकता है, इत ने रुपये में कितने दिन तक कोई दौरा कर सकता है? जब कि आप समाज कल्याण विभाग के जो प्रचारक हैं उन्हें १०० रु० मासिक देते हैं। यह असमानता क्यों है?

नौकरियों में कहा गया कि हमने १८ प्रतिशत से अब २५ प्रतिशत या ४५ प्रतिशत कर दिया है। पिछले दिनों आपने इस संबंध में एक डिप्टी डाइरेक्टर की नियुक्ति की थी जो सब विभागों में देखेगा कि वह परसेंटेज पूरा हो रहा है या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि उन डिप्टी डाइरेक्टर महोदय के पास से कोई रिपोर्ट आई या नहीं कि किन विभागों में कितने स्थान रिक्त हुए और उनमें कितने हरिजन लिये गये। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आयी जिससे यह जानकारी होती कि क्या हुआ। मैं समझता हूं कि काम नहीं के बराबर हुआ है। जिला परिषदों ने चुनाव कमेटियां बनायी हैं; जो अध्यापकों और सेक्रेटरियों को परिषद् में रखने की बात होगी उसमें हरिजनों को भी रखना चाहिये था। जिला विभागों और प्रान्तीय विभागों से मांग होती है कि उसमें जो नीचे की नियुक्तियां होती हैं उसके लिये सेलेक्ट कमेटी बनी हुई है उसमें हरिजन प्रतिनिधि भी रखे जायं जिससे वह यह देखे कि वहां जो हरिजनों के लिये संरक्षण है वह पूरा होता है या नहीं; इसके उलटे जो लोग रखे जाते हैं उससे ज्यादा निकाल दिये जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर्स और बी० डी० ओ० के लिये मिसाल के तौर पर देखिये कि वहां जितने हरिजन भर्ती किये गये इससे ज्यादा निकाल दिये गये।

छात्रवृत्ति के संबंध में मैं कहता हूं कि प्राइमरी कक्षाओं में पुस्तकों आदि के बारे में जो धन दिया जाता है वह बेकार जाता है। जिला स्तर पर छोटी-छोटी कमेटियां बननी चाहिये जो इसका वितरण करने में यह देखें कि कार्य समय से पूरा होता है या नहीं इस धन को न म्यूनिसिपैलिटीज न जिला परिषदें ठीक समय पर उपयोग करती हैं बल्कि सारा रुपया बेकार हो जाता है। इसके साथ-साथ पिछले वर्ष यह कहा गया था कि ब्लाक की मार्फत जो धन बंटवाये जाते हैं उनके वितरण के लिये जिला में छोटी कमेटियां होंगी। उनमें हरिजन रखे जायेंगे लेकिन वह योजना पूरी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? यह मेरी समझ में नहीं आता कि जब वादों को पूरा नहीं किया जाता तो ऐसे वादे क्यों किये जाते हैं। एक मूल्यांकन कमेटी बनी थी। उसने देखा होगा कि लाखों रुपया ब्लाकों में पड़ा है, वह खर्च नहीं हुआ। तो उस रुपये को खर्च करने के लिये जैसे पहले छोटी कमेटियां थीं वैसी बनायी जायं। छात्रवृत्ति के वितरण के लिये जो रकम रखी जाती है वह जिलों में हरिजनों की आबादी के अनुसार वितरित की जाय जिससे अधिक से अधिक लड़कों को उसका लाभ मिल सके। कानपुर इतना बड़ा नगर है, वहां हरिजनों की काफी आबादी है। पहले वहां पर जिला की २ हरिजन सीटें थीं; अब आबादी बढ़ने के कारण ३ होने जारही है लेकिन आजतक कोई ऐसी योजना जो सामुदायिक योजना है छोटे जिलों में हरिजनों के अन्दर बाल कल्याण और महिला कल्याण की जैसी संस्थायें है वह भी कानपुर में नहीं है। वहां पर जो विद्यार्थी विद्यालयों में पढ़ते हैं, छात्रावास नहीं है जब कि हमारी मांग बराबर इस संबंध में चली आ रही है कि ऐसा छात्रावास वहां अवश्य हो जिसमें १५० से २०० तक विद्यार्थी रह सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, पूज्य गांधी जी की त्याग तपस्या के फलस्वरूप यह देश पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुआ और स्वतंत्र हुआ किन्तु क्षोभ है कि अब तक जो इस देश के मूलवासी

[श्री नत्थाराम रावत]

हैं, आदिवासी हैं, भग्नावशेषों के इतिहास बता रहे हैं, वे आज भी धनियों की पराधीनता में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक असमानता की घृणित यातनायें भोगकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जो प्रदेश में अनाज पैदा करता है, जो हल चलाता है वह भूखे हैं; और जो आज मकान बनाता है वह गृहविहीन हैं; जो कुंआ बनाता है उसके लिये पीने का पानी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने काम इस तरह के होते है, यानी श्रमवाले, वह सब हरिजन ही करते है लेकिन उसका फल वह नहीं भोग पाते। फल भोगने वाले दूसरे लोग होते हैं जो मुफ्तखोरे हैं। यहां पर बड़ी बातें की जाती हैं कि सरकार यह कर रही है और वह कर रही है लेकिन अगर बाहर देखा जाय तो प्रत्यक्ष में कोई नजर नहीं आता है। शिक्षा की तरफ अगर देखा जाय तो प्रत्येक वर्ष बड़ी लम्बी रकम छात्रवृत्ति के लिये दी जाती है लेकिन होता यह है कि प्रत्येक माह में विद्यार्थी को छात्रवृत्ति न देकर साल के आखिर में इकट्ठा दी जाती है। उससे यह होता है कि वह छात्र अपनी पढ़ाई को सन्तोषजनक रुप से नहीं चलाने के कारण वह पढ़ाई को छोड़कर चला जाता है या कहीं से कर्जा लेकर अपनी पढ़ाई को किसी तरह से जारी रखता है। किताबों की यह दशा है कि शिक्षा का कार्यकाल जुलाई में शुरू होता है; किताब खरीदकर उसको तब दी जाती है जब कि इम्तहान शुरु होने को होता है। इस तरह से वे किताब या तो रद्दी की टोकरी में फेक दी जाती हैं या उसके लिये वह बिलकुल बेकार हो जाती हैं। किताबें उस समय खरीदनी चाहियें जब कि शिक्षा का कार्यकाल शुरू हो। यहां पर कहा जाता है कि हरिजनों का उद्धार हो रहा है। अगर बाहर देखा जाय तो आपको पता चलेगा कि दरवाजे पर चारपाई बिछाकर हरिजन बैठ नहीं सकता है। अगर यह देखा जाय कि बाजार में वह जाय और वहां पर बाल नाई से बनवाले तो वह नाई उसके बाल बनाने के लिये तैयार नहीं हैं। गांवों की यह हालत है कि दूसरे लोग हरिजनों को कुंयें से पानी नहीं भरने देते हैं। सरकार की तरफ से जो अनुदान की सहायता देकर कुए बनाये जाते हैं उनसे भी लोग पानी हरिजनों को नहीं भरने देते हैं क्योंकि वे ऐसी जगह पर बनाये जाते हैं जहां पर हरिजन बिलकुल नहीं रहते या थोड़े बहुत रहते हैं। जहां पर कुंओं की जरूरत होती हैं वहां पर कुंये नहीं बनते हैं और वहां पर बनते हैं जहां पर उनकी जरूरत नहीं होती है। ऐसी जगह पर वे बनाये जाते है जहां पर बहुत कम हरिजनों की आबादी होती है।

नौकरी के लिये १८ प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं, कहा गया है कि २५ प्रतिशत उनकी बढ़ोत्तरी हो गयी है लेकिन अगर देखा जाय तो कहीं पर भी १, २ प्रतिशत से अधिक हरिजन नहीं मिलते हैं और उसमें भी यह होता है कि उनको इस तरह से तंग किया जाता है या लान्छन लगाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद विवश होकर वे भाग जाते हैं या निकाल दिये जाते हैं। छुआछूत मिटाने के लिये बड़ी-बड़ी योजनायें बनाई जाती हैं। हर चीज शुरु होती है अपने घर से, इसी सदन को आप देख लीजिये जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं और हरिजन कल्याण पर विचारकर रहे हैं। यहां पर पानी पीने की जो व्यवस्था है वह दो तरह से चल रही है। एक तरफ कुल्हड़ रखे हुए हैं और दूसरी तरफ गिलास रखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां सदन में सब के साथ एक सा ही व्यवहार होता है।

श्री नत्था राम रावत —

कुल्हड़ों में पैसा अधिक खर्च होता है और गिलास में बहुत कम पैसा खर्च होता है। कुछ भाइयों से हमने इसका चर्चा भी किया कुछ लोग जो हरिजनों से परहेज करते हैं, खुलकर नहीं कहना चाहते पर यह कहते हैं कि यह इसलिये किया जाता है कि इससे बीमारी का डर है; सफाई के खयाल से ऐसा किया जाता है। हमारी समझ में नहीं आता है कि यह सफाई उनके लिये ही हैं या औरों के लिये भी है। समाज के कल्याण के लिये बहुत बड़ी रकम

खर्च की जाती है लेकिन जब से कांग्रेस के हाथ में शासन आया है तब से देश प्रदेश के अन्दरवेश्या-वृत्ति बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है। जिसको यकीन न हो वह इसी लखनऊ नगरी में जाकर देख ले कि जिनका पेशा वेश्या-वृत्ति था उनको यहां तो यह काम था ही लेकिन जो इस काम से हिचकते थे और जिनके यहां यह काम नहीं होता था अब वे भी पेट पालने की गर्ज से विवश होकर यह काम करने लगे हैं ।

यह कहा जाता है कि हरिजन उत्थान हो रहा है, सामाजिक उत्थान हो रहा है और जब कोई आता है तो उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि उसको देखकर उसकी आंख चकाचौंध हो जाती हैं लेकिन वास्तविकता कुछ और है । आज देश प्रदेश में हरिजन समिति बनी हुई है हरिजन कल्याण के लिये लेकिन गांव स्तर से लेकर, विकास क्षेत्र से लेकर प्रदेश के स्तर पर कहीं भी आप जायं हर जगह वही लोग बहुमत में हैं जिन्होंने आज हरिजनों को नीच दरिद्र, शूद्र बनाया है । होना यह चाहिये था कि हरिजन कल्याण समितियों में हरिजनों का ही बहुमत होता । मैं तो यह चाहूंगा कि उन संस्थाओं के अध्यक्ष तथा मंत्री भी हरिजन ही हों । प्रदेश और जिले के स्तर पर जो अधिकारी रखे गये हैं उनमें हरिजन कल्याण अधिकारियों को हरिजन वर्ग का ही होना चाहिये । हमारे यहां बाराबंकी में लगभग ४८ जूनियर हाई स्कूल हैं, लेकिन उनमें एक दो को छोड़ कर किसी स्कूल में भी प्रधानाध्यापक हरिजन नहीं हैं । मैं चाहूंगा कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाय ।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे हरिजन अनुदान पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका अनुगृहीत हूं । हमारे देश और प्रदेश में हरिजनों की एक विशाल और जटिल समस्या है। साढ़े ७ करोड़ जनता के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं और यह समस्या सभी से संबंधित है। कांग्रेस, जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट तथा दूसरे दलों के प्रतिनिधि इस समस्या पर उदारतापूर्वक विचार करें तो पता चलेगा कि यह सभी की समस्या है । यदि इस देश और प्रदेश का एक बड़ा वर्ग कमजोर रहता है तो उससे हमारे देश की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती । यदि अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा और मजबूत करना है तो हमें इस दलित वर्ग को जो अपढ़ और अपंगु है बराबर उठा कर अपने साथ चलाना होगा ।

इस देश में तीन पंचवर्षीय योजनायें बनीं और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस पुस्तक की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उपरोक्त जातियों के उत्थान के लिये शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं में जो कार्यान्वित की गयी थी परन्तु आर्थिक एवं अन्य कठिनाइयों के कारण उसमें समस्या का पूरा समाधान सम्भव नहीं हो सका । यह जो ३,५६,१०,६०० रुपये का अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत है वह हरिजनों के लिये हैं । हरिजनों के समाज की जन संख्या जनगणना के अनुसार १,५५,९९,८८१ है । यदि हम इस अनुदान को उनमें बांट दें तो प्रति व्यक्ति करीब २ रुपये कुछ पैसे पड़ता है और इन अनुदान में हरिजनों के सारे कार्य सम्मिलित हैं । २ रुपये कुछ पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से उस समाज में जिसे निरीह कहा जाता है, जिसमें शिक्षा कम है, जिसके सदस्यों के पास मकान नहीं है, खेती के लिये जमीन नहीं है, उद्योग धंधे नहीं हैं, कैसे यह समस्या सुलझ सकेगी और कैसे उनका उत्थान हो सकेगा, मुझे इसमें बड़ा भारी संदेह है । अब मैं यहां पर साढ़े सात करोड़ जनता के प्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस पर जरा गौर से सोचें ।

अभी जिक्र हो रहा था जाति-सूचक शब्दों का । मैंने १९६२ में निवेदन किया था कि जाति-सूचक शब्द विधान सभा की गैलरियों में लगे हुए हैं जो कि लोगों के नाम के पीछे लिखे जाते हैं । एक तरफ हम वर्गविहीन समाज बनाना चाहते हैं, जातियों के भेद को मिटाना चाहते हैं, उग्रसेन जी, आपको भी छोड़ना होगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं सूचना के लिये बता दूं, सन् ४७ में बम्बई में एक आन्दोलन चला था, श्री कान्त नायर उसमें थे। पहले आप अपने यहां से जो ये चन्द्रभानु गुप्त, कमलापति त्रिपाठी, हुकुम सिंह विसेन, आदि लिखे जाते हैं इनको हटवाइये। यह आपका प्रस्ताव बहुत उचित है, मैं इसका पूर्णतया समर्थन करता हूं।

श्री जसरामसिंह—

मैं निवेदन कर रहा था कि यह शुभ-लक्षण है कि जाति-सूचक शब्दों को हटाना होगा, इस पर विचार करना होगा।

श्री उग्रसेन—

उपाध्यक्ष जी, "अग्रवाल" आप भी हटा दीजिये।

श्री जसराम सिंह—

तो मैं जातिसूचक शब्दों के बारे में कह रहा था कि किसी नाम के पीछे न हो और नाम सही ढंग से लिखा होना चाहिये, चाहे वह अधिकारी हो, मिनिस्टर हो, कोई हो। जाति-सूचक शब्द से एक अलग भावना टपकती है। हरिजन अनुदान की स्थिति यह है कि जितने अनुदान हरिजनों को ब्लाक स्तर पर आपने भेजे हैं उनकी लूट हो रही है और हरिजनों का नाम बदनाम हो रहा है। कोई अनुदान ठीक ढंग से प्रदेश में शायद ही मिली होगी। असली समस्या हमारी गरीबी और शिक्षा की है। हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि २५,८०,००० रुपया इस विभाग का बच गया और शायद अधिकारियों ने इसलिये बचाकर दिखाया होगा सरकार की खुश होगी। जो समाज सदियों से इतना निरीह है, गरीब है, जो राजा राम चन्द्र महात्मा बुद्ध, ऋषि दयानन्द और महात्मा गांधी के जमाने से, इतने युग का पिछड़ा हुआ रहा है, उसकी समस्याओं के लिये जो रुपया रखा जाय उसमें से २५,८०,००० रुपया बचाया जाय और यदि इस बात में सत्यता है तो जिस व्यक्ति ने अपने कर्त्तव्य का पालन न करके हमारे अधिकारों की इतनी अवहेलना की है उसके विरुद्ध सरकार को न्यायोचित व्यवस्था करनी चाहिये।

अभी आपने कुछ लाख रुपया हरिजनों के होस्टल के लिये बांटा और उसमें इमारतें बनीं तमाम क्लासें लगायी जा रही हैं, स्कूल चल रहे हैं। जिलों में उसका कितना रुपया बच चुका है, कोई पता नहीं है। बहुत से जिलों ने खर्च भी नहीं किया है। वह रुपया खर्च किया जाय, होस्टल बने हरिजन नाम से और लाभ दूसरे लोग उठा रहे हैं। आज देश का हर पांचवां आदमी पिछड़ा हुआ है। थोड़े से घर बनाने में यह समस्या हल नहीं होगी, जरा से आर्थिक अनुदान देने से हल नहीं होगी। गांवों में जो मकानों की दशा है कि एक मकान में एक हरिजन रहता है, उसकी पत्नी रहती है बेटा रहता है, उसकी बहू रहती है, गाय भैंस, बकरी, भेड़ उसी में रहती है और साथ ही सांप, बिच्छू मच्छर भी उसी के साथ रहते हैं और एक ही झोपड़ी होती है। तो एक झोपड़ी में इतने आदमी रहें और एक आदमी के पास इतनी बड़ी कोठी हो कि एक-एक बच्चे के लिये अलग-अलग कमरा हो और हम समाजवाद की बातें करें, तो ऐसी बातों से कुछ होने वाला नहीं है और कुछ पैसा देकर यह मकानों की समस्या हल होने वाली नहीं है। उसमें कहा जाता है कि हम ५००—६०० रुपया देते हैं, उसके बाद कुछ अपने पास से लगाओ तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिये सरकार को विशेष तौर से बजट बढ़ाना होगा। २६२ करोड़ रुपये का बजट है, उसमें से ३ करोड़ हरिजनों के हिस्से में आता है। उसी में दफ्तर है अफसरों के सारे भत्ते हैं और जाने क्या क्या खर्चा लगा हुआ है। हरिजन समस्या का मतलब हृदय परिवर्तन से लगाया जाता है। उसके लिये एक प्रचार करने की व्यवस्था थी। कुछ जलसे होते थे, कुछ लोगों को समझाया जाता था।

वह व्यवस्था समाप्त हो गयी और अनुदान का रुपया जलसा के रुप में प्रचार करके ही समाप्त हो गया है, यह प्रचार होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद है कि आपने मुझे मौका दिया ।

सबसे पहले प्रदेशीय स्तर पर शिक्षा विभाग में सभी कामों को देखने के बाद थोड़ा संतोष होता है कि समय पर काम करने की कोशिश की जाती है और पिछले वर्षों से ऐसा होता आया है । लेकिन मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितनी आज मेहनत होती है उसका श्रेय सरकार को नहीं मिल पाता । उसका कारण यह है कि यहां से कितना भी समय से रुपया चला जाय, लेकिन जिन शिक्षण संस्थाओं के द्वारा हरिजन और बैकवर्ड जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति समय से मिलनी चाहिये वह शिक्षण संस्थाएं बिलकुल लापरवाही की बात करती हैं । उसका कारण यह है कि आप तो केवल रुपया देने के अधिकारी होते हैं, आपका अंकुश शिक्षण संस्थाओं पर नहीं है जो कि छात्र वृत्ति का रुपया खा जाते हैं, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, बिना जरूरत लेट करते है और उधर वह बेचारे छात्र बेचारगी की हालत में रहते हैं और हजारों शिकायत आती रहती है उनको सही जानते हुए भी आप किंकर्त्तव्यविमूढ़ रहते हैं । इस संबंध में ज्यादा न कह कर यह निवेदन करूंगा कि कोई तरीका ऐसा निकलना चाहिये कि शिक्षा विभाग के द्वारा कोई ऐसा नियम बनाया जाय, कानून बनाया जाय, कि आपके डिपार्टमेन्ट के अधिकारी डाइरेक्ट संस्था की जांच करें और उनकी रिपोर्ट पर उस संस्था को रिकग्नीशन और एड दी जानी चाहिये और उस पर असर पड़ना चाहिये । इसका कुछ फैसला होना चाहिये वरना लाखों रुपया देकर आप श्रेय के भागी नहीं होते और उन छात्रों का भला नहीं कर पाते । जब से आपने यह प्रतिबन्ध लगाया है कि पिछड़ी जातियों की आमदनी का प्रमाण-पत्र आना चाहिये, मेरी जानकारी है, माननीय मंत्री जी व विभाग को भी जानकारी होगी, तब से बड़ी असुविधा हो रही है , तहसीलदार वगैरह सही प्रमाण-पत्र नहीं देते । इस बात की भी जांच होना चाहिये कि अनुचित प्रमाण-पत्र जारी हुए हैं या नहीं और जो उसके लिये दोषी पाये जायं उनको सजा मिलना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज महंगायी बहुत बढ़ी है तथा जीवनोपयोगी चीजों के दाम बहुत बढ़ गये हैं, किन्तु स्कालरशिप जिस हिसाब से आप पहले देते थे, वही आज भी हैं । आज जो रुपया आप देते हैं उससे विद्यार्थियों का काम नहीं चलता, इसलिये यह धन बढ़ाया जाना चाहिये ।

इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं के मैनेजरों तथा प्रिन्सिपलों द्वारा उस छात्रवृत्ति का, जो आप हरिजनों के लिये देते हैं, दुरुपयोग होता है। इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिये ।

वाराणसी में ३ विश्वविद्यालय हैं, ५ डिग्री कालेज हैं, २० माध्यमिक कालेज हैं, और १० हजार हरिजन लड़के पढ़ते हैं । इनके रहने के लिये वहां कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है। एक आश्रम है जिसमें मुश्किल से ५० विद्यार्थी रह सकते हैं । मैं चाहूंगा कि इस ओर भी सरकार ध्यान दे ।

सुपरवाइजरों के ग्रेड में जो भिन्नता है उस ओर भी ध्यान देना चाहिये । सरकार को जिस किसी चीज को टालना होता है, वह एक कमेटी नियुक्त कर देती है। अभी हरिजनों के संरक्षण के लिये एक हरिजन कमेटी बनी थी । उसकी २५ बैठकें हुईं और काफी

[श्री मंगलदेव]

रुपया उस पर खर्च हुआ। उसके बाद कितना काम उनके हित में आप कर पायें वह आपको मालूम है। कोई हित उनका नहीं हो पाया है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक हरिजनों को विशेष अवसर नहीं मिलगा उनकी उन्नति नहीं होगी। छींटा देने से उनका लाभ होने वाला नहीं है। उनकी जो मौलिक आर्थिक समस्यायें है, उनकी ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अच्छी नीयत से काम करना होगा, तभी उनका सुधार होगा। २ करोड़ जनता के लिये आप यहां आज विचार कर रहे हैं। पहले डेढ़ दिन का समय विवाद के लिये रखा जाता था, अब सरकार ने ४ घंटे का ही समय कर दिया। इस थोड़े से समय में क्या चर्चा हो सकती है? अगर देश को सुदृढ़ बनाना है तो उनकी समस्याओं पर आपको विचार करना होगा और उनको ठीक ढंग से सुलझाना होगा।

*श्री कन्हैया लाल (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हरिजन समस्या के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, हरिजनों की समस्या जैसा कि हम लोग समझते हैं, हरिजनों की ही समस्या नहीं है बल्कि यह पूरे देश की और पूरे समाज की समस्या है और उसी प्रकार से हमको इस पर विचार करना है। लेकिन यहां पर कुछ वातावरण ऐसा है कि इसको केवल हरिजनों की समस्या ही समझकर बहस की बात चल रही है। असेम्बली में भी अगर यह कहा जाय कि यह आज हरिजनों की असेम्बली है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी क्योंकि केवल चार-छ लोग वैसे बैठे हुए है। अभी अभी जब मैं बोलने के लिये खड़ा हो रहा था तो पीछे से एक दूसरे साहब बोले कि क्या तुम हरिजन हो? जहां इस प्रकार का बिचार हो, वहां किस प्रकार से समस्या का हल हो सकता है? श्रीमन्, हरिजन समाज पिछड़ा हुआ समाज है, इसको उठाने का बीड़ा सरकार ने उठाया है। किसी भी गिरे हुए समाज को उठाने के लिये दो तरह से अगर उसको हम समृद्ध कर दें तो वह समाज उठ जाता है। एक तो उसकी शैक्षिक बौद्धिक प्रगति कर दें और दूसरे आर्थिक प्रगति कर दें। हमें यह देखना है कि पिछले सत्रह-अठारह सालों में इस दिशा में हम कितनी प्रगति कर सके हैं? जहां तक आर्थिक स्थिति के सुधारने का प्रश्न है, आर्थिक स्थिति के सुधारने के लिये भी शिक्षा की आवश्यकता है, इसमें कोई दो रायें नहीं।

आज नारा लगाया जाता है कि नौकरियों में हरिजनों को १८ प्रतिशत स्थान दिये जायंगे। अभी अभी महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा था कि इसको छोटी नौकरियों म २५ से ४५ प्रतिशत तक कर दिया गया है। लेकिन, यह श्रीमन्, मेरा अनुभव है कि यह केवल लिखने और कहने की बातें हैं, व्यावहारिक रूप में यह बाते नहीं लायी जा रही हैं। जिला स्तर पर आप देखिये, किसी भी मुहकमें में १८ प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं मिलेगा। उसके लिये एक चीज ऐसी लिख देते है कि सूटेबिल कैन्डीडेट। इस सूटेबिल कैन्डीडेट के नाम पर सब मिट्टी हो जाता है और एक भी आदमी हरिजनों में से नहीं लिया जाता है। अभी-अभी पिछले दिनों बी० डी० ओज० के कुछ सिलेक्शन हुए, उसमें ५० सीट हरिजनों के लिये रिजर्व थीं लेकिन दस या ग्यारह आदमी लिये गए और कह दिया गया कि सूटेबिल कैन्डीडेट नहीं मिल पाये जब कि उन्हीं लोगों में से आज तक भी बी० डी० ओ० का काम कर रहे हैं। तो मुझे सरकार से पूछना है कि जब वह सूटेबिल नहीं है तो किस प्रकार से आज तक बी० डी० ओ० का कार्य कर रहे है? तो २५ से ४५ प्रतिशत तक का कोटा जो निर्धारित किया गया है और उसके लिये आश्वासन दिया गया है उसको पूरा करने के लिये जिला स्तर पर कोई ऐसा अधिष्ठान या समिति बनानी पड़ेगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिसके पास प्रत्येक विभाग की रिपोर्ट आती रहे कि कितने आदमियों की जगह उसमें निकली और कितने हरिजन उसमें लिये गए ? इस प्रकार से प्रयोग में यह चीज लायी जाय । इसी प्रकार प्रान्तीय स्तर पर जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा पब्लिक सर्विस कमीशन से जो चुनाव होते है उनमें भी पूरा कोटा नहीं दिया जाता । उसके लिये मेरा निवेदन है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में हरिजनों का एक प्रतिनिधि लाया जाय जो उनके हितों को देखता रहे ।

दूसरी बात, आर्थिक क्षेत्र में सरकार अगर अपनी नीतियों में थोड़ा सा परिवर्तन कर दे और थोड़ा सख्ती करे तो आर्थिक स्थिति हरिजनों की, इस गिरे हुए समाज की काफी ऊपर उठ सकती है । मैं आपसे अर्ज करूं कि प्रत्येक विभाग में कुछ न कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो सरकार की ओर से पब्लिक को दिये जाते है । जैसे सप्लाई विभाग में राशन की दुकानें तथा कोटे और उद्योग विभाग में व्यवसायों के लिये रुपया । अगर इस प्रकार की चीजों को हरिजनों को दे दिया जाय तो मेरा तो खयाल है कि फिर आपको हरिजनों को किसी प्रकार का वजीफा और अनुदान देने की भी आवश्यकता नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में १८–२० प्रतिशत कोटा हरिजनों को दे दिया जाय। इससे वह खुद बखुद ही ऊंचे उठ जायेंगे क्योंकि इन कामों में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जायगी । अगर इस समाज का उद्धार करना है तो आपको आर्थिक और बौद्धिक रूप से ही उसको ऊंचे उठाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

हमारे मास्टर साहब जसराम सिंह जी ने हिसाब लगाया कि जो बजट हरिजनों के लिये रखा गया है वह २ रुपया पर हेड पड़ता है। मास्टर साहब हिसाब गलत जोड़ गये। वह एक रुपया परहेड ही पड़ता है। एक करोड़ तो एस्टेब्लिशमेन्ट में ही निकल जाता है। शेष २ करोड़ पौने दो करोड़ जनता को मिलता है। इसमें से भी चौथाई करोड़ रुपया उसको रिश्वत के रूप में दे देना पड़ता है । इस प्रकार से एक रुपया पर हेड ही पड़ता है । भला बताइये, इससे उसका किस प्रकार से उद्धार हो सकता है ?

इसके अतिरिक्त ब्लाक स्तर पर जो इस रुपये का बटवारा होता है वह बहुत गलत होता है । वहां रुपये का बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग होता है । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उस रुपये को ब्लाक स्तर पर बटवाने के बजाय जिला स्तर पर बटवायें। ब्लाक लेविल पर १ के बजाय १८ जगह उसका वितरण होता है और १८ जगह ही गरीब आदमी को रिश्वत देनी पड़ती है । जिला स्तर पर अगर दिया जायगा तो एक ही जगह तो रिश्वत कोई ले सकेगा। दूसरे गांवों में अभी विकास नहीं हुआ है। वहां के प्रधान लोग अभी हरिजनों से नफरत करते है । इसलिये उनके लिये दिये गये अनुदान का ठीक तरह से उपयोग नहीं होता है। इस रुपये को बांटने के लिये उनकी ओर से आनाकानी होती है। मैंने स्वयं दौरा किया और पाया कि बहुत से रुपये के लिये कह दिया जाता है कि इतना रुपया कमिट कर दिया गया है और ३१ मार्च, को यूटिलाइज़ किया हुआ दिखा देते है । इस प्रकार से इस रुपये का दुरुपयोग होता है ।

पिछले वर्षों में हरिजनों के छात्रावास के लिये भी कुछ रुपया गया है। पहले तो उनकी बस्ती और छात्रावास अलग होने ही नहीं चाहिये फिर भी आपने जो बनवाये, वह ग्रामीण क्षेत्र में बनाये। १०–१० हजार रुपये में स्कूलों के बराबर बना दिये गये हैं लेकिन उन कमरों में बराबर क्लासेज चल रही हैं। इसकी जांच करायी जाय और जिन इन्स्टीट्यूशन्स और मैनेजरों ने इस प्रकार से उस रुपये को लगाया है, उनसे वापस लेकर अन्य हरिजनों के कार्यों में लगाया जाय ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश का बजट २६२ करोड़ ६५ लाख रुपये का है और उत्तर प्रदेश में हरिजनों की आबादी लगभग एक चौथाई है। इस एक चौथाई हरिजनों की आबादी के लिये, उसके उत्थान कार्य के लिये, उसके कल्याण के लिये, उसको समाज में बराबरी के स्तर पर लाने के लिये केवल ३ करोड़ ५६ लाख रुपया दिया गया है। अगर इस ३ करोड़ ५६ लाख रुपये को जोड़ा जाय तो तमाम साल में प्रत्येक हरिजन के लिये पौने दो रुपये पड़ते हैं। अब आप देखें कि सारे उत्तर प्रदेश का बजट जो २ अरब ४७ करोड़ रुपये का है उसमें से हरिजनों को कितना मिलता है और उसमें उनके लिये क्या-क्या प्रगति में कार्य होते हैं, क्या नहीं होते। वह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि जो यह ३ करोड़ ५६ लाख का बजट हरिजनों के लिये है, इसमें ६२-६३, ६३-६४ और ६४-६५ के हरिजन बजटों में से जो भारी धन बचाया और बचाकर रखी हुयी रकम भी शामिल कर दी गयी है। वह इस बात का प्रमाण है कि सरकार हरिजनों के लिये नाम मात्र का जो अनुदान बजट में रखती है उसको भी पूरा खर्च नहीं करती ताकि हरिजन प्रगति के पथ पर अग्रसर न हो सके। इस सरकार ने जो हरिजन कल्याण का प्रलोभन दे रखा है वह केवल वोट मांगने का एक प्रलोभन मात्र है। वरना कोई वजह नहीं प्रतीत होती कि १७ साल से सरकार के प्रयत्नशील रहते हुये भी हरिजनों का कल्याण न होता। किन्तु प्रगति तो दूर रही, वे पीछे गिरते जा रहे हैं। आप अपने प्लानिंग डिपार्टमेंट को ही देखें, जो ग्रांट प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा खर्च की जाती है वह जनरल ग्रांट है किन्तु उस से हरिजनों को पैसा नहीं दिया जाता है और जो हरिजन ग्रांट से इस विभाग को पैसा मिलता है उसे भी प्रधान लोग अपने हलवाहे, चरवाहे के नाम पर जो उनके यहां रात-दिन काम करने वाले होते हैं उन्हें ही दे देते हैं उसमें से आधी से ज्यादा रकम ले लेते हैं, जिसके कारण ही जितने निर्माण कार्य चालू हुये हैं वे अधूरे पड़े हुये हैं।

शिक्षा के सम्बन्ध में आप देखे कि हरिजनों तथा बैकवर्ड क्लासेज के विद्यार्थियों को जितने स्कालरशिप्स दिये जाते हैं वे अधिकतर फरवरी-मार्च के महीने में दिये जाते हैं कि शिक्षा का सत्र जुलाई में शुरू होता है। शिक्षा की सुविधा के लिये ही उनको पैसा चाहिये लेकिन वह उसे फरवरी-मार्च में मिलते हैं। और यह इसलिये मिल जाता है कि इन बुद्धू हरिजनों की कौम आगे प्रगति न कर सके। अस्तु उनकी प्रगति में सरकार ही बाधक है। यही कारण है कि १७ साल के बाद भी उनका कोई ऐसा आदमी सरकार तैयार न कर सकी जो इस सरकार के सेक्रेटरी के किसी पद पर सेक्रेटरियेट में हो सके। कहने के लिये १८ प्रतिशत का रिजर्वेशन है। इस सम्बन्ध में सदन में मैंने एक प्रश्न किया था तो मुझे यह बतलाया गया कि चीफ सेक्रेटरी ब्रांच में पचासों आई० सी० एस०, आई० ए० एस० और दूसरे गजटेट आफिसर्स हैं। लेकिन उनमें एक भी हरिजन नहीं है। सिर्फ एक हरिजन आफिसर है जो डाइरेक्टर आफ हरिजन कल्याण विभाग से अटैच्ड है। श्रीमन्, यह बड़े दुख की बात है कि केवल वोट पाने के लिये हरिजनों को रिजर्वेशन का प्रलोभन दिया गया है। सरकार को चाहिये कि या तो वह रिजर्वेशन को छीन ले या १८ प्रतिशत के बजाय ८ या १० प्रतिशत ही कर दे लेकिन उतना ईमानदारी से देवे। १७ साल के अन्दर अगर देखा जाय तो यह प्रतिशत ढाई प्रतिशत से ज्यादा नहीं हुआ है और कहा यह जा रहा है कि हरिजनों का कल्याण करने में सरकार तत्पर है।

इसके अलावा गांवों में जो हरिजनों की दशा है वह आज अंग्रेजी सल्तनत से भी खराब है। अंग्रेजी जमाने में आफिसर डरते थे कि कहीं मेरी शिकायत न हो जाय जब कि आज वे कहते हैं कि अपना राज्य है और जातिवाद, पक्षपात तथा परिवार पालन करने में व्यस्त हैं। इस तरह से आज नौकरशाही सरकार के ऊपर हावी है। नौकरशाही ने उसके ऊपर अपने शिकंजे जमा रखे हैं। हरिजनों के लिये जितनी ग्रांट मंजूर होती है वह भी पूरी नहीं दी जाती। इस तरह से वे उसकी प्रगति नहीं होने देते तो सरकार बतावे कि हरिजनों का कल्याण कैसे होगा? सरकार समझती है कि हरिजन बुद्धू हैं, वे अशिक्षित हैं लेकिन अब वे भी समझने लगे हैं कि सरकार

उन्हें उल्लू बना रही है और यही कारण है कि पिछले ६२ के इलेक्शन में आधे विरोधी दलों में हरिजन चुनकर आये हैं। सरकार के पक्ष के हरिजन कम हो गये हैं। अगर यह सरकार चाहती है कि वह अपनी गद्दी पर बनी रहे और अगर वह समझती है कि वह हरिजनों की बदौलत ही गद्दी नशीन है तो उसे हरिजनों के कल्याण के लिये हर कदम ठोस रूप से उठाना चाहिये तभी वास्तविक प्रगति उनकी हो सकती है। २ करोड़ हरिजनों के लिये ३ करोड़ अनुदान है और पूरे प्रदेश की ७ करोड़ जनता के लिये २ अरब ४७ करोड़ का अनुदान है। जिस से सिद्ध है कि हरिजनों की बराबर उपेक्षा की जाती है। मैं सरकार को बता दूं कि अगर यहां से सरकार आदेश भेजती है और देहात में अगर कोई हरिजन रखा जाता है तो एक हफ्ते के बाद उसको हटा दिया जाता है और दिखा दिया जाता है कि हरिजन रखा गया है। मेरा मतलब है इस तरह का जातिवाद, कुनबापरस्ती और अछूतों के साथ मतभेद भेदभाव जारी रहा और न दूर किया गया तो वास्तविक समाजवाद लाने के लिये कोई भी कदम उठाया जाय उस से सफलता नहीं मिल सकती। जो संरक्षण उनको दिया गया है वह पूरा होना लाजमी है और सरकार को स्वयं अपने कल्याण के लिये यह करना चाहिये अगर इस तरफ सरकार ने ध्यान न दिया तो बहुत दिन तक अब हरिजन उसके पिछलग्गू नहीं बने रह सकते। यही मेरा निवेदन है और मांग है कि नियोजन के अनुदान से भी हरिजनों की प्रगति की जाय तथा हरिजन प्रगति का अनुदान बढ़ाया जाये।

श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। आज जो सदन में यह हरिजन एवं पिछड़ी जाति का अनुदान पेश हुआ है उसका मैं स्वागत करता हूं। स्वागत मैं इसलिये करता हूं कि यह उस जाति के उठाने का एक साधन है जो इस राष्ट्र का कमजोर अंग है, जिनको हरिजन भी कहते हैं और परिगणित आदि न जाने कितने नाम हैं। यह कमजोरी इस वर्ग की बहुत दिनों से चली आ रही है। इस सरकार ने उनकी इस कमजोरी का कुछ इलाज किया है, यह कहना निर्मूल होगा कि उसने कुछ नहीं किया या हरिजनों का उसके काल में उत्थान नहीं हुआ। कुछ अंशों में हरिजन उत्थान हुआ है, लेकिन हमें इसी से संतोष नहीं है, हमें अभी बहुत कुछ करना है। जब उनका पूरा उत्थान हो जायगा तभी संतोष हो सकता है। मैं ज्यादा आंकड़े देने के झंझट में नहीं पड़ता।

यह बात निर्विवाद है कि यह जो पददलित हरिजन हैं वे बहुत ही पददलित रहे हैं और उनके सुधार और उत्थान की आवश्यकता अभी बहुत है। इस बारे में मैं तो आपका सेवक बहुत दिनों से हूं। मेरी राय में हरिजनों के उत्थान के लिये ५ साधन बहुत जरूरी हैं। पहला शिक्षा, दूसरा भूमि का प्रबन्ध, तीसरा उद्योग, चौथा नौकरियां और पांचवां यह कि उनके साथ जो अमानुषिक व्यवहार होता है वह दूर हो। अगर यह चीजें कामयाब हो गईं, ये साधन पूरे हो गए तो देश का उत्थान हो जायगा, देश बलवान हो जायगा, कमजोर अंग बलवान हो जायगा, तब यह राष्ट्र कुछ कर भी सकता है, नहीं तो खाली इस बौछार से कि सरकार ने कुछ नहीं किया, यह कहने से कुछ होने का नहीं है। इसकी बावत मैंने सुझाव भी दिया। ५०,००० एकड़ भूमि की मांग कुमायूं में ४ लाख हरिजनों के उत्थान के लिये है यद्यपि बात यह है कि सामाजिक उत्थान देने के लिये ५२ वर्ष पहले १९१३ में लाला लाजपत राय को नैनीताल जिले के सुखिया ग्राम में बुलाया था, जब कि वहां जाने की सुविधा नहीं थी वहां पर उन्होंने आर्य शिल्पकार सुधारिणी सभा कुमायूं की स्थापना की थी, जिसमें लाला लाजपत राय ने कहा था कि इस बात की जरूरत है कि शिक्षा के लिये कुछ किया जाय और भूमि का भी कुछ इन्तजाम करना चाहिये। इसके बाद सभा के कार्यकर्त्ताओं भूमि की मांग ५०,००० एकड़ की सरकार से की थी, उस ५०,००० में से बहुत थोड़े भूमि उनको दी गई, जिस से कि उनके उदर की पूर्ति नहीं हो सकती है या कह दिया कि नाम मात्र का दिया जा रहा है।

[श्री खुशीराम]

अब भूमि की जो मांग पेश की गई, उसमें भी देर हुई। मैं सरकार को दोषी नहीं कहता, लेकिन जो उसकी मशीनरी है, उसके कार्यकर्त्ता हैं, उनका दोष है, वह पूरी तरह से नहीं इन्तजाम कर पाये या उनको दिलचस्पी नहीं रही। मेरी उनसे प्रार्थना है और आप से और सरकार से भी यह कहना है कि राष्ट्र के जो उत्थान के जो साधन हैं, उनको दिया जाय। उन लोगों को कुल ३,००० एकड़ भूमि मालधन चौड़ में दी गई, शिल्पकारों के उत्थान के लिये, उसमें से २०–२२ सौ एकड़ ही कार्यान्वित हुई, बाकी ८०० एकड़ तुमड़िया बांध में ली गयी, उनको आमंत्रित तो किया गया और भूमिहीनों के लिये पूरी भूमि नहीं दी गई। १५० मवासी को जो अब तक वहां बैठे हुये हैं नहीं मिली, कुछ को भूमि मिली है, आज ३–४ वर्ष हो गये हैं, उनको वह भूमिहीनों की भूमि नहीं मिली। इसी प्रकार जमुआढूहा हल्द्वानी के नजदीक कुछ भूमि उनको दी गई थी और दूसरे भगुली खाल में, जमीन दी गई, जो मिलिटरी के काम में ले ली गई। मिलिटरी के लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, हमसे कह गये कि दूसरी जमीन दी जायगी। उन्होंने कहा कि हरिजनों को भूमि मिलेगी। उन्होंने कहा कि जंगल विभाग से लिखा-पढ़ी हो रही है, लेकिन उसमें भी ढिलाई है। जब उनकी जमीन ले ली गई है और उस पर जब दूसरे बैठ गये हैं, तो उनका भी इन्तजाम होना चाहिये, कई बार कहा जा चुका है और माननीय मंत्री जी से भी कहा है लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा कहना है कि दी चीज को वापस लेना यह तो प्राचीन काल से महापाप समझा जाता था। अभी मालधन चौड़ में भी वापस नहीं की गई, लिखा-पढ़ी चल रही है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार उनको यथाशीघ्र दूसरी जमीन दे। तथा जो नौकरी के लायक हैं उनको सरकार अपने निश्चय के अनुसार नौकरी दे। जिनके हाथ में ताकत है उनको ही खेती के लिये जमीन मिलना चाहिये। जो आदमी काम जानता है उसी हिसाब से उसको साधन मिलने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)––

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि एजेन्डे में जो ग्रांट्स के सम्बन्ध में समय निर्धारण किया गया था, इस अनुदान के लिये डेढ़ दिन का समय दिया गया था। लेकिन बदकिस्मती से अब १ दिन हो गया है। दोनों तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्य, चाहे हरिजन हों, अथवा नहीं, इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हम लोगों की मदत करें।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)––

अभी तो भाषण होने दें। जब समय आयेगा तो विचार करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय––

मैं चाहता हूं कि दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी हिस्सा ले सकें। यदि मंत्री लोगों को परेशानी हो तो वह बारी-बारी से उठ कर चले जाया करें, हम लोग विवाद करते रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष––

एक घंटे का प्रस्ताव कर दीजिये, माननीय रामसुन्दर पांडेय जी।

श्री बंशीधर पांडेय––

अभी बोलने दीजिये बाद में देख लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय––

श्रीमन्, १ घंटा नहीं बल्कि दो घंटा होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय रामसुन्दर पांडेय जी, १ घंटा काफी है, आप बात मान लीजिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

२ घंटा रखिये ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि १ घंटा सदन का समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन का समय १ घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)--

उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं जानना चाहता हूं कि आज सिर्फ हरिजन ही बोलेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष--

आज उन्हीं का दिन है इसलिये उन्हीं को बोलने दीजिये । आप इतनी कुरबानी कीजिये ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, हरिजनों की समस्या जब सवर्ण रखेंगे तभी ठीक रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

अपोजीशन की तरफ हरिजन कम हैं । पहले उन लोगों को बोल लेने दीजिये, उसके बाद देखेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, बैकवर्ड क्लास में अपर क्लास भी आती है । तो सभी को मौका मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

इतनी कुरबानी कीजिये ।

श्री रामअधार कनौजिया--

उपाध्यक्ष महोदय, साधन सीमित हैं, हरिजन समस्या छोटी समस्या समझ कर कार्य किया जा रहा है और इसी विचारधारा के आधार पर यह बजट प्रस्तुत किया गया है परन्तु यदि इस समस्या को निवारण करने का प्रयास किया जाय तो मैं समझता हूं राष्ट्र का बहुत बड़ा लाभ होगा । इस समस्या के सम्बन्ध में अगर पुराना इतिहास या कुछ ही वर्ष पहले की बात देखी जाय तो मालूम होगा कि यह समस्या राष्ट्रीय समस्या की बहुत बड़ी घटना मानी जा चुकी है । जब १९३१ में डाक्टर अम्बेदकर के कथनानुसार, ब्रिटिश सरकार ने यहां के इलेक्शन को एक सेपरेट एलेक्टरोट के आधार पर निर्वाचन करने का अधिकार घोषित किया था और यही कारण था कि देश का हिन्दू समाज जो आज अपने को

[श्री रामअधार कनौजिया]

धर्म का पुजारी समझता है और धर्म के ही आधार पर राज्य करने की सोचता है, हिल गया था। उसका परिणाम यह हुआ कि पूज्य महात्मा गांधी जी ने किसी विषय को ले कर अनशन किया कि यह अंग हिन्दू समाज का अंग है। यह समाज की रीढ़ है। इसलिये यदि इसे राष्ट्रीय समस्या समझ कर करेंगे तो शायद इसका कल्याण हो सकेगा। सामाजिक उत्थान केवल सामाजिक उलट फेर करने से नहीं होता है। जब तक उनकी आर्थिक दशा नहीं सुधरती है इनका कल्याण असंभव है। इस सम्बन्ध में मैं एक ब्रिटिश राइटर के लेख का संक्षिप्त विवरण देता हूं। वह इस प्रकार है—

"Try to make men equal by altering social arrangements is like trying to make the cards of equal value by shuffling the palk".

इसलिये मैं समझता हूं कि केवल सामाजिक उलट-फेर करने से हरिजन समाज का उत्थान नहीं होने वाला है।

मुझे मालूम हुआ है कि आर्थिक दशा सुधारने की बात तो दर किनार हमारी सरकार हमारे हरिजन कल्याण विभाग पर ही नजर लगाये बैठी है। हरिजन विभाग के कुछ अधिकारियों को या हरिजन विभाग को समाप्त करके यदि इस समस्या के हल को सोचेगी तो बजाय इसके कि ये समाप्त हल हो यह सरकार अपने को ही स्वयं नष्ट होने की ओर अग्रसर करेगी। इसलिये इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। जहां तक परसेंटेज का प्रश्न है मैं ऊपर से नीचे तक बतला देना चाहता हूं। हमारे माननीय मंत्री जी ने जो यह पुस्तक हमें दी है, उसमें लिखा हुआ है कि इस देश में हरिजनों की आबादी २१ प्रतिशत है। अगर इस मंत्रिमंडल की ही संख्या पर विचार किया जाय, जो एक सभ्य समाज कहा जा सकता है, जहां २० मंत्री हैं तो कम से कम इसमें ५ हरिजन होने चाहिये। अब आप सोच सकते हैं कि यहां पक्षपात किया जा रहा है या नहीं। मिनिस्टर साहबान, कैबिनेट मिनिस्टर्स का या इधर-उधर के पक्ष के सदस्यों का सवाल नहीं हो सकता है। हरिजनों की समस्या न तो केवल कांग्रेस की समस्या है, न यह विरोधी पक्ष वालों की समस्या है। यह तो एक ऐसी समस्या है जो सबकी ही समस्या है। यह पार्टी बन्दी का प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। यद्यपि हमारे पक्ष में कांग्रेसी सदस्य ज्यादा नहीं हैं लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरिजनों की समस्या पर दोनों ओर के हरिजन सदस्य इस प्रश्न पर एक हैं।

कुछ भाइयों ने कहा है कि खर्चा कम किया गया है। सही है, उनको अनुदान देने का सवाल है। बड़ा गम्भीर प्रश्न है। कारण यह है कि ब्लाकों में यह रुपया चला जाता है जहां हरिजनों की समस्या को कोई समस्या ही नहीं समझा जाता है। यह धन ब्लाक से हटाया जाय और विभाग द्वारा जिला समिति के आदेश से वितरण किया जाय—शिक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ सहायता दी जा रही है यह तो बहुत ही कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनकी जीविका उपार्जन की व्यवस्था नहीं की जायेगी तो उनकी शिक्षा का प्रसार करने का कोई लाभ नहीं है। इस समाज के जो उनके ट्रेडीशनल पेशे हैं वे तो अंग्रेजों ने बरबाद किये हैं और इसका नतीजा है कि उनकी कठिनाई बढ़ती जाती है और देहातों में भूमि पर बोझ बढ़ता जाता है। इसलिये आपको चाहिये कि उद्योग के लिये समुचित रूप से काफी सहायता उनको दी जाय ताकि देहातों में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। अभी लखनऊ में धोबियों का एक सम्मेलन हुआ जिसका मंत्री महोदय उद्घाटन करने गये थे। उसमें धोबियों की समस्या पर बहस हुई थी। एक समस्या तो यह है कि गैरों के मकान में रहते हैं, उनके पास अपना कोई मकान नहीं है और शहर के अन्दर जितने भी हरिजन रहते हैं उनको कोई सहायता नहीं दी जाती है, केवल देहात के हरिजनों को ही दी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली की रोशनी में सरकार की नजर उधर नहीं पहुंचती है। शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हर जिले में होस्टल्स का प्रबन्ध होना चाहिये और हरिजन छात्रों के लिये सरकार की ओर से एक गार्जियन नियुक्त होना चाहिये जो

उनको ट्रेनिंग दे जिससे उनमें बोल्डनेस आ सके और उनका स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके तथा नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो हरिजन अनुदान सदन के सामने उपस्थित किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं । दो पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकीं और तीसरी पंचवर्षीय योजना का यह अन्तिम वर्ष है । इसका अध्ययन करने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनकी जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक स्थिति है, आज से १७ वर्ष पहले जैसी थी, वैसे ही आज भी है और उसमें कोई फर्क नहीं आया है । कांग्रेस की नीति तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं के प्रयास के बावजूद भी आज भी वे उसी स्थिति में हैं । एक चिन्तक ने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा है कि इस संसार में फिलास्फर, विद्वान, डाक्टर और वकील वगैरह अगर न भी रहें तो इस समाज का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है लेकिन इसके बरखिलाफ अगर भंगी, चमार, नाई, धोबी, बढ़ई, लुहार, कुम्हार वगैरह-वगैरह इस समाज में न रहें तो समाज में अन्धकार फैल जायगा, कयामत बरपा हो जायगी । लेकिन फिर भी आखिर ये लोग अभी आपके साथ चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे । आज भी इन लोगों में इतनी दरिद्रता है कि वह वास्तविक मानुषिक जीवन गुजारने में असमर्थ हैं । आज भी वे इस दरिद्रता के बीच अपना जीवन इस लायक नहीं बना पाये कि वे समाज में अपना एक उचित स्थान बना सकें । हरिजन, पिछड़ी जाति और विमुक्त जाति के जो लोग हैं, उनके साथ में आज जो भी हमारे बड़े-बड़े लोग, पढ़े लिखे और समझदार लोग व्यवहार करते हैं, उनके साथ जो सलूक करते हैं वह मानव के साथ नहीं किया जाता । यह मैं ऐसा समझता हूं कि राज्य के उत्थान को छोड़ कर और समाज के उत्थान को छोड़ कर अगर आज जो वे अपने को खतरे में डालकर इस समाज की और इस राष्ट्र की सेवा करते हैं, अगर उनको उस सेवा की उजरत दे दी जाये तो मैं समझता हूं कि जो इतने अरबों रुपया खर्च किया जाता है दूसरे कामों में, उसकी आवश्यकता न पड़े और यह लोग शायद आपसे अपने लिये कोई विशेष रियायत की मांग भी न कर पायें ।

उनको कुछ बहुत बढ़ावा मिला है लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा है । देहात के अन्दर आज हरिजनों की उस से भी बुरी हालत है, जैसी कि हालत उनकी अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं थी । अंग्रेजों के जमाने में यदि कोई हाकिम किसी हरिजन पर अत्याचार करता था और उसकी शिकायत की जाती थी बड़े हुक्काम उसे सुनते थे और उस पर ध्यान देते थे । लेकिन आज हालत वैसी नहीं है, उन पर जुल्म होते हैं किन्तु उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है । अभी जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि आज उनको कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई भय नहीं है और वह कहते हैं कि हम तो आजाद हैं । वे जो चाहें सो करते हैं । मेरे जिले में कितने ही विमुक्त जाति के ऐसे लोग हैं, जिनको वहां के जाबिर लोग पुलिस से मिलकर झूठे मामलों में फंसाकर पुलिस जेल भेज देती है और उनकी बहनों के साथ यह व्यवहार होता है कि उनका पर्दा उठाकर देखा जाता है कि यह मर्द है या औरत । ये सारी बातें आज के प्रगतिशील जमाने में ठीक नहीं हैं, यह अत्यन्त निन्दनीय हैं । आज का जो हमारा समाज है वह बहुत जर्जर हो चुका है और इसको आद्योपान्त बदलने की जरूरत है और जब तक इसमें आमूल-चूल परिवर्तन नहीं किया जायेगा तब तक यह समस्या बनी रहेगी और इसमें कोई परिवर्तन अथवा सुधार आने वाला नहीं है । यह तो एक राष्ट्रीय समस्या है और इसको राष्ट्रीय समस्या ही समझकर इसका समाधान करने के लिये इस पर सोचने की आवश्यकता है ।

आज भी जब हम देखते हैं, शिक्षा को ही ले लिया जाये । हम लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि कब तक हम सवर्ण की तरफ देखेंगे, सरकार की तरफ देखेंगे । हम लोग भी इस बात का प्रयास करते हैं कि हम परमुखापेक्षी न रहें । हम अपनी संस्थायें बना कर उनमें भी अपने बच्चों को पढ़ाने आदि का प्रबन्ध करते हैं । किन्तु हमारी शिक्षा संस्थाओं में

[श्री शुगनचन्द मजदूर]

जो हरिजनों के प्रबन्ध में चल रही हैं, उनमें जो अध्यापक हैं उनके ग्रेड कम हैं, जबकि अन्य स्कूलों में जो अध्यापक हैं, उनके इन से ग्रेड कहीं अधिक हैं। जब कि उनका ग्रेड उनसे अधिक होना चाहिये था। हमारी शिक्षा संस्थाओं में कोई अध्यापक आना नहीं चाहते हैं वे यहां आने से बचना चाहते हैं, किंतु यदि कोई आना भी चाहे तो यहां के अध्यापक का ग्रेड कम होने के कारण वे यहां किसी भी दशा में आना नहीं चाहते हैं। सरकार ने देहात के लोगों को सुविधा देने की बात कही है, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो २ प्रतिशत हरिजन को छोड़कर शेष सबकी हालत, व परिस्थिति काफी खराब है। आज म्युनिसिपैलिटी में, टाऊन एरिया में चाहे जहां देख लिया जाय, वहां के चेयरमैन ११ महीनों और १३ महीनों तक हरिजनों की तनख्वाह नहीं देते। समझ में नहीं आता कि सरकार और वहां की टाउन एरियाज के अधिकारी किस तरीके से उनसे काम बिना मजदूरी दिये लेना चाहते हैं। जो मजदूरी किसी जमाने में उनकी थी आज भी उसी तरीके से चली आ रही है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि वह समाज की इतनी महान् सेवा करते हैं तब उनको मजदूरी भी महान् मिलनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन स्थानों की संस्थाओं द्वारा १३-१३ महीने तक तनख्वाह नहीं दी जाती है उनको जब्त कर लिया जाय। इससे तो अच्छा यह हो कि यह काम ग्राम पंचायतों के सुपुर्द कर दिया जाय जिससे वहां उनकी मेहनत के लिए कम से कम ६ महीने पर फसल के समय उनकी मजदूरी मिल जाया करे और वे अपने बच्चों को पाल सकें। अगर ऐसा नहीं होता तो समाज में उनके साथ अन्याय है और वह किसी कीमत पर बरदाश्त नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या व्यवस्था का प्रश्न इस समय हो सकता है ?

श्री जे० पी० मिश्र--

एक छोटा सा प्रश्न है कि अगर मैं अपने को हरिजन डिक्लेयर कर दूं तो क्या आप उसे स्वीकार करके समय बोलने के लिए दे देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप डिक्लेयर भी कर दें तो भी उस जगह पर नहीं पहुंचेंगे।

श्री खयालीराम (जिला लखनऊ)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बजट २६२ करोड़ ६५ लाख रुपये का है उसमें सिर्फ ३ करोड़ हरिजनों और पिछड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए रखा गया है। वह बिल्कुल नहीं के बराबर है और इसमें भी जो पैसा है उसका ५ प्रतिशत भी हरिजनों के पास नहीं पहुंच पाता। जब से हरिजन कल्याण अनुदानों को ब्लाकों के स्तर से बंटवारे की व्यवस्था हुई है तब से अव्यवस्था बराबर रही है। मैंने प्रश्नोत्तर द्वारा मंत्री से पूछा कि लखनऊ जिले के मोहनलालगंज और गोसाईगंज ब्लाक में किन-किन लोगों को कितना कितना अनुदान कौन-कौन कार्यों के हेतु दिया गया ? उत्तर की प्रतिलिपि मिलने पर उसके बाद मैं अपने क्षेत्र में घूमा तो मालूम हुआ कि ५ फीसदी लोगों को भी फायदा नहीं पहुंचा। मंत्री जी

को लिख कर दिया कि जांच कराइये अगर आप जांच नहीं कराते हैं और सुधार लाने की चेष्टा नहीं करते हैं तो भ्रष्टाचार दिन प्रति दिन बढ़ता जायगा ।

मैं आपके द्वारा बताऊं कि हरिजन कल्याण अधिकारी द्वारा किस प्रकार विरोधियों की उपेक्षा की जाती है। ५ दिसम्बर, १९६४ को जिला हरिजन कल्याण समिति की बैठक हुई थी। केवल इस गरज से कि छात्रवृत्ति किसको दी जाय उसमें सर्वसम्मति से तय हुआ कि सदस्य-गण अपने अपने हरिजनों के उम्मीदवारों की सूची दे दें। मैंने भी निर्धारित संख्या के अनुसार एक लिस्ट दे दी । मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे उम्मीदवारों में से एक भी नहीं हो पाया । इस संबंध में निदेशक महोदय से बात करने गया कि आखिर हो कैसे रहा है उन्होंने जो अमानवीय व्यवहार मेरे साथ किया उसकी चर्चा करना मैं मुनासिब नहीं समझता । इस संबंध में मैं कल ११ बजकर ५ मिनट पर उत्तर प्रदेशीय हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय पर निदेशक महोदय से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि बिलकुल टाइम नहीं है। मैंने कहा कि मुझे दो मिनट का समय दे दें । तो उन्होंने कहा कि जो भी आता है वह दो मिनट की बात करता है यानी मैं चुना हुआ हरिजनों का नुमाइन्दा हूं और मुझसे निदेशक महोदय इस तरह की बात करें, यह अशोभनीय है । म, मान्यवर, आपके माध्यम से डाक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि ऐसे डाइरेक्टर को अविलम्ब हटावें । हालांकि इस संबंध में मैं कल सुचेता कृपालानी जी से भी मिल चुका हूं मुझे बड़ा कुलेश हुआ । मैं कोई अपने फायदे के लिए उनके पास नहीं गया था । मैं हरिजन छात्रों के संबंध में उनके पास गया था ।

मान्यवर, छात्रों को जो छात्रवृत्ति आज तक अनावत्तक सहायता के रूप में दी जाती है वह पूरी की पूरी रकम गवर्नमेंट को वापस कर दी जाती है, उन छात्रों को उससे कोई लाभ नहीं पहुंच पाता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह भी इस प्रदेश के हरिजन हैं और हरिजनों के कल्याण की जिम्मेदारी उनके ऊपर है । अगर उनके कल्याण करने की भावना सही रूप में उनके दिनाग में है तो उसके लिए सक्रिय कदम उठायें । मैं बाहर की बात नहीं कहता हूं । इसी लखनऊ में जहां पर उत्तर प्रदेश के हर अफसर, हर मिनिस्टर, और राज्यपाल महोदय तक रहते हैं वहां हरिजनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है यह बतलाना चाहता हूं । जब यहीं पर यह हाल है तो उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में क्या उनका हाल होगा यह आसानी से समझा जा सकता है । मान्यवर, यहां लखनऊ के एक छात्रा-वास की बात मैं बतलाना चाहता हूं । यहां पर लखनऊ में चार हरिजनों के छात्रावास हैं । उन चार छात्रावासों में एक छात्रावास सरस्वती भवन छात्रावास, ऐशबाग है जिसमें जुलाई से अब तक खाना बनाने वाले का इंतजाम नहीं किया गया लेकिन उसकी तनख्वाह की पूरी रकम निकाल ली गई है । अब यह पता नहीं कि वह रकम निदेशक महोदय की जेब में गई या प्रबंधक महोदय की जेब में गयी । इसी प्रकार से एक रैदास मंदिर छात्रावास यहां पर है । एक बिहारी भवन छात्रावास, अलीगंज में है और एक इन्दल भवन छात्रावास मक्कागंज में है । इन छात्रावासों में १० दिन के लिए नौकरी पर आदमी रख लिया गया और ३ महीने गायब लेकिन उनकी तनख्वाह पूरी की पूरी निकाल ली जाती है । यहां तक होता है कि स्टेनलेस स्टील की थाली मंगाई जाती है २२, २२ रुपये की लेकिन उनको छात्रावास में नहीं रखा जाता, मंगाई तो गई लेकिन पता नहीं फिर वह कहां चली जाती है। पता नहीं अफसर के घर में चली चली गई या प्रबंधक के घर में चली गई । उसकी एवज में रद्दी पीतल की थाली वहां पर रख दी जाती है । यहां की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यहां माननीय मंत्री जी कुछ जांच करने की चेष्टा करें । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि लखनऊ जिले में जहां तक अस्पृश्यता निवारण की बात है इसके लिए कानून बना हुआ है लेकिन फिर भी लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं । लखनऊ का ही एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यहां पर इस तरह की हालत है कि कोई नाई यहां पर हरिजन की हजामत बनाने के लिए तैयार नहीं है । एक भी कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां पर चमार के बाल नाई बनाता हो ।

[श्री खयालीराम]

जहां तक गवर्नमेंट सर्वेंट्स का सवाल है उसकी बात मैं कह चुका हूं। अभी का एक वाकया बतलाना चाहता हूं। कोयला साईडिंग पावर हाउस ऐशबाग में कोयली नाम का एक चमार चपरासी था। वह स्थायी होने वाला था कि वहां के इंजीनियर साहब ने उसको दूसरों के साथ कोयले भेज कर उस में पकड़कर चोरी में फंसा दिया। उसकी नौकरी भी गई और सजा भी पायेगा। मैंने एस० एस० पी० से टेलीफेन मिलाया तथा एस० पी० से मिलाया। वह मिले नहीं। सहायक एस० पी० से शहर में बात की और उनको सही हालात बतलाये कि उसके साथ यह अन्याय हो रहा है और वह चोर नहीं है और महज नौकरी से हटाने के लिए उसको चोरी में फंसाया है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब ने भेजा है और वह इस तरह से नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, मैं जानता हूं कि कोई भी इंजीनियर और ओवरसियर इस प्रदेश में ऐसा नहीं है जो सही बात कहता हो। जितने भी इंजीनियर और ओवरसियर हैं वे सब नहीं तो अधिकांश बेईमान हैं फिर भी उसको चोरी के केस में फंसाया गया।

श्री पातीराम अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही मैं मुख्य मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि जो हमारी एक अरसे से मांग थी कि हरिजन कल्याण विभाग किसी हरिजन मंत्री के पास होना चाहिये, उसे मानकर उन्होंने इस विभाग को परिगणित जाति के एक मंत्री को देकर दूरदर्शिता का परिचय दिया है और समाज कल्याण विभाग उनको देकर हम में विश्सास की भावना पैदा की है। यह हमारे लिए एक प्रोत्साहन की बात है। हरिजन समस्या आज ऐसी चीज है कि जिसका हमारे देश और प्रदेश से बड़ा संबंध है। यह भी गर्व के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस का जो विशाल बहुमत यहां है यह हरिजनों की ही देन है और इसमें हरिजनों का बड़ा हाथ है। अगर राज्य सरकार हरिजनों की समस्या पर गंभीरता से विचार करे तो मालूम पड़ेगा कि उस पर हरिजनों का बड़ा ऋण है जो उसे चुकाना जरूरी है? लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि इस से सरकार अनभिज्ञ है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। एक रिजर्वेशन का सवाल है। आज हरिजनों का रिजर्वेशन किसी भी रूप में पूरा नहीं हो रहा है। अभी माननीय राज्यपाल महोदय ने इसके लिए संकेत किया है और उन्होंने इस बात पर क्षोभ प्रकट किया है कि १७ वर्ष बाद भी हरिजनों का अनुपात नौकरियों में पूरा नहीं हो पाया है। और इसलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा कि विभागों में ४५ फीसदी तक रिजर्वेशन पूरा किया जाय। हमारे लिए यह शर्म की बात है। सरकार को चाहिए कि वह इसके लिए कोई सक्रिय कदम उठाये ताकि जो वायदा उसने किया है उसकी पूर्ति हो सके। इसके लिए सरकार को अलग से एक विभाग मुकर्रर करना चाहिए जिसका काम यही हो कि वह देखे कि विभिन्न विभागों में हरिजनों को उनके अनुपात से नौकरियां प्राप्त हों। आज कहा जाता है कि हरिजनों के सूटेबिल कौंडिडेट्स नहीं मिलते। किन्तु इतना सुनने मात्र से हम लोगों को संतोष नहीं होता। इससे एक उत्तेजना बढ़ रही है जो पता नहीं कब क्या रूप धारण कर ले। इसलिए समय रहते ही सरकार को सोचना चाहिए और राज्यपाल महोदय ने जो संकेत किया है उसको समझ कर उचित कदम उठाने चाहिए।

मैं इसके लिए एक मिसाल देना चाहूंगा। जनरल कंपीटीशन में भी अगर हरिजन आ जाते हैं तो उनको मौका नहीं दिया जाता। सन् १९६१–६२ में पब्लिक सर्विस कमीशन के कम्पटीशन में जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के लिए हुआ था, ६ सीटों के लिए कम्पटीशन हुआ उसमें एक सीट रिजर्व्ड थी। उन ६ सीटों में एक हरिजन चुनाव में आया, और वेटिंग लिस्ट में पहला नाम एक हरिजन का था। आप को सुनकर ताज्जुब होगा कि उन ६ सीटों में ५ भर गयीं, एक आदमी ने ज्वायन नहीं किया वह दूसरे विभाग में चला गया न्यायसंगत बात यह थी कि उस छठी जगह पर वेटिंग लिस्ट वाले प्रथम हरिजन को मौका दिया जाता, लेकिन विभाग ने ऐसा न करके एक साल तक उस जगह को खाली रखा। जबकि एक साल में वह जगह भर

जानी चाहिए थी। यह गंभीर बात है अगर विभाग के अध्यक्ष और जिम्मेदार लोग इस तरह की बात करते हैं। यह हरिजनों के लिए खुली हुई चुनौती है। वे लोग टालमटोल करते हैं और ईमानदारी से काम नहीं करते।

दूसरी मिसाल है फर्रुखाबाद की। वहां एक आर्य कन्या पाठशाला है जहां एक हरिजन लड़की दाखिल होने जाती है। उसका दाखिला वहां नहीं हो पाता। वहां की प्रिंसिपल दाखिले को ही मना नहीं करती, बल्कि साथ-साथ उस पर आचरणहीनता का आरोप भी लगाती है। इस संबंध में मुकदमा चल रहा है जिस के लिए माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की गयी है और यह खुशी की बात है कि वे उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। इस किस्म के कार्य हम को चुनौती देते हैं और यह बातें हरिजनों के साथ जानबूझ कर की जाती हैं। इसके कोई माने नहीं होते कि छठी जगह पर उस हरिजन को नहीं लिया गया। उसके लिए हमने शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि संरक्षण के नाम पर हमारे साथ मखौल न किया जाय। ईमानदारी के साथ १८ प्रतिशत दे सकते हैं तो दें नहीं तो १० परसेंट कर दीजिए। लेकिन एक विभाग इस के लिए अलग से मुकर्रर कर दीजिए जो देखता रहे कि विभागाध्यक्ष इस बात का खयाल रखते हैं या नहीं और हमारा संरक्षण पूरा किया जाय।

अब इस अनुदान के संबंध में मैं दो एक त्रुटियों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपके यहां अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं। क्या मजाक है कि उस व्यक्ति को ५० रुपया दिया जाता है और उम्मीद यह की जाती है कि २४ घंटे वह काम करे? यह कहां तक मुनासिब है। इसके अलावा २८ फरवरी को उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाती है और उसके बाद फिर जुलाई या अगस्त में उनको फिर काम करने की इजाजत मिलती है। इस तरह से पैसे की बर्बादी होती है और उस बेचारे को भी कष्ट होता है। मेरा सुझाव है कि उनको कम से कम १०० रुपये दिये जायं और प्रत्येक जिले में २ सामाजिक कार्यकर्त्ता रहें और उनकी सर्विस रेगुलर कर दी जाय।

दूसरा सुझाव यह है कि आप कुंओं, मकानों तथा गृह उद्योग के लिए हरिजनों को जो प्रलोभन दे रहे हैं उसके कारण हमारे हरिजनों में भिक्षावृत्ति की मनोभावना पैदा हो गयी है। इससे हमारा मनोबल घटता जा रहा है। हमको भिक्षा नहीं चाहिए। इसके कारण आपस में लोगों में मनमुटाव भी बढ़ रहा है। अगर आपको वास्तव में हरिजनों का कल्याण करना है तो आप इसको बन्द कर दीजिए और इसकी जगह हरिजन छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाइये। उनमें शिक्षा का अधिक प्रसार कीजिये, उनको अनिवार्य वजीफे दीजिए और ईमानदारी के साथ देखिए कि वे कैसे आगे बढ़ते हैं और आपके काम में हाथ बंटाते हैं।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो महिला मंगल योजना चली है उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। आप उसके अन्दर जा कर देखें तो पता चलेगा कि उसमें जो बी० एल० डब्लू० हैं, सेविकायें हैं उनका स्वरूप क्या है। वह देहात की गरीब औरतों में फैशन का प्रचार कर रही है। आप उनको पैसा देकर अपने उद्देश्य की पूर्ति की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। आप महिला मंगल योजना द्वारा जो भावना प्रदेश की स्त्रियों में पैदा करना चाहते हैं उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि वह प्रगति हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही हो इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हरिजन समस्या पर एक दिन दो दिन तो क्या अगर अगर एक सप्ताह भी बहस कर लें तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

[श्री सुरजनराम विशारद]

(इस समय ३ बज कर २९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कमलासिंह यादव, पीठासीन हुए ।)

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । वैसे हर सदस्य बोलना चाहता है और हर सदस्य के हृदय में इस बात के प्रति एक असंतोष सा है कि सही रूप में जो काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है । उसका नतीजा यह हो रहा है कि करीब करीब ३ जिलों में हरिजनों का सफाया होता चला जा रहा है । आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर में हरिजनों का नाम ही खत्म होता जा रहा है । अनुसूचित जाति के नाम से लोग अपने को कहने लग गये हैं । अगर यही होता रहा तो शायद, जैसा कि डा० अम्बेदकर ने लिखा है, हरिजन शब्द ही दूर हो जायगा । काफी रुपया जो उनके लिए रखा जाता है बचा लिया जाता है । भेड़ों की अगर भेड़िया ही रखवाली करने वाला होगा तो वह भेड़ों को खा जायगा । इतना पैसा जो आप ब्लाकों के जरिए खर्च करना चाहते हैं, वह सारे पैसे का दुरुपयोग होता है, ब्लाक के कर्मचारी खा जाते हैं । बिरनो ब्लाक के धनेषपुर ग्राम में हरिजनों के लिए एक कुंआ बनवाने के लिए पैसा मिला था । वह पैसा यह लोग खा गये और यह कुंआ आज तक नहीं बना । उस कुंएं के लिए पैसा नहीं मिला । आजमगढ़ की बात बताऊं । वहां पर एक अम्बेदकर होस्टल है । सालाना उसके लिए २९०० रुपय मिलत ह । एक आदमी है जो वह सारा पैसा खा जाता है । कोई वहां का रेकार्ड नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है । माननीय मंत्री जी की भी नोटिस में मैं कई बार उसको लाया, आज ४ साल हो गये, आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । उसकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है । लड़के मारे मारे फिर रहे हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

मान्यवर, आज १७ साल के बाद भी हरिजन वहीं पर हैं जहां पहले थे । दिन प्रति दिन जितना अनुदान बढ़ रहा है, यह जाति पीछे जा रही है । १७ साल के बाद भी यह निकम्मी सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर पायी है, उनको बसाने तक का प्रबंध नहीं कर पायी है, और ढिंढोरा यह पीटती है कि वह हरिजनों के लिए बहुत कुछ कर रही है । कई जातियां तो इसमें ऐसी हैं जिनके बैठने तक का ठिकाना नहीं है । ब्लाकों को जो इनके उद्धार के लिए रुपया दिया जाता है वह ब्लाक के अधिकारी और कर्मचारी ही खा जाते हैं । आफिसरों से अगर कोई बात पूछी जाती है तो वे हम पर धौंस जमाते हैं और कोई बात नहीं बताते ।

शिक्षा की जो प्राइवेट संस्थायें बनी हुई हैं वे व्यापार का अड्डा बनी हुई हैं । वे लड़कों से मनमानी फीस वसूल करते हैं । महमूदाबाद हायर सेकेंडरी स्कूल में पिछले साल ४ लड़कों का वजीफा वहां के हेडमास्टर ने खा लिया । बहुत जांच पड़ताल हुई, लेकिन कोई कार्यवाही उसक खिलाफ नहीं हुई । मैंने एक सवाल भी पूछा था कि जिला परिषदों के माध्यम से किताबों आदि के लिए जो वजीफा दिया जाता है वह दिया गया या नहीं ? मुझे अभी इसी १८ तारीख को इसी हाउस में उसका जवाब मिला है कि ३६ जिलों से रिपोर्ट आयी है और हर जिले का लिखा हुआ था कि अभी उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जांच पड़ताल हो रही है कागजपत्र मांगे जा रहे ह । तो ३१ मार्च के बाद लाखों रुपया सरकारी खजाने को वापस आ जायगा । मैंने एक जिले का, आजमगढ़ का चाहा कि डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स से मिलकर और हरिजन कल्याण अधिकारी से मिलकर इस काम को हल कराऊं लेकिन वह नहीं हो सका । यह काम इसलिए नहीं हो पाता है कि हरिजन कल्याण अधिकारी की इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिला परिषद् के माध्यम से वह बंटता है और जिला परिषद् अपनी जिम्मेदारी को समझती नहीं है कि वह बटे या न बटे । इस विभाग के मंत्री जी परिगणित जाति के हैं, वह पढ़े लिखे आदमी हैं अमेरिका भी देखे हैं और यहां भी उन्होंने देखा है, गांवों की हालत से वह वाकिफ हैं, वह जानते हैं कि जमींदारी टूटने के बाद किस तरह से वह पुराने जमींदार और प्रतिक्रियावादी तत्व गांवों में हावी होते जा रहे हैं । मैं उनसे यह मांग करूंगा कि इस अनुदान की रकम को वह हरिजन कल्याण अधिकारी द्वारा बंटवाने की व्यवस्था करें और जब तक ऐसा नहीं होगा तक तक कुछ भी होने वाला नहीं है ।

नौकरियों में प्रतिनिधित्व का जहां तक सवाल है, किसी भी विभाग में किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों में देखें वह प्रतिनितित्व पूरा नहीं है, हर जगह असंतोष मिलेगा। एक हरिजन एस० पी० दौलतलाल थे, बहुत हो हल्ला मचाने के बाद वह अस्थायी डी० आई० जी० बना दिये गये। क्या सरकार उनको परमानेंट नहीं कर सकती थी? लेकिन सरकार के मगरमच्छ के आसूं ये हैं। सारे इनके अधिकार छीनकर के प्रसन्नता के आंसू सरकार बहा रही है और कहती है कि हरिजनों का उत्थान वह कर रही है। इससे हरिजन भले ही भुलावे में आ सकते ह लेकिन परिगणित जाति और अछूत इससे भुलावे में नहीं आ सकते। कांग्रेस का कोई अहसान उनके ऊपर नहीं है। डाक्टर अम्बेदकर अगर न होते और उन्होंने संविधान में इनके लिए व्यवस्था न की होती तो इस सरकार से किये कुछ नहीं होता।

आज कांग्रेस के अन्दर जिस तरह की गुटबाजी है और जिस तरह के प्रतिक्रियावादी तत्व उसमें भरे हुए ह, वह हरिजनों की तरफ क्यों देखे? वह तो वोट के लालच में उनको अपने साथ लिए हुए हैं। मैं कहता हूं कि सारा हरिजनों के अनुदान का पैसा ब्लाक प्रमुख अपने आदमियों को दे रहा है। तो मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम इस विभाग में हरिजनों को ही रखें क्योंकि जैसे दूध से मक्खन निकलता है उसी तरह से हरिजनों के दिलों से जो निकलेगा वह इस परिगणित जाति और अछूतों की भलाई सही माने में करेगा और वह एक एक पैसे का हिसाब लेगा, हरिजनों के पैसे की रखवाली करेगा, फिर हम देखेंगे कि कौन इनका पैसा खा लेता है? आज यहां टिकरा हाउस में जो आफिस चल रहा है उसमें भी एकाध क्लर्क ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता और यह बड़े खेद की बात है कि आमजगढ़ के होस्टेल की फाइल यहां से गायब हो गई है। मंत्री जी उस फाइल को निकलावें और जल्दी से जल्दी उसका फैसला करें नहीं तो लड़कों का बुरा हाल होगा।

एक बात और कहना चाहता हूं कि उद्योग-धंधों की ग्रांट को रोक करके हर गांव में हरिजनों के लिये पानी पीने के कुएं बनवा दें, इसकी व्यवस्था अवश्य कर दें।

*श्री हरीसिंह—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने हरिजन कल्याण मंत्री जी को इस हरिजन अनुदान के लिये बहुत बधाई देता हूं जो कि उन्होंने इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत किया है। इसके साथ साथ मैं अपने माननीय मंत्री जी .....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हरीसिंह जी, जरा एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि महिला सदस्याएं कोई इस अनुदान पर नहीं बोलेंगी क्या?

श्री हरीसिंह—

नहीं, जरूर बोलेंगी, मेरे बाद बोलेंगी। श्रीमन्, इस विभाग के हरिजन कल्याण अधिकारी भी बधाई के पात्र हैं जो दिन रात हरिजनों के कार्य में लगे रहते हैं। जो बजट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वह २ अरब ६२ लाख का है और जबकि हर पांच व्यक्तियों के पीछे एक हरिजन इस प्रदेश में है उनके लिये केवल ३, ४०, १०, ६०० रुपया ही रखा गया है। मैं इस बात को तो नहीं कहता कि प्रति व्यक्ति एक रुपया पड़ता है या दो रुपया पड़ता है, मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश का सारा बजट तो बढ़ाया गया है लेकिन हरिजनों का बजट ज्यों का त्यों रखा गया है। पता नहीं हरिजनों की जनसंख्या घट गयी है या बढ़ गयी है। उनके लिये ५२ करोड़ ४० लाख रुपये आना चाहिये था क्योंकि उनकी आबादी कुल आबादी का पांचवां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

भाग है । लेकिन उनके लिये केवल ३ करोड़ रुपया ही रखा गया है । चाहे विरोधी दल के नेता हों या बहुमत दल के नेता हों, सब लोग चाहते हैं कि समाज में जो यह विष भरा हुआ है इसको दूर किया जाय । लेकिन देखने की बात यह है कि हरिजन कल्याण के अधिकारियों को भी आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा नहीं जाता है । मैं तो अपने जिलों में देखते हैं कि वहां पर हरिजन कल्याण विभाग के अधिकारियों की कोई इज्जत नहीं करता । हम सब यहां हाउस में आवाज उठाते हैं कि उन लोगों को जमीन मिलनी चाहिये । यहां बैठकर किसान और मजदूरों को लड़ाना चाहते हैं । कोई भी माननीय सदस्य यह कभी नहीं कहता कि बड़ी बड़े अट्टालिकाओं को बांटा जाय या बड़ी-बड़ी मिलों को बांटा जाय । यह सरकार ने भी नहीं किया है । हरिजन विभाग में सोशल वर्कर रखे गये थे जिनको ५० रुपया कुल दिया जाता था । उसमें भी हरिजन नहीं रखे गये, क्योंकि उनका चुनाव नेताओं के हाथ में आ गया, इसलिये उनमें भी सवर्ण लोग भर लिये गये । इस विभाग का एक प्रचार विभाग भी था जिसमें बार-बार कहने पर भी प्रचारक नहीं रखे गये ।

यहां कहा जाता है कि २५ प्रतिशत या ४५ प्रतिशत स्थान दिये जायेंगे लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या २ प्रतिशत स्थान भी उनको मिले हैं । बार-बार हम कहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक हरिजन होना चाहिये लेकिन १५ साल बराबर चिल्लाते हुए हो गये, लेकिन अभी तक नहीं रखा गया । कहा जाता है कि योग्य व्यक्ति नहीं मिलते । इस कम्युनिटी में तो डाक्टर अम्बेदकर जैसे विद्वान पैदा हुए हैं और चौधरी साहब और डाक्टर साहब जैसे व्यक्ति हैं । पी० एच० डी० तो आप लोगों में भी कोई नहीं है । इस हाउस भर में नहीं है । और आपको पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजने के लिये कोई योग्य हरिजन व्यक्ति ही नहीं मिलता है ? जहां तक प्रतियोगिता का प्रश्न है, हमने सुझाव दिया था कि प्रतियोगिता हरिजन अभ्यर्थियों के बीच आपस में होनी चाहिये, लेकिन ऐसा न करके आप सवर्णों को भी उसी में मिला देते हैं और इस तरह से हरिजन व्यक्ति योग्यता में नालायक साबित कर दिये जाते हैं । सरकार की तरफ से हरिजनों के लिये काफी काम किया जाता है, उनको बराबर अनुदान भी मिलता है लेकिन उनके अन्तर्गत काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनका हृदय स्वच्छ नहीं है । हम लोगों के बीच में ही एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने भारतीय संविधान को बनाया जिसके अनुसार सारी प्रान्तीय विधान सभायें आज चल रही हैं, उसकी योग्यता का कोई व्यक्ति नहीं है ।

आज रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो आये दिन झंडा बुलन्द किया जाता है उसका कारण यही है कि सरकार की तरफ से जो बातें कही जाती हैं वे पूरी नहीं होती हैं । हमने सरकार से पूछा था कि किस विभाग में कितने हरिजन हैं, लेकिन वह आज तक हमें प्राप्त नहीं हो सका । चपरासी तक हरिजन नहीं रखे जाते हैं । कहने के लिये तो संरक्षण ४५ प्रतिशत का है लेकिन वास्तव में १० प्रतिशत भी नहीं रखे जाते । श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय हरिजन कल्याण मंत्री के दिमाग और उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य की सराहना करता हूं, उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों की सराहना करता हूं और हृदय से बधाई देता हूं लेकिन मैं उनको सुझाव देता हूं कि आज कल जो रिजर्वेशन है, कम से कम उनको तो पूरा करें । क्या कारण है कि १८ साल तक रोजाना प्रोपेगेंडा और प्रचार करने के बाद भी १० प्रतिशत तक का रिजर्वेशन पूरा नहीं हो सका है ? इस तरह से केवल प्रचार करने से यह मसला हल होने वाला नहीं है । हमने देश के लिये कुर्बानी की है और हम इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, हम कमाते हैं और आप सब लोग खाते हैं, चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय ने अपने सारे आंकड़े पेश किये। कटौती के प्रस्ताव का प्रस्तावक महोदय ने अच्छे ढंग से छीछालेदर करते हुए विश्लेषण किया। मैं आंकड़े में नहीं जाना चाहता। केवल इतना ही बतलाना चाहता हू कि आंकड़ों के बनाने वाले और हरिजनों तथा हरिजन कल्याण का काम करने वाले, बड़े चतुर हैं और अपनी चतुराई का नमूना उन्होंने इन आंकड़ों को पेश करके प्रकट कर दिया है।

मौजूदा सरकार ने हरिजन विद्यालय जो अलग कायम कर रखे हैं वहां पर जो अध्यापक हैं--उनको स्थानीय संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों से भी कम तनख्वाह मिलती है जब कि उनको सरकारी स्तर के कर्मचारियों के बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिये। उनका सारा मामला बिलकुल घपले में पड़ा है और दूसरे यह कि उनको ६-६ महीने तक पैसा नहीं दिया जाता है। माननीय मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि उनका वेतन सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही देना चाहिये और उसी स्तर की उनको मान्यता भी मिलनी चाहिये।

सरकार बड़े जोरों से हरिजन और समाज कल्याण का ढिंढोरा पीट रही है। उसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। प्रायः टी० बी० के मरीज हरिजन और गरीब तबके के लोग ही होते हैं। जब सिविल सर्जन या किसी डाक्टर की तरफ से उनकी सहायता के लिये कोई दरख्वास्त पेश की जाती है तो मुश्किल से उनको साल भर में ४० रु० या ३२ रुपये की सहायता देकर सारा एहसान सरकार लूट लेती है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जमींदारी टूटने के बाद हदबन्दी और चकबन्दी के बीच जितनी जमीन निकली है उसका कोई पता नहीं चला कि वह किधर को गयी। उसका असर क्या पड़ा कि हदबन्दी और चकबन्दी के चक्कर से हरिजनों के मोहल्ले, गांवों के अन्दर उनके घर चारों तरफ से खेतीबारी से घेर दिये गये हैं जिसके कारण हरिजनों का विकास रुका हुआ है। मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिये तथा उनके विकास के लिये और रहने के लिये जगह तो दिला दें।

शासनारूढ़ दल १७ वर्षों से हरिजन और पिछड़े वर्ग की सही परेशानियां कहां से हैं इनका अनुभव नहीं कर सका, बल्कि झूठे आंकड़े दिखा करके समाज को अन्धकार में रखे हुए है। मान्यवर, पुराने सामन्तवादी जमींदार संपूर्ण गांव में गरीबों के घरों पर कब्जा किये हुये थे। आज वह बेचे जा रहे हैं और सरकार से मुआवजा तथा कर्जा लेकर खा रहे हैं। हरिजनों का भविष्य अन्धकारमय है इस पर सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिये।

आज हरिजनों के साथ विकास की बात की जा रही है। उनका विकास रुका है यह भी सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि समाज उनको दबाये बैठा हुआ है और उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। मैं अपने क्षेत्र करारी-मंझनपुर की तरफ सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में समाज कल्याण और हरिजन कल्याण का जो काम होना चाहिये था लगभग ३, ४ वर्षों से उस संबंध में मैं लिखा पढ़ी कर रहा हूं और एक प्लान दे रहा हूं कि अगर यह काम चालू कर दिये जायेंगे तो समाज कल्याण और हरिजन कल्याण दोनों का काम तेजी से चलेगा। लेकिन उस क्षेत्र में एक सामन्तवादी जमींदार प्रदुमनारायण सिंह, आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं जिनकी शिकायतें शासन के अन्दर मौजूद हैं और न्याय मंत्री जी को मालूम हैं लेकिन उन्होंने आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। बल्कि कह कर टाल दिया कि इस सदन के माननीय सदस्य बहुगुणा जी की बदौलत कुछ नहीं कर पा रहा हूं। वहां एक अलवारा झील है जिसमें हजारों बीघे जमीन पड़ी हुई है जिसको वही आनरेरी मैजिस्ट्रेट रोक रखे हैं, माननीय राजस्व मंत्री कह कर टाल देते हैं कि कानूनी अड़चनों की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से मेरे

[श्री नाथूराम शिक्षक]

क्षेत्र में एक पबोसा पहाड़ी है जिससे गिट्टी तोड़ने का काम चल सकता है । लेकिन उन आनरेरी मैजिस्ट्रेट की चतुराई के कारण कुछ काम नहीं हो पा रहा है । यह शासन का नमूना है कि सामन्तवादी और गलत तरीके से समाज को दबाये हुए बैठे लोगों को रक्षा दी जाती है तथा समाज का शोषण कराया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हुआ ।

*श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूं । ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन जो विशेष बातें हैं वही बातें आपके माध्यम से सदन के सामने रखूंगी । सबसे पहले मुझे यह कहना है कि पहले हमारे समाज में हरिजन समाज इतना गिरा हुआ था कि उसको उठाने के लिये काफी समय की आवश्यकता थी । लेकिन सरकार ने समाज कल्याण की स्थापना की और उसके द्वारा जो काम किये गये वह सराहनीय हैं क्योंकि सबसे पहले मुझे यह बताना है कि हमारे महिला समाज में जितनी भी १६०० के करीब ग्राम सेविकायें हैं वे ऐसी हैं कि जो समाज से वहिष्कृत की हुई हैं, जो अपने पतियों से बहिष्कृत हैं या जो अनेक अवस्थाओं में अलग हैं । उनके उत्थान के लिये हम समाज कल्याण विभाग के द्वारा ही धन देते हैं और इस तरह से जो महिलाओ के लिये कार्य किया जा रहा है वह भविष्य में और अधिक हो सके तो उनका कल्याण समुचित रूप से हो सकेगा ।

दूसरे मुझे यह भी कहना है कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे कार्य भी होते हैं जिनका वर्णन करना असंभव है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे शिशु होते हैं कि जिनका बहिष्कार कर दिया जाता है । उनके ऐसे कई केन्द्र भी हैं जिनमें उनका लालनपालन होता है और यह वह उपयोगी सिद्ध होते हैं । हमारे यहां जो वेश्यायें होती थीं उनके लिये भी प्रबन्ध किया गया है और जो भिखारी हैं या गरीब या मांग कर खाते हैं उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है । उनको कोई रोजगार दिया जाय या उनके लिये कोई ऐसा स्थान निश्चित किया जाय कि जहां वह जाकर रोजगार कर सकें । इस तरह से उनकी आर्थिक सहायता की जरूरत है । मैं कई जिलों में गई लेकिन मुझे हरिजन विभाग की ओर से कोई व्यवस्था नहीं मिली कि उनके लिये कोई साधन जुटाये जाते जिससे वह अपने जीवन को ठीक तौर से चला सके ।

मैं हरिजन कल्याण विभाग के बारे में कहूंगी अस्पृश्यता निवारण के लिये जो धन जिले में जाता है उसका ठीक तौर पर प्रयोग नहीं होता । नाम मात्र के लिये कमेटी बुलाई जाती है या भोज करा दिया जाता है जिसमें कभी लोगों को बुलाया जाता है और कभी नहीं भी बुलाया जाता और अक्सर पैसा भी ज्यों का त्यों बच जाता है ।

तीसरे, उद्योग के बारे में जो दरी या जूता उद्योग के लिये दो सौ, तीन सौ रुपया दिया जाता है वह बहुत कम है और वह इतना काफी नहीं होता कि जिससे रोजगार ठीक से चलाया जा सके । मैंने देखा कि अन्य सूबों मे ३ हजार और ५-५ हजार रुपया छोटे उद्योगों के लिये दिया जाता है जिससे रोजगार ठीक से चल पाते हैं । अगर वास्तव में हरिजनों का उत्थान करना है तो उनको कम से कम दो, तीन हजार रुपया इन उद्योगों के लिये दिया जाय । तीसरी बात मुझे यह और कहना है कि जो छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं वे इतनी कम हैं कि बहुत से छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और जिनके माता पिता बोझा नहीं उठा सकते वह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते । मैं चाहती हूं कि छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाय ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल सके ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री भूपसिंह (जिला अलीगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो विषय सदन में चल रहा है वह एक बहुत गम्भीर विषय है । यह हरिजन समस्या ऐसी छोटी मोटी नहीं है, यह हजारों वर्ष से उलझी हुई समस्या है । आजकल हमारे मंत्री जी ने इस ओर कदम बढ़ाया है लेकिन इसे पहले जो मंत्री जी थे उन्होंने जो कुछ भी किया है वह बिलकुल चौपट कर दिया है । जिस प्रकार से जूठन दी जाती है उसी तरह से हरिजनों को यह जूठन के तौर पर अनुदान दिया जा रहा है । अगर हरिजन इस कांग्रेस सरकार को अपना सहयोग न दें तो यह सरकार कुर्सी पर बैठी रह नहीं सकती । यह जूठन के नाम पर बहकावा देकर हमारे नाम हरिजन, परिगणित अनुसूचित और न जाने कितने नाम रखे गये हैं और वह समझते हैं कि इससे जातिवाद खत्म हो जायगा । अरे, छुआछूत तो इस सरकार ने पहले ही कायम कर दिया, जबकि इस सरकार ने पहले नाम अछूत, परिगणित बाल्मीकी, शेडयूल्ड आदि रख दिया । जैसा पुराने जमाने में कहा जाता था, चांडाल या बुरे बुरे नामों से पुकारा जाता था, तो इस तरह से हमको तो सरकार पहले ही नाम रखकर छुआछूत की दृष्टि से देखने लगी, और हमको अलग कर दिया ।

अब जो यह हरिजन अनुदान दिया जाता है, उसमें पार्टीबन्दी का लिहाज सबसे पहले रखा जाता है कि यह हरिजन जिसको अनुदान दिया जा रहा है, वह कांग्रेसी हैं या नहीं । जन संघ या सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट या रिपब्लिकन को कोई ग्रान्ट दे दी जाय तो कांग्रेसी जो कि नुमाइन्दे बनते हैं हरिजनों के, कांग्रेस के एम० एल० ए० हैं, उनका नाम तक बता दूंगा, माननीय देशमुख जी हैं एक हरिजन महिला के लिये एक मशीन दी गई थी, तो वह डी० पी० ओ० के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि यह शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशन की मानने वाली हैं, इसलिये इनको मशीन नहीं दी जानी चाहिये। तो पार्टीबन्दी के नाम पर यह बहकावा होता है, कुनबापरस्ती होती है, अनुदान किनको दिया जाता है या तो वह मेहमान का मेहमान हो, साले का साला हो, बहनोई का बहनोई हो या जीजा का जीजा हो । गरीब आदमी को जिसको कि जरूरत है, उनको अनुदान कहीं नहीं पहुंच पाता । यह सरकार भी जानती है और अपोजीशन वाले भी जानते हैं और वह भी जो बैठे हुए हैं, वह भी जानते हैं। इस तरीके जो मसला चल रहा है, उनमें से अलहदा अलहदा चीज के पीछे जैसे मकान निर्माण के लिये पैसा दिया जाता है, वह इतना कम पैसा दिया जाता है, जिससे कि मकान गरीब आदमी या तो बना ही नहीं सकता या उसे खा जाता, उसको चूंकि पेट के लिये रोटी नहीं मिलती-वह दूसरे काम में लगा देता है, जब सवा सौ, २००, २५०, ५००, साढ़े सात सौ रुपया मिलता है, तो उसमें क्या हो सकता है । सात-सात लाख रुपया मिनिस्टर और एम० एल० ए० की कोठी बनाने में लगता है, तो सात सौ, ढाई सौ हरिजन के लिये मकान कैसे बन सकते हैं और फिर प्रधान जी उनको सीमेंट भी नहीं दिलवा पाते हैं । उधर एड नहीं देते, पहले बनवा लो तो पैसा मिलेगा, तब अनुदान मिलेगा, जो मिलता है, उसमें भी बी० डी० ओ०, ग्रामसेवक लोग खा जाते हैं । चेक भुनाने जाओ तो कचहरी में २५० रु० प्रमाणित करने वाले वकील और मोहर्रिर लेता है । २५० रु० में से तो सवा सौ रुपया ऐसे ही खत्म हो जाता है ।

कुआं निर्माण के लिये आप छुआछूत की बात करते हैं । पहले ही आपने यह चीज पैदा कर दी । यह नीति चल रही है कांग्रेस के जमाने में, हरिजनों के लिये, कुओं पर उनको चढ़ने दो, मंदिरों पर उनको चढ़ने दो, लेकिन आपने उस नीति को दूसरे रूप में बदला है कि यह चमारों का कुआं बन रहा है, यह कंजड़ों का कुआं बन रहा है, यह पासी का कुआं बन रहा है और यह कुआं मेहतरों का बन रहा है । आपने ऐसी नीति बना दिया है कि ब्राह्मणों के कुओं पर कोई न चढ़ सके ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री हेतरामसिंह (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, जो अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्रीमन्, यह पुस्तिका मुझे आज मिली है । इस पुस्तिका में लिखा हुआ है कि हरिजनों को इस तरीके से मकान निर्माण के लिये रुपया दिया जायगा । इसमें गोल माल दिया हुआ है । किसी दोस्त ने कहा है कि माल सब तेरा है पर चौका कुठले को हाथ न लगाना । श्रीमन्, आपके द्वारा, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें लिखा हुआ है कि चमार और शिल्पकार आदि के अलावा यह अनुदान न दिया जाय ग्रामीण क्षेत्रों में । चमार का काम करने वाले मुश्किल से १ या २ प्रतिशत होंगे और यह १२ लाख रुपया भी इस तरह से वापिस आ जायगा । सफा ७ में उन्होंने लिखा है कि यह जो हरिजनों को रुपया दिया जायगा, इसमें विमुक्त जाति को १२ और ३ लाख बाकी के लिये है । जो विमुक्त जाति के लोग हैं वे देहात के बहुत ही कम हैं । हमारे जिले मुरादाबाद में तो यह रुपया भी वापिस आ जायगा ।

कुटीर उद्योग के सम्बन्ध में कहा गया है कि जो २५ हरिजनों की सोसाइटी होगी, उसको २५ हजार रुपया ग्रान्ट के रूप में दिया जायगा । आज तक कोई २५ आदमियों की सोसाइटी नहीं बन पायी । इस तरह से यह रुपया भी वापिस आ जायगा । तो मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय, से, श्रीमन्, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि पिछले वर्ष १ लाख ८५ हजार रुपया मुरादाबाद जिले में एक ब्लाक को दिया । उसमें से ४० हजार का गबन हुआ । मैंने मंत्री जी को लिख कर दिया कि हरिजनों का रुपया है इसको बजाय डी० पी० ओ०, जो नान टेक्नीकल व्यक्ति हैं, हरिजनों को दिया जाय पर अभी तक कोई इन्क्वायरी नहीं करायी जा रही है । हमारे धुसिया साहब जो हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने वह पेमेंट को रोक दिया है । जो हो गया है वह तो हो गया है । १ लाख ८५ हजार रुपये का जो काम कराया गया है उसमें से मुश्किल से ५०-६० हजार रुपये का काम हुआ है । बाकी हड़प हो रहा है । मुरादाबाद में पमासा एक ब्लाक है जहां पर ७ १/२ सौ मकान बनाने थे । उन्होंने दूसरी जगहों से कर्जा ले लिया लेकिन आज तक २ १/२ वर्ष हो चुका है वह रुपया सरकार की तरफ से नहीं मिला है । इसी तरह से पिछले वर्षों में हरिजनों के लिये यहां से रुपया मंजूर किया गया लेकिन हमारे एक शर्मा जी वहां पर अफसर थे जो शायद इसे अपना ही रुपया समझते थे, २ साल तक नहीं दिया गया । अब वे मुरादाबाद से तशरीफ ले गये हैं ।

हरिजनों के लिये एक और फैसिलिटी सरकार ने दी है । अगर हमारी मुख्य मंत्री आज इस समय सदन में होती तो मैं निवेदन करता और वह है दफा १०९ जाब्ता फौजदारी । इसमें ऐसा होता है कि वे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं जिनका कोई रोजगार नहीं होता । मजदूर तो ज्यादातर हरिजनों में हैं तो उन को यह तौसी दे रखी है । दरोगा जी का अगर वह काम नहीं करता, या पटवारी का काम नहीं करता प्रधान का काम नहीं करता, तो दफा १०९ में गिरफ्तार कर लिया जाता है । उस ऐक्ट में यह दिया है कि तुम बहकी-बहकी बातें करते हो इसलिये तुम्हारा चालान कर दिया जाता है । मंत्री जी से निवेदन है कि दफा १०९ हरिजनों के लिये बहुत हानिकारक है, इसे खत्म कराया जाय और रुपये का जो दुरुपयोग हो रहा है विकास क्षेत्रों में उसे वहां से हटा कर जिले में कोई कमेटी बनाई जाय, उसके द्वारा उसे बंटवाया जाय ।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अधिष्ठाता महोदय, अभी जो इस अनुदान पर बहस चल रही है और माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं और इस १७-१८ साल में उत्तर प्रदेश की सरकार की हरिजन और समाज कल्याण सम्बन्धी नीति का अध्ययन किया है उससे ऐसा लगता है कि इस सरकार की हरिजन कल्याण की कोई नीति नहीं है । इसकी नीति उसी तरह है जैसे बहलिया लासे से चिड़ियों को फंसाता है, उस तरह से उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र की कांग्रेस सरकार हरिजनों के रह-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नुमाओं को अपने लासे में फांसती है ताकि हरिजनों का वोट उसे मिलता रहे। देश में ५ करोड़ हरिजन हैं। आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से हरिजन तथा औरतें एक ही श्रेणी में आती हैं, दोनों ही पिछड़े हुये हैं। मेरा यह निवेदन है कि अगर पातीराम तथा हरीसिंह जी वास्तव में हरिजनों के सुधारक होते उत्थान करने वाले होते तो वे उधर न बैठते। आज डाक्टर सीताराम जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति कांग्रेस का साथ दे कर हरिजनों के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं। उनकी बुद्धि कुंठित हो गयी है। आज हरिजनों के बच्चे आई० ए० एस० में इसलिये नहीं रखे जाते क्योंकि वे हरिजन हैं। पातीराम तथा हरीसिंह जैसे लोग पंत जी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलन में शरीक थे आज वे अपने को कांग्रेस के वजीरों की दया तथा चाटुकारिता पर मुनहसिर पाते हैं। एक पत्र मैं आपको सुनाता हूं, इसमें कितनी वेदना तथा दर्द है। देवरिया जिले का एक डोम है जिसके लिये यह सरकार पीने का पानी की व्यवस्था पिछले १८ वर्ष में नहीं कर सकी।

"प्रार्थी ग्राम पडरौना मड़ोरही, पत्राय दुदही, जनपद देवरिया का निवासी हरिजन (डोम) परिवार का सदस्य है। प्रार्थी के परिवार क. प.नी के बि ा बहुत ह. क्ष्ट है। प्रार्थी के गांव में एक कुंआ अवश्य है लेकिन गांव के अन्य लोग हमें कुंवें से पानी नहीं लेने देते। ऐसी परिस्थिति में हम नाले व गडही का पानी पीने को मजबूर होते हैं।

बहुत कहने सुनने पर कुछ लोग पानी भरकर बहुत दूर से हमारे बर्तन में डाल देते हैं तो उसका भी हमें पैसा देना पड़ता है। दो घड़े पानी का एक आना पारिश्रमिक देना पड़ता है। ऐसी दशा में हमें नहाने, धोने, पीने, घर की सफाई करने के लिये पानी की बहुत ही तकलीफ है।

बहुत ही प्रार्थना करने पर विकास समिति ने एक हैंड पाईप के लिये एक सौ रुपये की सहायता स्वीकृत की है। उसका कहना है कि इससे अधिक हम स्वीकार नहीं कर सकते। हैंड पाइप को खरीदने और उसे लगाने में लगभग दो सौ रुपये खर्च होगा। सौ रुपये अपने पास से लगाना हमारे लिये असम्भव है। दिन भर दौड़-धूप करने के बाद शाम को किसी तरह चूल्हा जल पाता है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि कम से कम एक सौ रुपया शीघ्रातिशीघ्र सहायता देने की कृपा करें ताकि हैंड पाइप लगाकर हमें पानी मिल सके।"

तो, श्रीमन् सौ रुपये के लिये वह दसवों महीने से प्रार्थना कर रहा है उसका प्रार्थना-पत्र पड़ा है, लेकिन आज तक नहीं मिला है। हरिजनों के नाम पर केवल चमार और मेहतर को ही माना जाता है जबकि धोबी, डोम, भंगी, पासी आदि की भी आज तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी हालत बहुत ही बदतर है। हरिजन अनुदान के नाम पर क्या होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की जहां की हमें जानकारी है हरिजनों के पास थोड़ी भी जमीन नहीं है, जबकि हरिजनों को खेती के लिये बैल खरीदने के लिये, कुंवे बनवाने के लिये और कृषि यंत्र खरीदने के लिये ऋण दिया जाता है। जब उसके पास जमीन ही नहीं है तो आप जो इन साधनों के लिये उन्हें अनुदान देते हैं, उसका वे क्या करेंगे। नतीजा क्या होता है, इसका नतीजा यह होता है कि इस तरह का सारा अनुदान कुछ मुखिया लोगों की जेब में चला जाता है, बैलों आदि के लिये जो भी पैसा दिया जाता है, वह उनकी जेब में चला जाता है।

मैं कहना यह चाहता हूं कि ऊंचे-ऊंचे अधिकारी जो हरिजन विभाग और मंत्री जी को परामर्श देते हैं वे किस तरह के नियम बनाते हैं कि विभाग से हरिजनों के लिये, बैल के लिये अनुदान दिया जाता है जबकि उसके पास जमीन ही नहीं होती है। यदि यह सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार हरिजनों का वास्तव में कुछ कल्याण करना चाहती है तो उसे केवल २ स्कीमें चलानी चाहिये। पहली यह कि सारे हरिजनों को पानी पीने को मिले और उनको अपने झोपड़े बनवाने के लिये जमीन प्राप्त हो। यदि यह हो जाये तो मैं समझूंगा कि यह एक बड़ी नीति होगी हरिजनों का भला करने की। आज जो हरिजन दूसरों की जमीन पर बसे हुये हैं, वे अपनी मेहनत मजदूरी

[श्री काशीनाथ मिश्र]

करने के लिये स्वतंत्र नहीं हैं, उन्हें उन्हीं की मेहनत और मजदूरी करनी पड़ती है, जिन ब्राम्हन और ठाकुरों को जमीन पर वे बसे हुये हैं । उनको उन ब्राह्मण और ठाकुरों की बेगार करनी पड़ती है जो उनको अपनी जमीन पर बसाये हुये हैं । जिन हरिजनों को हम लोगों ने लड़ झगड़ कर जमीन दिला दी, है और इस प्रकार से जो हरिजन अपनी जमीन पर बसे हुये हैं, वे मेहनत और मजदूरी करने के लिये पूरी तरह स्वतंत्र हैं । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह ऐसी स्कीम चलायें कि कोई भी हरिजन यह न कह सके कि हमें पानी पीने को नहीं मिलता या हमारे पास रहने के लिये अपनी जमीन नहीं है ।

दूसरी बात मैं शिक्षा के नाम पर कहना चाहता हूं । हरिजनों के लड़कों को ८–१० वर्ष की उम्र से मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, वे पढ़-लिख कैसे सकते हैं । यदि वह मेहनत, नौकरी न करें तो उनका और उनके परिवार का जीवन कैसे चले । जब उनके घर में पैसा नहीं है, खाने को नहीं है तो वे पढ़ कैसे सकते है वे स्कूल कैसे जाएंगे । यदि आप चाहते हैं कि उनके लड़के पढ़ें तो आपको कम्पलसरी एजूकेशन ग्रान्ट की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि प्रत्येक को यह ग्रान्ट मिल सके और हर लड़का पढ़ सके । और यह ग्रान्ट ८–१० साल के लड़कों को दी जाया करे । मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जैसा कि अभी शुरू में कहा है, कि सरकार लासा लगाये हुये है और कुछ लोग उनकी दलाली करते हैं । हरीसिंह और पातीराम ऐसे ही लोग हैं ।

श्री अधिष्ठाता––

आप दलाल शब्द न इस्तेमाल करें ।

श्री काशीनाथ मिश्र––

जो समर्थ लोग हैं वे ऐसा करते हैं और दूसरों को उसमें फंसाते हैं । उस पैसे से जाति तोड़ो सम्मेलन होना चाहिये और उसमें ब्राम्हण, ठाकुर सब बुलायें जायं और वे उनके साथ बैठकर अनिवार्य रूप से खानपान करें । इस तरह की दलाली और चाटुकारिता से उन हरिजनों का कतई उत्थान नहीं हो सकता है । पातीराम और हरीसिंह ऐसे लोगों को चाहिये कि वे कमेटी बनायें और सरकार के खिलाफ जेहाद करने के लिये हरिजनों का एक मोर्चा तैयार करें, जब तक यह नहीं होगा हरिजनों का कल्याण नहीं होगा ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)––

आज जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अभी-अभी काशीनाथ जी ने बहुत जोशीली और हरिजन उत्थान के लिये बहुत बड़ी बड़ी बात कही । लेकिन आज मैं काशीनाथ जी से कहना चाहता हूं ईमानदारी के साथ अगर उनके अन्दर उनकी पार्टी के अन्दर दम हो तो वह हरिजनों के लिये, खेतिहर मजदूरों के लिये उनकी समस्या को ठीक से सुलझाने की कोशिश करें । आज यहां हाउस में कह देना कि सरकार ने हरिजनों के लिये कुछ नहीं किया ठीक नहीं है । मैं कहता हूं कि १७ साल के अन्दर इस सरकार ने शिक्षा में जागृति की है और जागृति इसलिये पैदा की कि यह वर्ग अब तक पद दलित था, इसका उच्च जातियों द्वारा शोषण किया जाता था । आज हरिजन लोग आगे बढ़ रहे हैं और साथ-साथ सारा समाज आज आगे बढ़ रहा है । मैं कहता हूं कि ब्राह्मण और ठाकुर लोग हरिजनों के लिये बाधक हैं वे उनका शोषण करते हैं वे उनका उत्थान नहीं देखना चाहते हैं । माननीय काशीनाथ जी जो बड़ी-बड़ी बात करते हैं, यह दोनों सवर्ण जाति के लोग हरवाहों को १०, १५ रुपये देते हैं और खेती में काम लेते हैं, परन्तु इस महंगाई के युग में उनका पेट नहीं भरता, इसके लिये माननीय काशीनाथ जी ने कभी मुख्य मंत्री या सरकार को लिखा कि इनकी समस्या हल की जाय । यहां हाउस में हरिजनों की बात करते हैं लेकिन हलवाहे के हाथ का पानी नहीं छूते ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

हम उन्हें बता दें, हम हरिजनों का छुआ पानी पीते हैं ।

श्री गंगाप्रसाद---

मैं माननीय काशीनाथ मिश्र जी से यह कहना चाहता हूं कि आपके ही नेता माननीय डाक्टर राममनोहर लोहिया ने संसद में जो भाषण खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में दिया है कि तीन आना मजदूरी आज भी स्वतंत्र भारत में खेतिहर मजदूरों को आज दिया जा रहा है कैसे उनका जीवन यापन होगा और उसकी इन्क्वायरी प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने कराई । उसका नतीजा यह हुआ कि पटेल कमीशन ४ जिलों में लिये मुकर्रर हुआ । तो मैं माननीय काशीनाथ जी से कहना चाहता हूं कि क्या आपने किसी दिन असम्बली में माननीय डाक्टर राममनोहर लोहिया की बात यहां पर दोहराई कि खेतिहर मजदूरों की समस्या हल की जाय ? आज कोई भी पार्टी खेतिहर मजदूरों की मजदूरी की बात विधान सभा में नहीं उठातीं ।

श्री अधिष्ठाता---

आप धीरे-धीरे माइक पर बोलें ।

श्री गंगाप्रसाद---

क्या करें, काशीनाथ जी इस तरह की बात ही कह रहे थे जिससे हमें कहना पड़ा । वोट लेने के लिये सभी पार्टीयों के लोग हरिजनों की बातें करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज विदेशों में कोई हरिजन राजदूत नहीं है, इसके लिये विरोधी दलों की ओर से क्या किया गया ? हम तो एक राजनीतिक पार्टी के अनुशासन में हैं लेकिन आपने उस ओर क्या किया ? आपने क्या कोई आवाज उठाई ? माननीय राधाकृष्ण के सभापतित्व में जो जांच कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश भी हुई कि पब्लिक सर्विस कमीशन में हरिजन प्रतिनिधि लिया जाय लेकिन अभी तक नहीं लिया गया और न विरोधी पार्टियों ने हरिजनों की मांग को इस सदन में उठाया । उलटे करते यह हैं कि ३ करोड़ रुपये की मांग जो २ करोड़ हरिजनों पर खर्च होगी उसको कम करने के लिये कहते हैं । वैसे ही यह अनुदान दाल में नमक के बराबर है ।

श्री अधिष्ठाता---

समय समाप्त हो गया । बोलने वाले बहुत हैं ।

श्री गंगाप्रसाद---

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात विमुक्त जातियों के विषय में कहना चाहता हूं । आज विमुक्त जातियों के लियेअनुदान इस हरिजन कल्याण विभाग में सम्मिलित है परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि न आई० जी० पुलिस और न उनका कोई प्रतिनिधि सदन में मौजूद है जो विमुक्त जातियों के सम्बन्ध में कही गयी बातो को नोट करके उन पर कार्यवाही करते । अभी हाल ही में मुजफ्फर-नगर में झिन्नाना कालोनी में पुलिस ने एक घर पर तलाशी ली और वहां औरतों का कपड़ा उठाकर देखा गया कि मादा है या नर और इस तरीके के अत्याचार पुलिस विमुक्त जातियों के साथ करती है । यही हाल है थाना मनकापुर, गोंडा जिले में, अभी फरवरी मास में एक नवयुवक लड़का अपनी ससुराल साइकिल पर जा रहा था । रास्ते में थाना मनकापुर पुलिस मिली और उसका ट्रांजिस्टर और साइकिल छीन ली और उसे थाने में ले जाकर बन्द कर दिया । उसके घरवालों ने एस० पी० को और डी० एम० को प्रार्थना-पत्र दिया, लेकिन उस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसलिये श्रीमन् इस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करावें ।

[श्री गंगाप्रसाद]

गोंडा जिले में जो वजीफा बरवार जाति के बच्चों को दिया जाता है वह अंग्रेजी काल में ३ हजार रुपया था। ६३–६४ में २ हजार था और ६४–६५ में वह १ हजार कर दिया और ६५–६६ में भी एक हजार रखा गया है जब कि डाइरेक्टर ने २ हजार रुपये के अनुदान के लिये लिखा था। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उस अनुदान (वजीफा) को बढ़ाकर ५ हजार रुपया कर दिया जाय जिससे हर बच्चे को छात्रवृत्ति मिल सके।

एक बात और कहना चाहता हूं कि १६ लाख आदमी बंधित हैं और वे पुलिस के जरिये से बंधित बनाये जाते हैं। वह सुधरना चाहते हैं और सरकार खर्च भी करना चाहती है लेकिन वे पुलिस की वजह से सुधर नहीं पाते। आये दिन उनके ऊपर अत्याचार होता है और दफा १०९ और ११० के अन्दर उनको जेलों में डाल दिया जाता है। यह बात खत्म होनी चाहिये।

माननीय मंत्री जी की असीम कृपा से गोंडा में आश्रम टाइप स्कूल बरवार जाति के बच्चों के लिये बनना निश्चय हुआ है। इन समस्त स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने एवं मुफ्त भोजन तथा कपड़ा इत्यादि भी देने का नियम है।

इसके साथ ही औद्योगिक संस्थाओं की भी बात है। गोंडा में स्थापित करने के लिये १५ लाख रुपये का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है। इन औद्योगिक संस्थानों में ५६० हरिजन परिवारों को रोजगार मिल सकेगा। यह बहुत अच्छी बात है। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता––

समय समाप्त हो गया, कृपया बैठिये।

श्री ऊदल––

अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इस विभाग की जिम्मेदारी डाक्टर सीताराम जी के ऊपर है और श्रीमती तारा अग्रवाल के ऊपर है। इन दोनों ही महानुभावों ने इस विभाग को चलाने में बड़ा प्रयास किया है और उसके लिये ये दोनों बधाई के पात्र हैं। इस विभाग के जो अधिकारी हैं वे भी बड़ी सहानुभूति रखते हैं और सोशल वेलफेयर जैसा इसका नाम है वहां जो लोग जाते हैं उनके साथ वे वैसा ही अच्छा व्यवहार करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं और उनकी शिकायतों को रफा दफा करते हैं इसलिये वे भी बधाई के पात्र हैं। जहां तक कमियों का सवाल है और इस विभाग को रुपये देने का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में मैं इतना कहूंगा कि कमियां बहुत सी हैं और समस्यायें भी बहुत हैं। यह समस्यायें हमारे प्रदेश में नहीं हैं बल्कि पूरे देश की समस्या है। जाति पाति के नाम से, ऊंच नीच के नाम से एक जटिल समस्या है। मैं समझता हूं कि इस समस्या का समाधान आसानी से या कुछ रुपया पैसा देकर नहीं किया जा सकता है। यह समस्या जटिल है। इस समस्या का समाधान बड़े विचार और मंथन के बाद ही हो सकता है।

मेरी राय में इस समस्या का समाधान जो कि नौकरियों में परसेन्टेज से संबंध रखता है एक तरीके से हो सकता है जिसको मैं आज सदन के समक्ष कहना चाहता हूं। इसमें सरकार को कुछ कदम उठाने का सवाल है। सरकार को चाहिये कि अगर वह सचमुच यह चाहती है कि ऊंच-नीच और जाति पाति का भेदभाव मिटे और नौकरियों में उनको सम्मान मिले, ज्यादा जगहें मिले तो इस तरह से विचार होना चाहिये कि उसके लिये कोई कायदा बनाया जाय। इस विषय में इन्टर कास्ट मैरेज के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। आज जब हम पढ़ाई लिखाई के ऊपर भी खयाल करते हैं तो इस तरह का प्राविधान करना चाहिये। तब जाकर यह समस्या कुछ हल हो सकती है। जो लोग इन्टर कास्ट मैरेज करेंगे उनको अगर सरकार नौकरियों में प्राथमिकता देने की बात सोचेगी तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों की बहुत समस्यायें हैं और अपराधशील जातियों की भी बहुत सी समस्यायें हैं । हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में कई जातियां हैं जैसे खरवार, कोल, मुसहर जाति के लोग हैं । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों में मुसहर जूठे पत्तल को चाटता है और गुजारे के लिये इसके पास कुछ नहीं है । ये ऐसी जातियां हैं जिनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है जिसके ऊपर वह रहने के लिये मंडवी डाल सके । उनके बसने के लिये भारत सरकार ने कुछ रुपया प्रदेश की सरकार को दिया था लेकिन कानूनी दिक्कत की वजह से उससे भी लाभ नहीं हो सका क्योंकि जब तक ५ एकड़ जमीन न होगी तब तक उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता । नियमों में संशोधन कर रुपये का इस्तेमाल होना चाहिये । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि ऐसे प्रश्न पर आश्वासन देने की आवश्यकता है । मेरे जिले को, अपराधशील जातियों को बसाने के सम्बन्ध में १ लाख ६० हजार रुपया दिया गया, लेकिन उसमें से केवल १७ हजार रुपया खर्च हो खर्च हुआ और वह भी दलालों के जरिये से खर्च हुआ जिसका उपयोग उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिये था । मैं चाहता हूं कि सरकार इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दे । जहां तक अनुदान बांटने का सवाल है मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसके ऊपर विचार करें कि जो ब्लाकों के द्वारा आपके यहां से उद्योग, कृषि और कुओं आदि के लिये रुपया दिया जाता है वह ऐसे ही पड़ा रह जाता है । मैं चाहता हूं कि हरिजन कल्याण अधिकारी के जिम्मे वह रुपया हो जाय और जिले के स्तर पर सरकार पहले जैसी कमेटी बना दे ।

जिला परिषदों द्वारा आठवीं कक्षा तक पिछड़े वर्ग व हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है । ३६ जिलों की रिपोर्ट देखने से पता चला कि छात्रवृत्ति का रुपया जिस प्रकार से बांटा गया है उसमें कहीं पर ११ हजार, कहीं पर १२ हजार और कहीं पर ६ हजार नहीं बांटा गया है, पड़ा हुआ है । मैं चाहता हूं उस रुपये को भी यदि हरिजन कल्याण अधिकारी के जिम्मे कर दिया जाय और उस के लिए भी कमेटी बना दी जाये तो बड़ी सुविधा लड़कों को हो सकती है । वहां पर लड़कों की दरख्वास्त आने पर उन को आसानी से रुपया दिया जा सकेगा । प्रान्तीय स्तर पर छात्रवृत्ति टाइम के अन्दर यानी दिसम्बर के पहिले मिल जाये । यह काम बहुत बड़ा है और अकेले उनके बस की बात नहीं है । ५३, ५४ जिलों से लाखों की तादाद में स्कालरशिप की दरख्वास्तें आती हैं तो १०, १५ आदमी नवम्बर, दिसम्बर तक उनको निपटा नहीं सकते हैं । उनके लिए यह बहुत मुश्किल बात है । गम्भीरतापूर्वक सोचना होगा कि ५४ जिलों के लड़कों को समय के अन्दर स्कालरशिप का रुपया मिल जाय, इसके लिए क्या किया जाय ? मैं समझता हूं कि स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता होगी । एक अधिकारी और थोड़े से बाबू उस काम को नहीं कर सकते हैं । इसलिए मन्त्री जी इस सवाल पर सोचें । विभाग में बहुत से कर्मचारी अस्थायी पड़े हैं, जिलों के अन्दर भी पड़े हैं, उनको परमानेंट किया जाय, ताकि वे हौसले से काम करें ।

*श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)——

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो आज अनुदान पेश किया है मैं उसका दो हिस्सों में वर्गीकरण कर सकता हूं——एक आर्थिक सुधार सम्बन्धी तथा दूसरा सामाजिक सुधार सम्बन्धी । पहले मैं आर्थिक सुधार के सम्बन्ध में कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं । इसके लिए जो अनुदान दिया जाता है उस का सही रूप से इस्तेमाल नहीं हो पाता और काफी रुपया बचा लिया जाता है, उसे खर्च नहीं किया जाता । जिला स्तर पर मान्यवर, ३ कमेटियां हैं, एक शिक्षा उप समिति, एक उद्योग उप समिति, तथा एक स्वीपर समिति । इन समितियों द्वारा हरिजनों को अनुदान दिया जाता है । शिक्षा समिति द्वारा तो जरूर जो स्टाइपेन्ड का पैसा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामसिंह (सहारनपुर)]

होता है वह दिया जाता है, मगर जो और दूसरी समितियां हैं, उनकी बैठकें ही नहीं होतीं। मैं अपने यहां की बात जानता हूं, ३-४ साल से उनकी बैठक ही नहीं हुई है। इन समितियों ने कोई कार्य अपने क्षेत्र में नहीं किया है। आपने जो केन्द्रीयकरण की पालिसी अख्तियार की थी, वह हरिजनों के लिए सही साबित नहीं हुई। हरिजनों के अलावा, दूसरे लोगों की इस से दिलचस्पी नहीं रही कि हरिजन अनुदानों का सही रूप में इस्तेमाल किया जाय। मैंने पहले भी यह कहा था कि जिला हरिजन अधिकारी के पास इस बात की रिपोर्ट होना चाहिये कि जिले के अमुक अमुक विभाग में कितने स्थान हैं, उन में कितने हरिजन हैं और कितने अन्य जाति के हैं। ऐसी सूची उन के पास आना चाहिये। जब तक आप यह नहीं करेंगे उनका सुधार नहीं होगा।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ने हरिजनों के लिए जो छात्रावास की व्यवस्था की है जिसमें ४० प्रतिशत दूसरी जाति के लड़कों के लिए स्थान सुरक्षित किया है, मैं इसे ठीक नहीं समझता। इससे अच्छा यह होगा कि विश्वविद्यालय आदि से सम्बन्धित जो छात्रावास हैं उनमें हरिजनों के लिए आप २५ या ४० प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दें। उनके लिए प्रथक से छात्रावास बनाने की आवश्यकता नहीं है।

दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। पिछले दिनों यह घोषणा हुई थी कि हरिजनों के लिए २५-४५ प्रतिशत तक स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं। मैं चाहता हूं कि आई० टी० आई० के लिए भी आप कुछ कोटा सुरक्षित कर दें।

हाउसिंग के लिए जो आप ७५० रुपये देते हैं, और साथ में यह प्रतिबन्ध लगाते हैं कि मकान पक्का होना चाहिये, इतने साइज का होना चाहिये, इतने रुपये से वैसा मकान बनवाना उसके बस की बात नहीं है। यह अनुदान और बढ़ना चाहिये। उन के आवास के लिए जमीन भी दिलवाने का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये। सीलिंग वगैरह से भी हरिजनों को भूमि नहीं मिली। उनको कुछ फायदा नहीं पहुंचा। अगर कहीं जमीन मिली भी है तो जिस परिवार को जमीन निकली, उसने किसी तरह अपने किसी रिश्तेदार के नाम से उसको करवा लिया।

इसी प्रकार से चकबन्दी की बात मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि चकबन्दी में जितनी जमीन भूमिहीनों के लिए छोड़ी गयी वह या तो गांव के सरहद पर छोड़ी गयी जिससे कोई फायदा न हो सके और या अगर गांव के नजदीक छोड़ी गयीं, तो वह भूमिहीन व्यक्तियों के कब्जे में न जाकर दूसरे व्यक्तियों के कब्जे में है। इस तरह से हरिजनों की जितनी समस्यायें हैं उन पर अगर आप विचार करें तो शायद कई दिन उस में लग जायं। तीन चार बातें, जो मैंने मुख्य रूप से आप के सामने रखी हैं उन पर मन्त्री जी विचार करें और जो स्कीमें आप ने बन्द की थीं, उन को पुनः परिचालित करने पर विचार होना चाहिये।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हरिजन अनुदान पर माननीय मन्नालाल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। प्रतिवर्ष यह बजट पेश होता है और अनुदानों में लम्बी-लम्बी रकमें रखी जाती हैं परन्तु हरिजनों का कुछ भी भला उससे नहीं होता। हर साल अलग-अलग तरीके से अनुदान हरिजनों के पास पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अब से पांच छः साल पहले केन्द्रीय सरकार के सुझाव पर प्रत्येक जिले में एक-एक हरिजन सहायक आफिसर रखा गया था। उस वक्त कुछ उससे हरिजनों का भला हुआ, लेकिन उसके बाद जबसे हमारे उत्तर प्रदेश में यह विभाग समाज कल्याण के साथ जोड़ दिया गया है और जो रुपया हरिजनों के लिए अनुदान के रूप में रखा जाता है वह बजाय सीधे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के पास जाने के प्लानिंग के द्वारा उसका वितरण होने लगा है, तब से उस रुपये का सारा मंशा

ही खत्म हो गया है। प्रत्येक जिले में जब से प्लानिंग के जरिये से यह रुपया बांटा जा रहा है तब से उसका १/४ भाग भी हरिजनों के पास नहीं पहुंचता है। हरिजन पचास-पचास बार विकास क्षेत्रों में जाते हैं और अन्त में जब तंग आ जाते हैं तो जाना ही छोड़ देते हैं और अब तो हरिजनों ने दरख्वास्त देना ही बन्द कर दिया है, मायूस होकर घर बैठ गये हैं। पिछले वर्ष सारे विधायकों की यह राय रही है कि जिले में एक जिला समिति थी, अनुदान का रुपया जिसके द्वारा वितरण होता था, उसी प्रकार की वहां पर एक समिति थी। माननीय मन्त्री जी की भी अपनी राय ऐसी थी, लेकिन पता नहीं चलता कि कैबिनेट में जब निश्चय होता है तो वही बात आती है कि ब्लाकों के जरिये से ही रुपया बांटा जाना चाहिये। ब्लाकों में ग्र म सेवकों के पास दरख्वास्तें पड़ी रहती हैं, उनको वह विकास क्षेत्रों में नहीं रखते। अभी-अभी कुछ दिन पहले मालूम हुआ था कि जो हरिजन सहायक अफसर रखे गये हैं, प्रत्येक जिले में उनका पद तोड़ दिया जायगा और यह वापस कर लिये जायेंगे, इन को दूसरी जगह दे दी जायगी। यह कुछ उचित नहीं प्रतीत होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्र येक जिले में प्लानिंग आफिसर के पास सारा डिस्ट्रिक्ट का रुपया रहना चाहिये और प्र येक विकास क्षेत्र से दरख्वास्तें आ जानी चाहिये। वहां जिले में चुने हुये हरिजन सदस्यों की कमेटी में उस पर विचार होना चाहिये और उनके द्वारा वह रुपया जिले में बांटा जाना चाहिये। इस तरह से यह रुपया भली प्रकार बंट सकेगा अन्यथा ग्राम सेवकों के द्वारा यह काम नहीं हो सकेगा।

जो जमीन तमाम सूबे में पड़ी हुई है प्लान्टेशन स्कीम उसमें शुरू की जा रही है, जबकि हमारे लाखों और करोड़ों हरिजन इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। उनको जमीन नहीं मिल पाती है। पंजाब की सरकार ने हरिजनों के लिए जमीन मोल लेकर दी, उसमें कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ। इसलिये मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और मन्त्री जी को यह सुझाव देता हूं कि जब तक उन की आर्थिक दशा ठीक नहीं होगी, तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता। आज प्रत्येक गन्ना क्रशर के लाइसेंस दिये जाते हैं, तो उन्हीं लोगों को दिये जाते हैं, जिनके पहले से क्रशर चल रहे हैं, दूकानों के लाइसेंस भी उन्हीं को दिये जाते हैं। जिनके पास पहले से दूकानें हैं, हरिजन जहां का तहां पड़ा हुआ है। उस को न गल्ले की दूकान का लाइसेंस मिलता है, न और किसी चीज का लाइसेंस दिया जाता है। तो यह क्या समाजवाद है। क्या ऐसी ही समाजवाद होता है?

मैं अपने हरिजन साथियों से कहना चाहता हूं कि वे इस हाउस में पहले तो यह दुहाई देते हैं कि हरिजनों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है, लेकिन दूसरे ही क्षण में कहते हैं कि देश में अभी तक कोई राज्यपाल हरिजनों में से नहीं बनाया गया है। इस तरह की चापलूसी की बात करने से हरिजनों की कोई तरक्की नहीं हो सकती। जो भी कुछ मिलता है वह लड़ाई, झगड़े, और स याग्रह आन्दोलन करने से मिलता है। जबसे हमारे मित्र विधान सभाओं और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में आ गये हैं, अपने कर्त्तव्य से पीछे हट गये हैं। प्रदेश में हरिजनों की संख्या बहुत है। और वह मिल कर काम करें तो ज्यादा से ज्यादा रिआयतें हरिजनों को मिल सकती हैं। शिक्षा के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सरकार की ओर से चांस हरिजनों को दिया भी जाता है तो दूसरे उच्चाधिकारी उनको कुछ न कुछ क्लेम लगा कर निकाल देते हैं। बहुत से तहसीलदार और थानेदार नौकरियों से निकाल दिये गये हैं। क्या उसका ब्योरा इस सरकार के पास नहीं है?

अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि विकास क्षत्रों में जो पैसा हरिजनों के लिए जाता है उस को बांटने के लिए एक समिति सूबे के स्तर पर और एक-एक प्रत्येक जिले के स्तर पर रहे अन्यथा यह रुपया इसी प्रकार से गोल मोल होता रहेगा।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। यहां पर हरिजन कल्याण सम्बन्धी चर्चा हुई है, लेकिन मैं प्रदेश में जो आदिवासी जातियां हैं उनकी तरफ से कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, पूरे देश में जितनी स्टेट्स हैं, हर स्टेट में आदिवासियों को मान्यता मिली हुई है और उनके कल्याण के लिए विशेष सुविधायें दी जाती हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश में आदिवासियों का यह दुर्भाग्य है कि उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है। मैं समाज कल्याण मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब से वे यहां आये हैं तब से उन्होंने आदिवासियों की समस्या को लिया, और उन के बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा भी है कि इन जातियों को आदिवासी घोषित किया जाय। ५ जातियां छूट गयी हैं उनके बारे में कार्यवाही हो रही है। यदि इस प्रदेश में आप आदिवासियों की तरक्की करना चाहते हैं तो दूसरे प्रदेशों में उनके लिए जो हो रहा है, वह करना होगा। इसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर जोर डालना होगा कि उनको आदिवासी घोषित किया जाय। मैं मैसूर प्रदेश में आदिवासियों की समस्या को देखने के लिए गया था, वहां पर डेढ़ लाख की आबादी पर २-३ ट्रायबल ब्लाक्स बनाये हुये हैं। लेकिन अपने प्रदेश में ऐसी कोई योजना नहीं है कि यहां पर ट्रायबल ब्लाक्स बनाये जायं। हमारी एक विशेष समस्या है। ये लोग बहुत पिछड़े हुये हैं और जंगलों में रहने वाले हैं। इसलिये जब तक उनके लिए विशेष योजनायें नहीं बनायी जायंगी तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह नम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि वे जल्दी से जल्दी इनको मान्यता दिला कर उनके विकास की योजनायें बनायें।

हरिजनों के लिए जो गृह निर्माण का अनुदान दिया जाता है वह बहुत कम है और उसको ७५० रुपया से बढ़ा कर कम से कम १,५०० रुपया कर दिया जाय। इसी प्रकार कुओं के निर्माण के लिए ५०० रुपया दिया जाता है, उसको बढ़ा कर भी कम से कम १,५०० रुपया कर दिया जाय।

माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि हरिजनों का कोटा १८ प्रतिशत से बढ़ाकर २५ और ४५ प्रतिशत कर दिया गया है। मैं इसको नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि आप कोई ऐसा कदम उठायें कि जब तक उनका १८ प्रतिशत का कोटा पूरा न होगा तब तक अन्य लोगों की भर्ती ही बन्द कर दी जायगी। इसके अलावा हमारे प्रदेश में जो समाज कल्याण का काम चल रहा है वह सराहनीय है। सन् १९३९ से, जबसे कि महिला मंगल योजना कायम हुई तब से महिलाओं के विकास के लिए कई कार्य किये जा रहे हैं। यही नहीं, बल्कि पंगु, बधिर, अंध बालकों की शिक्षा-दीक्षा के लिए भी विशेष योजना चलायी जा रही है और वास्तव में एक कल्याणकारी राज्य के लिए यह जरूरी भी हो जाता है। मैं आपको बतलाऊं कि हमारे क्षेत्र में, मिर्जापुर जिले में महिला मंगल योजना के अन्तर्गत कई काम किये जा रहे हैं जिससे एक योजना क्षेत्र स्थिति के अन्तर्गत एक गांव में आदिवासियों को सब्जी तक नहीं खरीदनी पड़ती है। इसके लिए मैं आप के माध्यम से माननीय समाज कल्याण मन्त्री तथा उनके विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को बधाई देता हूं।

इसके अलावा मुझे दो-तीन बातें और कहनी हैं। एक बात जो सब से महत्व की है वह पेय जल की है। हमारा क्षेत्र जंगली और पहाड़ी इलाके में पड़ता है। वहां के लिए हमारी सरकार ने १० लाख रुपया दिया था, लेकिन वह अभी तक खर्च नहीं हो सका। इसका मुख्य कारण यह है कि वह ब्लाकों से सम्बन्धित है और ब्लाकों में जब इस पर चर्चा हुई तो मालूम हुआ कि ब्लाकों द्वारा इतना रुपया खर्च नहीं हो सका है। इस लिए इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि अगर २८ फरवरी तक, ब्लाक योजना में जो रुपया खर्च न हो सका हो उसे जिले के हरिजन सहायक अधिकारी को दे दिया जाय जो उसका वितरण कर सके।

इसके अलावा हमारे यहां जो हरिजन वेलफेयर अधिकारी हैं उसका अधिकार बी० डी० ओ० से भी कम है और एक तरह से बी० डी० ओ० ही उसके ऊपर शासन करता है। इसके अलावा ब्लाक्स में कायदे से कागज भी नहीं होते हैं जिससे किसी बात की पूरी जानकारी नहीं हो पाती और हरिजन कल्याण के रुपये पड़े रह जाते हैं। उस रुपये का सही तौर पर युटिलाइजेशन हो सके, इसलिए आवश्यक है कि हर ब्लाक में एक हरिजन ए० डी० ओ० रखा जाय जो हरिजन कल्याण सम्बन्धी कामों को ही देखे।

इसके अलावा छुआछूत दूर करने का जहां तक सम्बन्ध है, यह तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि हरिजन कल्याण अधिकारी को न्याय के अधिकार न दे दिये जायें। मेरा सुझाव है कि उसे कम से कम क्लास २ आफिसर के अधिकार अवश्य दे दिये जायं। अगर उसे न्याय के अधिकार दे दिये जायेंगे तो अस्पृश्यता का निवारण करने में वह सफल हो सकेगा। अस्पृश्यता दूर करने सम्बन्धी आपके ऐक्ट बने हुये हैं लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। आज १६–१७ साल के बाद भी नाई हरजिनों के बाल नहीं काटते कई, जगह हरिजन कुएं से पानी नही पी पाते। उसके लिए आवश्यक है कि सरकार कोई कदम उठावे। सब से आश्चर्य की बात है कि आपका जो ऐक्ट छुआछूत को दूर करने वाला बना हुआ है उसकी जानकारी आपकी पुलिस तक को नहीं है। जिससे वह उस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाती। आपने ऐक्ट ऐसा बना दिया है लेकिन केवल ऐक्ट बना देने से ही छुआछूत दूर नहीं होने वाली है।

श्री अधिष्ठाता--

आप का समय समाप्त।

*श्री उग्रसेन--

माननीय अधिष्ठाता जी, आज जो हरिजन अनुदान माननीय मन्त्री जी ने हमारे समक्ष रखा है और हमारे साथी ने जो कटौती का प्रस्ताव दिया है, उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि आप तो इसका विरोध करते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं तो सरकार की नीतियों का विरोध करता हूं। यह हो सकता है कि विश्व-बन्धु बापू के आदर्शों पर चलने का इरादा आपका पहले था, लेकिन आपने जिस तरह से हरिजनों का कल्याण किया है उससे हरिजनों का कल्याण तो नहीं हुआ है लेकिन उनका सत्यानाश जरूर हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके जो आफिसर है, जिनके हाथों में यह सरकार रहती है, उनमें द्विजो की संख्या ९७ प्रतिशत है और अद्विजों की संख्या केवल ३ प्रतिशत है। सब ठाकुर, ब्राह्मण, गुप्ता, लाला, श्रीवास्तव, हुकूमत के अन्दर भरे हुये हैं। ऐसी हालत में श्री कुरील या श्री वीरसेन को कौन पूछता है।

श्रीमन्, पी० ए० सी० की उप-समिति के साथ मैं इस प्रदेश के करीब २५ ब्लाक्स में गया और मेरे साथ श्री मन्नालाल, श्री सुक्खनलाल आदि भी थे। हम ने यह पाया कि जितने भी वहां बी० डी० ओ० आदि हैं वे सब उसी ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, गुप्ता आदि वर्ग के हैं। उनमें हरिजन कोई भी नहीं है। इस सरकार को चपरासी और पतरौल तक भी हरिजनों में से नहीं मिलते हैं, मुर्गा, मुर्गी के अनुदान पाने वाले भी इनको हरिजन नहीं मिलते हैं। और कलक्टरी लायक भी कोई नहीं है। ५४ जिलों में कोई कलक्टर हरिजन है? एक साहब हैं उनके पीछे भी तमाम दरख्वास्तें हैं, शाहजहांपुर में नंदलाल जी हैं, एक रामदास जी हैं। पुलिस में भी एक निम्ब साहब हैं उनको भी बड़ी दुर्गति हुई। एक और ढासे साहब हैं उनको भी गृह-मन्त्री जी ने अलग कर दिया। सारे बड़े-बड़े पद द्विजों के हाथ में हैं, यह सरकार द्विजों की सरकार है और इससे हरिजनों का भला नहीं हो सकता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

हमारी समाजवादी पार्टी क्या कहती है, वही एक पार्टी है जो कहती है कि पिछड़े हुये लोगों को विशेष अवसर दो। वह ५,००० वर्ष से पददलित रहे हैं आज आपको उनके लिए विशेष छूट हर जगह देनी होगी। आप उनको भी ६० प्रतिशत संरक्षण दें तब उन का भला हो सकता है। हमारे दल के महामंत्री रामसेवक यादव पिछड़े वर्ग के ही हैं, यह सोशलिस्ट पार्टी है, मजाक नहीं है। ६० प्रतिशत की बात छोड़िये, बैकवर्ड क्लासेज कमीशन ने कहा था कि २५ प्रतिशत संरक्षण दिया जाय, लेकिन आपके यहां डाक्टर सीताराम जी हैं या चौधरी गिरधारीलाल जी हैं, जो यह २ मन्त्री हरिजनों के हैं क्या वह कह सकते हैं कि उनके विभागों में हरिजनों का १८ प्रतिशत भी जगहें मिली हैं ? सिंचाई विभाग में पतरौल और चपरासी भले ही एक, दो रखे जाते हों, लेकिन आपरेटर और इन्जीनियर में तो आपको हरिजन के नाम पर शून्य ही मिलेगा। पारसाल इसी सदन में हमने सवाल उठाया था कि जो हरिजन छात्रा मेडिकल कालेज में भर्ती हुई, उनके नम्बर भी अच्छे आये और जिन को संरक्षण भी प्राप्त था उनको नहीं लिया गया और वही ब्राह्मण और द्विज लिये गये उसकी जगह।

माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने कहा कि हरिजन लोकसेवा आयोग में बिठाया जायगा। एक अफसर की यहां नियुक्ति की गयी कि वह देखें कि हरिजन उत्थान के लिए क्या हो रहा है, श्री पन्नालाल को इस काम के लिए रखा गया फिर उनको भी हटा दिया गया। मैं कहूंगा कि राजनीतिक क्रान्ति लाना आसान है, लेकिन आर्थिक क्रान्ति और सामाजिक क्रान्ति लाना बहुत कठिन होता है। सामाजिक क्रान्ति तो पीछे लगी है। ५ हजार वर्ष से यहां के हरिजन पददलित हैं, मनुस्मृति के नाम पर, रामायण के नाम पर, महाभारत के नाम पर उनका शोषण होता रहा है और उसको आप चाहते हैं कि फुलझड़ी छोड़कर, मन्त्री, विधायक, या संसद सदस्य बन कर ठीक कर लें, वह सम्भव नहीं है। आपको हर मुमकिन और विशाल कदम सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति के लिए उठाने होंगे। हम चाहते हैं कि हरिजन हमारी अगुवाई करें, हम उनके नेतृत्व में चलेंगे लेकिन अगर वह नहीं तो हम आगे चलने को तैयार हैं और जब तक वह मनुस्मृति का पाखंड न फूंक दिया जायगा हरिजनों का भला न होगा। मैं उन घरों में पैदा हुआ हूं और सारी तिकड़म जानता हूं कि किस तरह से ५,००० वर्ष से उनको चूसा गया है और हर स्थान से हटाया गया है। लिखा गया है कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसी मनुस्मृति को क्या करें। रामायण में लिख दिया कि "पूजिये विप्र जदपि गुणहीना" यह कोई विधायक बनने का या पद लेने का मामला नहीं है।

हटाइये हरिजन ग्रान्ट की बात, कोई शिकायत नहीं है। सवाल है समाज में बुनियादी क्रान्ति करने का, आपको तो एम० एल० ए० का टिकट मिल जायगा, आप खुश हो जायेंगे, और समझेंगे कि हरिजनों का कल्याण हो गया। कोई आप से कह देगा कि आप का नाम भी मिनिस्टरों में आ रहा है, तो आप भी पीकदान उठाने के लिए मिनिस्टर के घर चलेंगे। यह आप ही नहीं हैं, इधर भी बहुत से ऐसे लोग हैं।

(इस समय ४ बजकर ५३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं कि इस बात पर ही विशेष जोर दिया जाय कि ६० प्रतिशत का संरक्षण हरिजनों को दिया जाय, तभी सामाजिक क्रान्ति हो सकती है और पिछड़ी जाति के लोग बुनियादी तौर पर उन्नति कर सकते हैं, उनके घर की लड़की के लिए लाजमी शिक्षा आप करें, लाजिमी अनुदान और वजीफा कर दें। डाक्टर सीताराम जी हम से दो करोड़ रुपया आप बजट मांगे हैं वह अब नहीं है। अगर वह हम से १०-२० करोड़ का बजट हरिजन के लिए मांगते तो हम देते। इन शब्दों के साथ-साथ मैं फिर अपील करता हूं कि आप सामाजिक क्रान्ति करने के नींव डालें, तब हरिजनों का भला होगा।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस विभाग की ओर से अधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं। अभी तक एक माननीय सदस्य ने शिकायत की कि कल मैं निदेशक से मिलने के लिए गया था, उन्होंने मौका नहीं दिया। मैंने भी कल सम्पर्क स्थापित किया तो मालूम हुआ कि आज वे ग्रान्ट की तैयारी में लगे हुये हैं, वैसे तो वे बराबर मिलते हैं, सबका काम बराबर किया करते हैं। यहां पर माननीय मुख्य मन्त्री जी भी उपस्थित हैं, मैं आपके द्वारा उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं रिजर्वेशन की तरफ। अभी महामहिम राज्यपाल ने चतुर्थ श्रेणी में ४५ प्रतिशत, तृतीय श्रेणी में २५ प्रतिशत संरक्षण के लिए कहा है, लेकिन सन् १९५३ तक, जबकि १० प्रतिशत का संरक्षण था, तब साढ़े चार प्रतिशत ही पूरा हुआ, लेकिन जब १८ प्रतिशत रिजर्वेशन हुआ, तो साढ़े चार प्रतिशत से घटकर चार प्रतिशत ही रह गया। तो इस तरह से हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और।

आदेश अगर पूरा न हुआ तो उससे हमारा लाभ नहीं होगा। एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा कि उग्रसेन जी ने कहा, इसी सदन में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री गुप्ता जी ने यह आश्वासन दिया था कि हम लोगों के लिए लोक सेवा आयोग ने भी एक स्थान रखेंगे, लेकिन आज नहीं रखा जा रहा है, जबकि राधा कृष्णन कमीशन ने भी एक सदस्य लोक सेवा आयोग में रखने की बात कही थी। आज सब लोगों को बड़ा असन्तोष है, खासकर हरिजन सदस्यों को, लेकिन एक भी सदस्य वहां नहीं रखा गया। इसी तरह से जिले में भी जो लोग रखे जाते हैं, वहां भी हरिजनों का कोई प्रतिशत पूरा नहीं होता, उनका प्रतिशत तब पूरा होगा, जब अधिकारियों के लिए गुड इन्ट्री कर दी जाय कि जो अधिकारी हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा करेगा, उसको गुड इन्ट्री दी जायगी इस प्रकार से हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा हो जायगा। आज हरिजनों का फायदा नहीं हो रहा है, दूसरे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। आचार्य जुगलकिशोर कमेटी ने सिफारिश की है और सभी सदस्य रोजाना इसकी चर्चा करते हैं तो क्यों न आज सदन में यह घोषणा की जाय कि ब्लाक से हरिजन ग्रान्ट लेकर जिला हरिजन समिति द्वारा उसका वितरण किया जायगा।

इसी प्रकार अनिवार्य रूप से प्राइमरी में जो अंग्रेजी पढ़ायी जाती है और जो हरिजन लड़के उन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनसे भी कक्षा ३ में २५ पैसे, कक्षा ४ में ५० और कक्षा ५ में ७५ पैसे शुल्क हरिजन छात्रों से अनिवार्य रूप से वसूल किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि हरिजन छात्रों को इस शुल्क की अनिवार्य वसूली माफ होनी चाहिए।

छात्रावास के बारे में बहुत से लोगों ने कहा है और उसके लिए व्यवस्था बजट में है, लेकिन मैं चाहूंगा कि स्कूली संस्थाओं को बिलकुल ही इस काम के लिए ग्रान्ट न दी जाय, बल्कि विभाग की ओर से हर जिले में छात्रावास बनाए जायं और सरकार की ओर से व्यवस्था हो। स्कूली संस्थाओं को धन देने से उसका दुरुपयोग होता है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे हरिजन ग्रान्ट पर इतना ही कहना है कि मन्त्री जी के दल के लोगों ने अपने भाषणों में यह कहा है कि पिछले दिनों राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट पर भी लोक-सेवा-आयोग में कोई हरिजन प्रतिनिधि नहीं लिया गया है। इधर से यह भी कहा गया कि अभी तक देहातों में हरिजनों पर अत्या-

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

चार, जुर्म जारी है, उनसे बेगार लेना जारी है। यह भी कहा गया कि जब तक ऐसी गलत परम्पराओं के खिलाफ विद्रोह नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल भीख मांगने से या ग्रान्ट मांगने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि परिगणित जातियों के प्रति आज भी जोश और खरोश है, कुछ करने की हिम्मत है तो आओ हमारे साथ। हमने आन्दोलन किया और मांग की कि जब तक भारत के भूमिहीन किसानों को जमीन नहीं दी जायगी हमारा आन्दोलन जारी रहेगा, जब तक सरकार महंगाई की समस्या को हल नहीं करेगी हमारा आन्दोलन जारी रहेगा। इस आन्दोलन में हमारी माताओं, बहनों और बच्चों ने जेलें भी काटीं। उस समय इन परिगणित जातियों के लिये १८ प्रतिशत रिजर्वेशन की मांग के बारे में प्रधान मन्त्री ने आश्वासन दिया कि हम इन मांगों पर विचार करते हुए निकट भविष्य में इन स्थानों की पूर्ति करेंगे।

हमारे राज्यपाल महोदय ने ४५ और २५ प्रतिशत की बात अपने भाषण में की, लेकिन उसमें गजटेड अफसरों के लिए कुछ नहीं कहा गया। आप लोग भीख मांगते हैं, भीख मांगने से किसी कौम का उत्थान नहीं हुआ है। आप दुनिया की किसी भी कौम की तवारीख उठा कर देख लें तो पायेंगे कि जिस कौम में खून देने और कुरबानी करने की भावना नहीं होती वह कौम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसी तरह से इस देश में नारी को हमेशा दबा कर रखा गया, सामाजिक बर्ताव में समानता के अधिकार उनको नहीं दिए गए इसी कारण देश पिछड़ा हुआ है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में औरतों को बराबर के अधिकार हैं,उनको समाज में बराबर की इज्जत दी जाती है और वह मुल्क तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़े हैं। लेकिन हमारे मुल्क में उनके सोशल अपलिफ्ट के लिए कुछ नहीं किया गया। अगर सोशलिस्टिक तरीके से समाज का सुधार आप करना चाहते हैं तो देहात में समाज सुधारक स्त्रियों को भेजें और देखें कि किसान छप्परों में किस तरह रहते हैं और उनका सुधार कैसे किया जा सकता है, उसका अपलिफ्ट कैसे हो सकता है। शहरों में यहां केवल अंग्रेजी में भाषण दे कर सुधार नहीं हो सकता। आपको भारत की मौलिक संस्कृति में, जन-जन के बीच में क्रान्ति लानी होगी तब नारी का सुधार हो सकता है।

इम्मोरेलिटी को दूर करने की सरकार ने कोशिश की पर अनैतिक व्यापार में भी यहां पर जिम्मेदार अधिकारियों का हाथ होता है। गरीब औरतें जो नृत्य कला के आधार पर अपनी जीविका चलाती थीं, उन पर तो रोक लगा दी गयी है पर बड़े-बड़े मन्त्री लड़कियों के नृत्य को देखते हैं और कहते हैं कि हम तो सांस्कृतिक कार्य क्रम देख रहे हैं। फुटपाथ पर सोने वाला आदमी अगर नृत्य देखता है तो उसे जेल में भेज दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

*श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि बड़े प्रयत्न के बाद प्रस्तुत अनुदान पर बोलने का मुझे मौका मिला। सदन के सामने जो आज अनुदान माननीय मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और माननीय मन्त्री को बधाई देता हूं कि वे हरिजन कल्याण समाज के अनुदानों के वितरण में सुधार करने जा रहे हैं। जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक कमेटी बैठा रहे हैं, श्री आचार्य जुगल किशोर जी की अध्यक्षता में। यह कमेटी इस बात को देखेगी कि प्रदेश में जो उत्थान के कार्य होने थे वे हुए हैं अथवा नहीं और निर्धारित परसेन्टेज पूरा हुआ है अथवा नहीं। उस समिति की रिपोर्ट से हमारे इस विभाग में अवश्य सुधार होगा। हरिजनों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा दिखावे के लिए बहुत कुछ कहा जाता है और यह दिखाया जाता है कि उनके उत्थान में अधिकतर रुपया दिया जाता है। उनके लिए शिक्षा और निर्माण के कार्य में दिया जाता है। तो मैं एक-एक बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को लेकर बतलाना चाहता हूं कि कागजों में तो बड़े सुन्दर रूप से लिख दिया जाता है परन्तु व्यवहारिकता में क्या होता है? किस तरह से हरिजन इससे उदास रहते हैं? जो उद्योग के अनुदान हैं उनके लिए नियमों को अगर देखा जाय तो वे ऐसे हैं कि उनका पालन करना ही कठिन है। मिसाल के लिए उद्योग के लिए अगर कोई हरिजन २०० या २५० रुपए का प्रार्थना-पत्र देता है तो उसे २ आदमियों की जमानतें देना होता है और जमानतियों की हैसियत की तसदीक तहसील से कराते हैं। उसके बाद वह ब्लाक में जाता है। तो वह २०० या २५० रु० की धनराशि के पीछे ५ या ६ बार जाकर ५० या ६० रुपए व्यय करता है।

कृषि की भी यही हालत है। मैंने बहुत से ब्लाकों को देखा है। हमारे ब्लाक में कोई ऐसा हरिजन नहीं है जो उन नियमों के अनुसार लोन ले सके। कर्जे में १/४ सब्सीडी में दिया जायगा तब यह कर्जा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो क्या माननीय मन्त्री जी हरिजनों की ग्रान्ट के जो नियम हैं उनको दुबारा रिवाइज करायेंगे जिनसे जो अनुदान दिया जाता है, वह युटिलाइज हो सके।

शिक्षा की जो बात कही जाती है कि हमारे छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है और किताबों के लिए सब्सिडी मिलती है, लेकिन २० वर्ष पहले की जो दर है आज भी वही चल रही है। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर चीज की चार गुनी कीमत हो गयी है, जिस कारण बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की दर बहुत कम है। इसलिए वह दर ऊंची की जाय तभी उन्हें लाभ पहुंचेगा और समय पर छात्रवृत्तियां मिल सकेंगी और तभी छात्र अपनी शिक्षा पूरी कर पायेगा।

भवन निर्माण के लिए जो अनुदान दिया जाता है, उसमें जो यह शर्त लगा रखी है कि वह अपना शेयर भी शामिल करे तो एक हरिजन के पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि वह पहले अपने पास से खर्च करे और फिर आपसे अनुदान ले। अनुदान देना है तो आप उसे इतना दीजिए जिससे कि वह घर बना सके। आज महंगाई के जमाने में साढ़े सात सौ रुपए में कोई भी घर अच्छी तरह नहीं बन पाता है। इसलिए कम से कम पन्द्रह सौ रुपए एक आदमी को मकान बनवाने के लिए दिए जायं।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अनुदान का सम्बन्ध है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रदेश के ८० प्रतिशत लोगों से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनकी आर्थिक दशा का पता लगाने के लिए तथा उनका उत्थान किस तरह से किया जाय इसका पता लगाने के लिए सन् ५८ में बैकवर्ड क्लास कमीशन जो नियुक्त किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट दी और केन्द्रीय सरकार ने आज तक उसे सदन के सामने बहस के लिए नहीं रखा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस बात के लिए सिफारिश नहीं की कि उस रिपोर्ट पर बाद में विवाद कराया जाय। मैं यह जानना चाहूंगा जब लाखों रुपया इस कमीशन पर खर्च किया गया तो इस पर वाद विवाद क्यों नहीं हो सका? सभी सदस्यों ने अपने भाषणों में यह बतलाया है, बैकवर्ड क्लास कमीशन ने एक खास तरह का उपाय बताया है कि इस तरह से हरिजन तथा पिछड़ी हुई जातियों का उत्थान होना चाहिये, लेकिन उसके प्रति यह सरकार बिलकुल उदासीन है। जैसा कि बैकवर्ड क्लास कमीशन ने रिपोर्ट दी है मैं उसकी एक सिफारिश की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा—

"The policy of the Uttar Pradesh Government regarding tribes in their State is somewhat unusual.The Government refused to classify any groups as tribals. They insist that there is no need to classify any of the type as such."

जाति या वर्ग के आधार पर जैसा कि संविधान में दिया हुआ है, उस आधार को नहीं माना गया है और एक प्रकार से डुबेल पालिसी इस सरकार की है। यह सरकार कहती है कि हम पिछड़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

लोगों को, हरिजन लोगों को उठाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश की टेक्निकल इन्स्टीट्यूशंस में मेडिकल कालेज या इंजीनियरिंग कालेजेज में हरिजनों के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है और जब तक यह रिजर्वेशन नहीं किया जायगा तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता और न देश का ही कल्याण हो सकता है।

एक बात यह कही गई कि हरिजनों को जो ग्रान्ट विभिन्न विभागों के जरिए से दी जा रही है वह खर्च नहीं हो पाती। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि कोई उसकी तह में जाना नहीं चाहता। हरिजन ९० फीसदी भूमिहीन हैं और उनके पास कोई जरिया माश नहीं है। नतीजा यह है कि दफा १०९ के मातहत जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि पकड़कर वे जेल में बन्द कर दिए जाते हैं। सरकार के जितने अनुदान हैं वे केवल उसी आदमी के लिए हैं जिसके पास पैसा हो। किन्तु हरिजनों के पास पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से वे अनुदान इस्तेमाल नहीं होते।

जहां तक स्कालरशिप का ताल्लुक है १९६२–६३ के बजट के मुकाबले में आज वह कम होती जा रही है। यह बड़े शर्म की बात है। उनके विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए कम से कम १३–१४ करोड़ के बजाए इसमें २८ करोड़ रुपया होना चाहिए तभी हरिजन और पिछड़ी जातियों के लड़के पढ़ सकते हैं।

*श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हरिजन और समाज कल्याण का विभाग उपयुक्त नेताओं के हाथों में सुपुर्द किया है। उनके नीचे जो अधिकारी हैं वे भी उपयुक्त हैं। उनसे किसी को कोई शिकायत नहीं है। सदन में भी किसी से हमें शिकायत नहीं है क्योंकि सभी पार्टियों के लोगों ने हरिजनों के प्रति सहानुभूति दिखाई है। सब कहते हैं कि हरिजन समाज का उत्थान करो, इनकी आर्थिक स्थिति संभालो, इनकी शिक्षा संभालो, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि इनका उत्थान क्यों नहीं हो रहा है। सब तैयार भी हैं लेकिन सबको शिकायत भी है। कोई कहता है कि इनको जमीन दो, ठीक है वह बहुत बड़ी चीज है उससे हालत संभल जाती है; लेकिन एक चीज है दिल, जिसको मुफ्त दिया जा सकता है लेकिन उनको देने के लिए कोई तैयार नहीं है जिसकी वजह से रोना पड़ता है। हमारे डाक्टर साहब हैं, तारा जी हैं, हमारे धुसिया साहब हैं सब धुरन्धर डटे हुए हैं, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही है। पैसा देते हैं, कानून बनाते हैं लेकिन गाड़ी दर पर अटकी पड़ी है। गांधी जी ने जिस दिल की मांग की थी वही कमी है जिससे यह है। बापू ने हरिजन आन्दोलन के सिलसिले में कहा था कि मद्यनिषेध बहुत जरूरी है और समाज में इसका प्रचलन बन्द किया जाय। इसके लिए कांग्रेस ने आन्दोलन किए, धरने दिए लेकिन सब बेकार हुआ। इस समाज की स्थिति के सम्बन्ध में तो तुलसीदास जी का कथन ठीक उतरता है––

"ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार।
ताहि पियाइअ बारुणी, कहहु कवन उपचार।"

सब काम उत्थान के लिए हुये, लेकिन एक बात ऐसी कर दी जिससे हम गांधी जी से दूर चले गए। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं कि जहां शहरों में लेबरर्स की गृहस्थी बनना शुरू हो गयी थी वहां अब सबकी सब चौपट होना शुरू हो गयी। मैं कहता हूं कि अगर सही माने में समाज का उत्थान चाहते हैं तो उनके गृह बनाने के लिए जो ढाई सौ पांच सौ देते हैं वह सब रोक दें, सिर्फ शराब बन्द कर दें समाज कल्याण हो जायगा। अगर वह नहीं कर सकते तो यह धोखाधड़ी बहुत दिनों तक नहीं चल सकती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा निवेदन यह है कि लोग कहते हैं कि हम तो हरिजनों के हाथ का पानी पीते हैं। जहां यह बात कही जाती है वहीं साम्प्रदायिकता घर कर लेती है। जब आप यह कहते हैं तो इसके माने हैं कि आपके मन में वह बात है और आप उसको निकाल नहीं पाते। मैं सरकार से कहता हूं कि इस समाज को शरणार्थी मान लिया जाय। हरिजनों के अलग मार्केट बनवा दिए जायं, अलग छात्रावास बनवा दिया जाय और हरिजन लड़कों को शिक्षा देकर हरिजनों के अलग औद्योगिक संस्थान कायम कर दिए जायं जिससे उनकी बेकारी दूर हो। अगर यह नहीं कर सकते तो यह ढोंग बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है।

अभी हाल में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से एक आन्दोलन चला। दो-दो तीन-तीन हजार आदमियों को लेकर वह आन्दोलन चलाया गया। आन्दोलन में हरिजनों को दिलचस्पी हो यह बात नहीं थी बल्कि भुखमरी की वजह से, गल्ले की महंगाई की वजह से उस आन्दोलन ने उनको झकझोर दिया कि इन्सानियत से गया बीता उनके साथ व्यवहार हुआ। इससे उनको तकलीफ हुई। कुछ लोग नारा लेकर गए और बड़ा नारा लगाया कि हम जमीन देंगे लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि उस जमात ने धोखा दिया। मिलना विलना कुछ था नहीं तो वह बात सिर्फ कहने की थी। जब दिल नहीं है तो जमीन क्या देंगे। मैं आपसे कहूं कि कोई एम० एल० ए० अगर यह कहता हो कि उसने एक इंच जमीन भी किसी हरिजन को दिलाने की कोशिश की है या दिलाई है तो मैं उसको धन्यवाद देने के लिए तैयार हूं और वह धन्यवाद का पात्र है।

(श्री मन्नालाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

इस बजट पर हमको बोलने का समय नहीं दिया गया। पहले इसके लिए डेढ़ दिन रखा गया था लेकिन उसको एक दिन कर दिया। हम भी यहां पर हरिजनों के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए आए थे जिस पर मन्त्री जी कहते हैं कि हम हरिजनों के लिए कल्याण का बजट लाए हैं तो उस पर हम भी बोलना चाहते थे पर हमको समय नहीं दिया जा रहा है। यहां पर हमारे साथ यह अन्याय है....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइए।

श्री सुखदेवप्रसाद--

मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मुझे क्यों बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइए। बहुत लोग इस पर बोल चुके हैं। समय बढ़ाकर भी बोलने का अवसर लोगों को दिया गया है। आप बैठिए।

श्री सुखदेवप्रसाद--

मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं लेकिन मुझे बोलने का टाइम दिया जाय। हरिजनों के बजट पर हमको बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है तो इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री सुखदेवप्रसाद ने सदन का परित्याग किया।)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइए। इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री लखपतराम शर्मा--

मैं भी इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता था ....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइए। इस समय कोई प्रश्न व्यवस्था का नहीं हो सकता।

श्री मन्नालाल--

मुझे प्रसन्नता है कि आज इधर और उधर के सभी सदस्यों ने मेरी बातों का समर्थन किया। इसलिए उन सभी महानुभावों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सभी माननीय सदस्यों ने यह कहा कि नौकरियों में उनका रिजर्वेशन पूरा नहीं होता है। यह होता क्यों नहीं इसका उदाहरण मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। यहां पर लखनऊ में, जहां पर एक हमारे मन्त्री जी विराजमान हैं, परिवहन विभाग में कुछ लोग रखे गए हैं। वे लोग २४ रखे गए लेकिन एक ही जाति के रखे गए। इस प्रकार से एक ही जाति विशेष के लोगों को रखना क्या उचित है? उन मन्त्री महोदय का उन अधिकारीगणों से ताल्लुक है, कुछ रिश्तेदार हैं इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। जब मन्त्री महोदय, हमारे अधिकारीगण अपने अपने विभाग में अपने रिश्तेदारों को और अपनी जाति के लोगों को, अपने भाइयों को उन जगहों पर पूरी तरह से रखना चाहते हैं तो गरीब आदमियों को, गरीब हरिजनों को कैसे स्थान मिल सकते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इन स्थानों को पूरा करने के लिए कड़ा कदम उठायें। मैं माननीय मन्त्री पर कोई लांछन नहीं लगाता हूं। माननीय मन्त्री जी बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनको १८ प्रतिशत का कोटा पूरा करने के लिए कदम उठाना चाहिए। १८ प्रतिशत का कोटा पूरा करने की बात पवित्र संविधान के अन्दर कही गई है कि उनको पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर इस १८ प्रतिशत के कोटे को माननीय मन्त्री जी पूरा करने में अपने को असमर्थ पाते हों तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि माननीय मन्त्री जी कमंडल लेकर गंगा के किनारे चले जांय। अगर वे अपने को इस तरह से कमजोर पायेंगे तो उनसे हरिजनों का कल्याण होने वाला नहीं। उनमें ताकत आनी चाहिए। मैंने शुरू में भी कहा था कि मन्त्री जी को त्यागपत्र देकर एक संगठन तैयार करके क्रान्ति करने के लिए तैयार होना चाहिए। यदि हमारे अन्दर ताकत पैदा नहीं होगी तो ये सवर्ण हमको जिन्दा नहीं रहने देंगे और हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हम उनके नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और क्रान्ति के लिए उनके साथ आने के लिए तैयार हैं।

साथ ही माननीय मन्त्री जी से मेरी यह प्रार्थना भी है कि वह जब तक मन्त्री रहें तब तक प्रत्येक गांव में अछूतों के लिए पीने के पानी के कुएं बनवा दें, इसका प्रबन्ध तो वह कर ही दें, दूसरे उन अछूतों के लिए जो बेचारे बेघरबार हैं, उनके लिए पक्का मकान बनवाना तो दूर रहा, छप्पर का झोंपड़ा डलवाने के लिए जमीन ही दिला दें। तीसरी बात, मन्त्री जी अगर जोर देकर भूमिहीन बेकार हरिजनों को जमीन दिलाने की कोशिश करें, अगर वह जरा से कड़े पड़ जायं तो जमींदारी खात्मा के बाद निकली हुई जमीन और ग्राम सभाओं की बची हुई जमीन ऐसी नहीं है कि उनको न मिले। मिल सकती हैं लेकिन उसके लिए मन्त्री जी को अपने मन्त्रि-मण्डल में लड़ना पड़ेगा। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि चाहे मन्त्रि-मण्डल नाराज हो जाय, आपको टिकट मिले या न मिले, उसका डर छोड़कर अगर आप हरिजनों की भलाई चाहते हैं तो, उनको जमीन दिलाने का इन्तजाम अवश्य करें।

संरक्षण में १८ से ४५ प्रतिशत करने पर जोर दिया गया है, लेकिन माननीय मन्त्री जी, यह संरक्षण नहीं है, यह महज धोखा है। आज चतुर्थ श्रेणी में कुल संख्या कर्मचारियों की ५१,२६८ है जिसमें से ३,८०० हरिजन हैं जिनका प्रतिशत सात आता है। तृतीय श्रेणी में

कुल संख्या २,१९,०६७ है जिसमें हमारे परिगणित जाति के केवल ४,९२१ रखे गए हैं। इनका प्रतिशत केवल २.४ आता है। द्वितीय श्रेणी में १९,६६२ कर्मचारी हैं जिसमें केवल ५० हरिजन हैं जिनका प्रतिशत दशमलव जीरो जीरो कुछ आता है। प्रथम श्रेणी में ५९ तक कोई भी व्यक्ति नहीं था। लेकिन अब कुछ आए हैं लेकिन वह एक दो जो कलेक्टर और एस० पी० वगैरह हैं उनकी जरा दशा देखें। मन्त्री जी, उनकी ऐसी दुर्गति की जा रही है कि वह मजबूर हैं कि इस्तीफा देकर चले जांय। शाहजहांपुर का कलेक्टर कितना ईमानदार और कितना अच्छा काम करने वाला था जिसकी तारीफ माननीया मुख्य मन्त्री जी ने भी की थी, लेकिन इन कांग्रेसियों ने षड़यन्त्र रचकर उसके खिलाफ विशेषाधिकार कमेटी में मुकदमा पेश किया जो आप सब जानते हैं। इसी तरह से एक एस० पी० हैं उनकी भी यही दुर्दशा है। माननीय मंत्री जी, अगर आप जगह नहीं दिलवा सकते हैं तो जो एक दो चार पहुंच गए हैं कम से कम उनकी तो रक्षा कीजिए और उसके लिये कोई कड़ा कदम उठाइए।

आज का हरिजन अंग्रेजी जमाने में फिर भी अच्छा था क्योंकि उस समय अगर उसको सताया जाता था तो फौरन उसकी सुनवाई होती थी, एस० पी० और थानेदार उसकी सुनवाई कर लेते थे। लेकिन आज हरिजन पीटा जाता है, उनके गांव जला दिये जाते हैं, खेत छीन लिये जाते है, खेती उजाड़ दी जाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उदाहरण में आपके सामने रखता हूं—मेरे यहां के एक गांव में वहां के जालिम जमींदारों ने हरिजनों से कहा था सन् ५० में कि तुम आकर जमीन खोदकर उसको खेती के लायक बनाओ तुमको आधी जमीन देंगे। वह बेचारे स्त्री बच्चे पुरुष सब मिलकर के वहां जंगल में झोपड़ी डालकर रहे और जमीन को खेती के लायक बनाया। मगर बाद में उन्होंने वह जमीन उन हरिजनों को न देने का इरादा किया। इत्तफाक से एक डिप्टी कलेक्टर वहां हरिजन थे, वह वहां दौरे पर गये थे, उनसे उन सबों ने दरख्वास्त की, उन्होंने मुआयना किया और उनका कब्जा इन्दराज कराया। मगर उस पर वहां के लोगों ने उस डिप्टी कलेक्टर को तीन साल में तीन जगह बदलवाया, यह है आपका संरक्षण। साथ ही जब उनका नाम दर्ज हो गया तो वहां के उन जमींदारों ने नाराज होकर उनका गांव फुंकवा दिया, उनकी फसल कटवा दी जिसकी रिपोर्ट हुई, मुकदमा दायर हुआ मगर वहां के कुछ हमारे कांग्रेसी सज्जनों ने थानेदार से मिलकर और वहां के बड़े-बड़े आदमियों से मिलकर उन बेचारे गरीब हरिजनों को थाने में लाकर, थाने के अन्दर उनको बैठाया और जबरदस्ती सुलहनामा करवा दिया। क्योंकि सुलहनामा अगर लागू न होता तो जालिम जमींदार को सजा हो जाती। उसके एवज में उनको सिर्फ ६४ बीघा जमीन दी गयी। इसके बाद चकबन्दी तो होने ही वाली थी। अप्रैल के महीने में ही जमींदार ने उनकी झोपड़ियों को उखाड़ कर फेंक दिया। क्योंकि उस जमींदार के जुल्म के संरक्षण में वहां के कांग्रेसी भाई थे। बतलाइये जब इस तरह जुल्मों का संरक्षण होगा तो किस प्रकार से समाज कल्याण का काम होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने साथियों को धन्यवाद देता हूं और उन लोगों का आभार मानता हूं जिन्होंने इन गरीबों के बारे में अपने विचार प्रकट किये। माननीय मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि यहां जो सुझाव दिये गये हैं उनके अनुसार कड़े कदम उठायें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक सूचना दे दूं। कल सदन की बैठक प्रातः १० बजे से होगी क्योंकि कल १० बजे से ८ बजे तक अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस होगी।

एक सूचना यह भी है कि नियम ५३ के अन्तर्गत अध्यापकों के संबंध में एक प्रश्न स्वीकार किया गया है उस पर ५ तारीख को सायंकाल ५ बजे से ७ बजे तक विचार चलेगा।

डाक्टर सीताराम—

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैंने इस सदन के करीब ३६ माननीय सदस्यों के सुझावों को बड़े ध्यान से और गंभीरतापूर्वक सुना। कट मोशन को पेश करते हुए एक विरोधी दल के माननीय सदस्य ने बहुत सी बातों को कहा। इसमें दो विचार धारायें नहीं हो सकती कि हरिजनों की पिछड़ी हुई जातियों की समस्या उतनी ही पुरानी है जितनी कि जिस पार्टी के वे कटमोशन करने वाले थे, उनकी पार्टी जिस संस्कृति की दुहाई देती हैं। यह बड़े संताप की बात है कि जनसंघ पार्टी ने अपने पार्टी के लीडर को इस बारे में बोलने के लिये खड़ा नहीं किया, जिससे उनकी पार्टी के विचार तो इस संबध में मालूम होते। उन्होंने एक हरिजन को ही खड़ा कर दिया इस वजह से कि हरिजन हरिजन से लड़ जाय। उन्होंने बार-बार मुझसे इस्तीफा देकर लीडर बनने की मांग की। इसका तात्पर्य यही है कि मन्नालाल जी को जनसंघ में कोई ऐसा आदमी ही नहीं मिला कि वह उनकी लीडरशिप कर सके। इसीलिये वे मुझसे बार-बार इस्तीफा देकर उनकी लीडरी करने के लिये कह रहे थे।

कटमोशन मूव करते हुए उन्होंने कहा कि २५ लाख रुपये की बचत हो गयी, सन् ६२–६३ में। सब लोग जानते हैं कि उस वर्ष में एकोनामी मेजर था। देश पर आपत्ति आयी हुई थी, बहुत से काम ठप्प कर दिये गये थे। बात सही है लेकिन उन्होंने कोई नयी चीज नहीं कही। उन्होंने देवरिया जिले के बारे में भी कहा, लेकिन कदाचित् उनको देवरिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहां की आबादी प्रति मील १२७३ है। वहां गरीबी है, परेशानी है, तड़पन है, और आह है। मैं इसको महसूस करता हूं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वहां के हरिजन बड़ी बुरी हालत में हैं, अगर वाकई में आप उनके बड़े हमदर्द थे तो आपको चाहिये था कि आते ही मुझे सूचित करते कि वहां यह यह कमी है। लेकिन आज इस हाउस में छोटी बातों को ले करके इस तरह से छिद्रान्वेषण करने के काम नहीं चलने वाला है। मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हू कि कुछ लोग राजनीति में आकर राजनीति का पेशा करते है। मैंने भी अपनी सारी जिन्दगी देश की सेवा करने में ही बितायी है और मैंने गरीबों की तड़पन और उनकी आह को महसूस किया है। मैंने विदेश में भी समाजवाद को देखा है और मुझे डाक्टर लोहिया जैसे नेता के साथ रहने का मौका मिला है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश में और इस प्रान्त में कांग्रेस पार्टी है जो समाजवाद के नारे दे रही है, अगर उसके रहते हुए देश का कल्याण नहीं हो सकता तो जनसंघ जैसी पार्टी से देश का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता।

इसके बाद माननीय सदस्य श्री मन्नालाल जी के एक बात यह कही कि बख्शी का तालाब कालेज के जो प्रिंसिपल हैं वे हरिजनों को जैसे चमार धोबी, पासी आदि को अपमानित करते हैं। अभी तीन चार दिन हुए, इस तरह की शिकायत मेरे पास आयी है। मैं इस हाउस में आज यह चुनौती देता हूं कि सी० आई० डी० से मैं इस शिकायत की इनक्वायरी कराऊंगा और मैं खुद इस तरह के अपमान को सहन नहीं कर सकता। जांच के बाद अगर शिकायत सत्य साबित हुई तो उस अधिकारी को निकाल दिया जायगा। मैं यह आश्वासन आपको देता हूं लेकिन आप इसको लिख कर दे दें तब मैं इनक्वायरी कराऊंगा।

इसके बाद एक माननीय सदस्य ने शिया कालेज और कानपुर के कुछ कालेजों के बारे में कहा था कि वहां हरिजनों को एडमिशन नहीं दिया जाता है। इस डिपार्टमेन्ट का संबध बहुत से मुहकमों से है और सब महकमों के साथ मिलकर यह काम करता है। जब तक सब का सहयोग न मिले तब तक इस महकमे का काम चलना बहुत मुश्किल है। इसलिये इस डिपार्टमेन्ट के जो सेक्रेटरी हैं वे एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के सेक्रेटरी हैं जिससे हरिजन और पिछड़ी जातियों का काम सुचारु रूप से चल सके।

एक बात माननीय सदस्य ने बार-बार दुहराई कि वे हरिजनों को भीख मांगने से कोई चीज नहीं मिल सकती, उसके लिये मुक्के की ताकत होनी चाहिये। मैं साफ शब्दों में उन्हें कह देना उचित समझता हूं कि जब तक इंसान में अपने में ताकत न हो जाय, केवल कोरे

नारे से काम नहीं चलने का। मान्यवर, हम समझते हैं कि मानव को मानवता के लिये अपने हृदय में स्थान रखना चाहिये। जैसा कि उग्रसेन जी ने कहा कि समाजवाद वह है जिसमें नाना प्रकार की विभीषिकायें हमेशा के लिये भस्मी-भूत हो जायं। लेकिन हम समझते हैं कि आज समाज में ऐसे लोग हैं जिन्होंने साढ़े तीन हजार वर्षों तक समाज का शोषण करके अपनी-गगनचुम्बी अट्टालिकायें खड़ी कर ली हैं और इस देश का उत्थान करने की बात करते हैं। मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि इस तरह की बातें करने से काम नहीं चलने का। अमेरिका जैसे देश का आपको अनुभव होगा, लेकिन आप के आशीर्वाद से मैंने ५ साल तक दुनिया के देशों में भ्रमण किया है। मैं जानता हूं कि आज भी अमरीका में ऐसे नीग्रो हैं कि जो टाटा बिरला को खरीद सकते हैं और जहां पर नीग्रो लोगों की आबादी ९३ प्रतिशत और ह्वाईट मैन की ९६ प्रतिशत है, कुल अन्तर ३ प्रतिशत का है लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं हुई और वह भी गांधीवाद को ही माने, उन्होंने "अहिंसा परमो धर्मः" को ही अपनाया। आज जिनके पास ताकत नहीं है उनकी क्या बात है।

आप जानते हैं कि हरिजनों के पास रहने के लिये स्थान नहीं, उनकी शिक्षा में कोई प्रगति नहीं है, नौकरियों में और पदों में उनके पास स्थान नहीं हैं और अगर वह इस घुड़-दौड़ में दौड़ पड़ेंगे तो जिस तरह से इन्सान प्रतिक्रिया की भावना से प्रतिद्वन्दी हो जाता है और उस भाव में वह अपने गन्तव्य स्थान पर न पहुंच कर भस्मी-भूत हो जाता है। जैसा कि माननीय उग्रसेन जी और ऊदल जी ने कहा कि जो शोषित हैं, जो दरिद्र हैं और निम्न कहे जाने वाले लोग हैं उनकी हाय को दुनियां का या देश का हृदय पटल अधिक दिनों तक नहीं सम्भाल सकेगा, उनकी भावनायें ज्वालामुखी पहाड़ की तरह सारे भू-मंडल में व्याप्त होंगी और जनसंघ जैसी विचाराधारा के लोग उस में हमेशा के लिये भस्मी-भूत हो जायंगे। इस तरह की बातों को कहने से अधिक लाभ न होगा। हम यहां पर आये हैं समाज की सेवा की भावना को लेकर और हम चाहते हैं कि हरिजनों का जो पिछड़ा वर्ग है उनका सुधार हो।

माननीय कमलासिंह जी ने अपने भाषण में कहा था कि पिछड़ी हुई जातियां और हरिजनों के बारे में बताया जाय कि टेक्निकल एजूकेशन और इंजीनियरिंग में इन वर्गों की क्या प्रगति हुई है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ६१-६२ से ६४-६५ तक इन ४ सालों में ३७३ लड़के टेक्निकल में आये और ३४९ जो वजीफे दिये गये, मेडिकल में ३३ हैं जिनको वजीफे मिलते हैं और इंजीनियरिंग में ६१ एडमिट हुए और ५८ को वजीफा मिलता है। बैकवर्ड क्लासेज में भी टेक्निकल में १,६१५ ने एप्लाई किया और ८९७ को वजीफा मिला। मेडिकल में ४६७ अप्लाई किये और २६६ को वजीफे मिले। इसी तरह से इंजीनियरिंग में ५३३ अप्लाई किये और ३८५ को वजीफा मिला। जब मैं अपना बजट प्रस्तुत कर रहा था तो मैंने बताया था कि हरिजनों को ५१-५२ में अब तक दस लाख के करीब में दिया गया है। उसमें पोस्ट मैट्रिक यानी मैट्रिक के बाद इन्टर से एम० ए० तक ६१ से ६५ तक जो वजीफे दिये हैं उसमें ७० हरिजन पाये हैं। इस प्रकार ३ करोड़ ११ लाख ४१ हजार रुपया खर्च हुआ। इसी तरह से बैकवर्ड क्लासेज में ६१ से ६५ तक १२,७७७ छात्र वजीफा पाये हैं और रुपया खर्च हुआ है १२ लाख ९५ हजार।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

यह बतायें मंत्री जी कि दरख्वास्तें कितनी पड़ी थीं ?

डाक्टर सीताराम—

इसकी इत्तिला मुझे नहीं है।

श्री रक्षपालसिंह---

२ साल में जो बैकवर्ड क्लासेज को मिला है, उसमें उनको ५ प्रतिशत से भी कम मिला है ।

डाक्टर सीताराम---

भारत सरकार ने जो वजीफे दिये उनमें ५०२ विद्यार्थियों को मिला । ४०२ में से ११२ पंडित हैं, ब्राह्मण और २८ क्षत्री, २६ कायस्थ, २४ वैश्य और २४ कुर्मी और २३ यादव इसके बाद और जातियां हैं । उसमें मैंने कहा था कि इन्कम के आधार पर वजीफा मिलता है । मैं समझता हूं कि अधिकतर माननीय सदस्यों ने यह मूव किया है कि ब्लाक से रुपया हटा लिया जाय । यह सबकी धारणा मैं हाउस की देख रहा हूं और मैं सहमत हूं हाउस की विचार-धारा से, यहां तक कि मैं माननीय मन्नालाल जी से भी सहमत हूं मगर जब तक कि आचार्य जुगुलकिशोर जी की कमेटी जो बनी है, उनकी रिपोर्ट नहीं प्राप्त हो जाती, जिसको कि हम माननीया मुख्य मंत्री जी के सामने न प्रस्तुत कर सके ----

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

९ महीने उसके तो हो गये ।

डाक्टर सीताराम---

अप्रैल, और मई तक वह आ जायगी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अप्रैल के आखिर तक वे उसे दे दें । मैंने तो खुद प्रार्थना कर दी, मेरी प्रार्थना आप से डिफरेंट नहीं है, बल्कि सहमत हूं । दूसरी बात यह कही गई कि ब्लाकों में जो रुपया है, जिले के स्तर पर कर दिया जाय । जिले की कमेटी इस तरह की है कि जैसे होता है और वह भी मीट नहीं कर पाती, तो इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है, कि इसमें बहुत ड्रैस्टिक चेन्जेज होने वाले हैं । इन शब्दों को कहकर मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट कब आई है ?

डाक्टर सीताराम---

बैकवर्ड क्लास कमीशन १९५२ में बना था, उसकी रिपोर्ट १९५८ में आई ।

श्री सुक्खनलाल---

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट जो है, उस पर भी हम लोगों को विचार करने का मौका मिलेगा ।

डाक्टर सीताराम---

उस पर तो बहस हो चुकी है। जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, जब तक वह १८ प्रतिशत क्लास थ्री और क्लास फोर्थ में पूरा न हो जाय, इस बात का आदेश दिया गया है कि तब तक क्लास थ्री वैकेन्सीज में २५ प्रतिशत और क्लास फोर्थ वैकेन्सीज में ४५ प्रतिशत स्थान हरिजन उम्मीदवारों से पूरा किया जाय । रिक्त स्थानों के भरने में हरिजन उम्मीदवारों का खयाल रखा जायगा । अभी १०-१५ दिन हुए आर्डर हुए हैं । गवर्नमेन्ट ने एक रोस्टर बनाया है । रोस्टर का मतलब है यह है कि पहली वैकेन्सी हरिजन को दी जायगी उसके बाद वाली वैकेन्सी नान-हरिजन को दी जायगी । कुछ नान-हरिजन को जायगी और फिर उसके बाद हरिजन का नम्बर आएगा । इस तरह से निश्चित रूप से रोस्टर के अनुसार हरिजनों का संरक्षण पूरा किया जायगा । किसी माननीय सदस्य ने सदन में यह

सूचित किया था कि डिप्टी सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरियट लेविल पर रखे गये थे, लेकिन उनको हटा दिया गया, जिससे काम में काफी दिक्कत आ रही है। इस संबंध में मुझे यह सूचित करना है कि वह स्थान डिप्टी सेक्रेटरी का रिक्त नहीं है, वह कार्य अब निदेशक, हरिजन समाज कल्याण कर रहे हैं और सरकारी नौकरियों में हरिजनों के संरक्षण की विशेष देखभाल हो रही है और वह अपने काम को कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि इस संबंध में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। आदिवासियों के बारे में माननीय प्यारेलाल जी ने कहा कि १८ जातियां उनकी हैं। तो १४ के बारे में प्रदेश की सरकार की सिफारिशें केन्द्रीय सरकार को भेज दी गयी थीं और ४ के बारे में बाद को भेजी गयी है। हमें विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार जल्दी इस बारे में अपना निर्णय देगी। प्रदेश की सरकार की ओर से दो बार लिखा भी गया है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य...

श्री कमलासिंह यादव——

जरा मंत्री जी यह बता दें कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट का एनफोर्समेंट किस तरीके से करायेंगे ?

डाक्टर सीताराम——

मैं माननीय मन्नालाल जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना कट मोशन वापस ले लें।

श्री कमलासिंह यादव——

श्रीमन्, मैंने मंत्री जी से अभी पूछा है कि बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट का एनफोर्समेंन्ट किस तरीके से करा रहे हैं जरा बता दें। इसी के बेसिस पर सब कुछ है।

श्री उपाध्यक्ष——

एनफोर्स करने की बात बताने में इस समय टाइम लगेगा। प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या '२८——अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां' के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या '२८——अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां' के अन्तर्गत ३,५६,१०,६०० रुपये की मांग सन् १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या '२९——समाज कल्याण' के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या '२९—समाज कल्याण' के अन्तर्गत ५७,१६,८०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के १० बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
३ मार्च, १९६५।

संसदीय प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२७ पर)

श्री हरीशकुमार गंगवार, एम० एल० ए० के पत्र दिनांक २ अक्तूबर, १९६४ की सत्य प्रतिलिपि ।

महोदय,

निवेदन है कि मैं दिनांक १ अक्तूबर, १९६४ को दोपहर १ बजे के लगभग इण्डियन मेडिसन बोर्ड के मोती महल स्थित कार्यालय में गया था। मुझसे दो व्यक्तियों ने शिकायत की थी कि उन्हें नवम्बर, १९६३ में रुपया भेजने के बाद भी फार्म नहीं मिले थे और अब तक बराबर वे रजिस्टर्ड-पत्र लिखते रहे परन्तु उनको उत्तर तक नहीं दिए गए और मुझे उन व्यक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी थी।

जब मैं पहुंचा तो रजिस्ट्रार महोदय अपनी कुर्सी पर नहीं थे, मैं वहीं पड़ी कुर्सियों पर बैठ गया, जब वे आये तो उन्होंने अपना कार्य करना प्रारम्भ कर दिया और कुछ देर बाद मुझसे पूछा कहिए क्या बात है ? मैंने कहा कि इन दो व्यक्तियों का जिनकी मनीआर्डर रसीदें मेरे पास हैं, अब तक फार्म नहीं मिले यद्यपि इनका रुपया आपने नवम्बर, ६३ में प्राप्त कर लिया है कृपया देख लें कि आपके यहां से फार्म चले गये अथवा नहीं ? उन्होंने बिना मेरी ओर देखे उच्च स्वर से कहा कि यह देखने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है जब आप आज आ सकते हैं तो जून में भी आ सकते थे। अब किसी को फार्म नहीं दिया जायेगा।

मैं चुपचाप बैठा रहा और थोड़ी देर बाद पूछा कि आपने प्राविजनल रजिस्ट्रेशन के रूप में कुछ रंगीन कार्ड भेजे थे क्या वे सभी आवेदकों को भेजे थे ? उन्होंने उसी प्रकार कहा कि सबको नहीं भेजे ३० जून ६४ के बाद तो बिलकुल नहीं भेजे। मैंने कहा कि शर्मा जी आज कल यहां हैं या नहीं ? इतना पूछने पर उन्होंने मेरी ओर देखा और नम्र स्वर में कहने लगे कि वे बाहर गये हैं और तत्पश्चात् हेडक्लर्क को आवाज दी और यह कहते हुए बुलाया तुम्हें कुछ काम नहीं इनका काम कर दो।

हेडक्लर्क साहब आये और मुझे अपने साथ ले गये और कहा कि क्या बात है ? मैंने वही बात कही कि इन दो व्यक्तियों के आपके द्वारा प्राप्त लिखित दो मनीआर्डर कूपन मेरे पास हैं। आपने १२-११-६३ को उनसे रुपया प्राप्त किया है परन्तु इन्हें फार्म आज तक नहीं भेजा। कृपया देख कर बता दीजिये कि इन्हें फार्म भेजा गया कि नहीं। इस पर इन्होंने मुझसे दोनों के नाम, एक कागज पर, तथा मनीआर्डर प्राप्त की तिथि लिखने को कहा। मैंने लिख कर उन्हें दिया। उन्होंने तुरन्त मेज पर दबा कर रख दिया और कहा कि आप जाइये जो कुछ होगा लिख कर भेज दिया जायगा।

मैं चुपचाप बैठ गया उन्होंने मुझे बैठते देख कर कहा कि और क्या बात है ? मैंने कहा कि यह तो देखिए कोई कितनी दूर से आया है बीसियों बार आपको रजिस्ट्री भेजी है उनका आपने उत्तर नहीं दिया तो अब मैं कैसे समझूं कि इसका भी उत्तर मिल जायेगा। उन्होंने गर्म होकर कहा कि सब काम ऐसे ही होता है। हमें जवाब देने की फुरसत नहीं है मैंने उनसे लिखा कागज ले लिया और कहा कि आपके रजिस्ट्रार साहब भी हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते और आप भी गर्म होकर कहते हैं। अब मेरा जाना ही ठीक है। इस पर एक कार्यालय के व्यक्ति ने उन्हें बताया कि यह एम० एल० ए० हैं। इस पर हेडक्लर्क आग बबूला हो गये और कहने लगे एम० एल० ए० हो या एम० एल० सी० हमें पर्वाह नहीं है हमारे अफसर को गाली देते हैं हमारे यहां ३६० एम० एल० ए० आते हैं, मिनिस्टर भी आते हैं और न जाने क्या-क्या सुनाने लगे इतने में एक कर्मचारी ने कागज लेकर कहा अन्दर चलिए मैं आपको सब बता दूंगा मैं अन्दर चला गया तो हेड क्लर्क जोर-जोर से कहने लगे हम किसी के गुलाम नहीं ऐसे जाने कितने चले आते हैं। मैंने

उठ कर उस कर्मचारी से कहा अब रहने दो। मैं इस तरह से अपमानित होकर कोई दफ्तर से काम नहीं कराना चाहता और बाहर आकर हेडक्लर्क महोदय से कहा भाई, हम सभी इस विधान सभा के गुलाम हैं किसी व्यक्ति के नहीं हैं । इस पर तो हेडक्लर्क कुर्सी पर से उठ कर खड़े हो गये मुझसे सब क्लर्कों के सामने कहा, विधान सभा की ऐसी की तैसी। मैं चुपचाप निकल कर चला आया क्योंकि और कुछ कहने से बात बढ़ जाती शायद मुझे मारने लगते क्योंकि गुस्से से वे लाल हो रहे थे।

इस प्रकार का व्यवहार यदि विधान सभा के सदस्यों के साथ उनको पहचानने के बाद भी होता है तो यह मेरे क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य है जो उसने मुझे चुन कर इस पद पर पहुंचाया है यदि विधायकों और विधान सभा का अपमान करने का साहस एक सरकारी नौकर कर सकता है तो मेरे विचार से यह एक गम्भीर परिस्थिति है इसके ऊपर हमें विचार करना होगा । साथ ही यह भी देखने की बात है कि यदि विधायकों के साथ यह दुर्व्यवहार होता है तो साधारण जनता के साथ यह लोग न जाने क्या करते होंगे।

कृपया इस पत्र पर उचित कार्यवाही करके मुझे जानकारी दें अन्यथा इस प्रकार अपमानित होकर बैठे रहने के सिवाय और चारा ही क्या है? परन्तु इससे इस प्रकार के कर्मचारियों को अपमान करने की प्रेरणा अवश्य मिलेगी।

उत्तर की प्रतीक्षा में,

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२९ पर)

डा० देवनारायण शर्मा की स्वास्थ्य सेवा निदेशक के पद पर नियुक्ति के समय स्थायी सिविल सर्जनों की सूची ।

नाम		योग्यता
१—डा० चन्द्र शेखर दत्त मिश्र	..	एम० बी० बी० एस० ।
२—डा० मोहिबुल्ला खां	..	एम० बी० बी० एस०, डी० टी० एम० (लिवरपूल), डी० ओ० (ऑक्सन), डी० ओ० एम० एस० (इंगलैण्ड), एफ० आर० एस० टी० एम० एच० (लन्दन), एम० एस० ओ० (इंगलैण्ड) ।
३—डा० सरोज कुमार विश्वास	..	एम० बी० बी० एस० ।
४—डा० के० के० राय चौधरी	..	एम० बी० बी० एस० ।
५—डा० शारदा प्रसाद श्रीवास्तव	..	एम० बी० बी० एस०, एम० एस०, एफ० आर० सी० एस० ।
६—डा० प्रेमनाथ वाही	..	एम० बी० बी० एस०, एम० डी०, एम० आर० सी० पी० (लन्दन) ।
७—डा० तेज राज स्वरूप	..	एम० बी० बी० एस०, एम० आर० सी० पी० (लन्दन), एम० आर० सी० एस० (इंगलैण्ड) ।
८—डा० प्रताप बहादुर	..	एम० बी० बी० एस० ।
९—डा० ए० एन० मलिक	..	एम० बी० बी० एस० ।
१०—डा० जे० एन० जायसवाल	..	एम० बी० बी० एस०, डी० ओ० एम०एस० (लन्दन) ।
११ डा० मु० अबूनिसार मोइजुद्दीन	..	बी० एस-सी०, एम० बी० बी० एस०, एल० आर० सी० पी० (लन्दन), एम० आर० सी० एस० (इंगलैन्ड) ।
१२—डा० हरिकृष्ण रस्तोगी	..	एम० बी० बी० एस०, एल० आर०सी०पी०, एम० आर० सी० एस० (इंगलैण्ड), एम० आर० सी० पी० (लन्दन), टी० डी० डी० (वेल्स) ।
१३—डा० बी० बी० लाल गुप्त	..	एम० बी० बी० एस०, डी० टी० एम० ।
१४—डा० राजेन्द्र वीर सिंह	..	एम० बी० बी० एस०, एम० एस०, डी० टी० एम०, एफ० आर० सी० एस० ।
१५—डा० श्याम कृष्ण मुकर्जी	..	एम० बी० बी० एस० ।
१६—डा० पी० आर० सूरी	..	एम० बी० बी० एस०, एम० डी० ।
१७—डा० अनीश अहमद	..	एम० बी० बी० एस० ।
१८—डा० प्रेमचन्द्र गुप्त	..	एम० बी० बी० एस०, एम० आर०सी० पी० ।
१९—डा० गोपाल कृष्ण	..	एम० बी० बी० एस०, एफ० आर०सी०एस० ।
२०—डा० कर्तार सिंह	..	एम० बी० बी० एस० ।
२१—डा० देव नारायण शर्मा	..	एम० बी० बी० एस०, एम० डी० ।

नाम		योग्यता
२२—डा० गिरीश कुमार त्यागी	..	एम० बी० बी० एस०, एम० डी० (पैथालोजी), एम० डी० (मेडिसिन)।
२३—डा० निर्मल चन्द्र बनर्जी	..	एम० बी० बी० एस०, एम० डी० (पैथालोजी)।
२४—डा० राधामोहन	..	एम० बी० बी० एस०।
२५—डा० शिवशंकर मिश्र (२)	..	एम० बी० बी० एस०, एम० एस० (ओप्थालमालोजी)।
२६—डा० कृष्ण शरण माथुर	..	एम० बी० बी० एस०, एम० आर० सी० पी० (एडिनबर्ग)।
२७—डा० शिवशंकर मिश्र (१)	..	एम० बी० बी० एस०, एम० एस०
२८—डा० डी० पी० शर्मा	..	एम० बी० बी० एस०, एम० डी०।
२९—डा० ए० एच० खां	..	एम० बी० बी० एस०, एल० आर० सी० पी०, एम० आर० सी० एस० (इंगलैण्ड), डी० ओ० एम० एस०, एम० डी० (वियेना)।
३०—डा० पी० सी० टंडन	..	एम० बी० बी० एस०।
३१—डा० बाबू लाल अग्रवाल	..	एम० बी० बी० एस०।
३२—डा० ए० एम० हकीम	..	एम० बी० बी० एस०।
३३—डा० ए० यू० खां	..	एम० बी० बी० एस०, एम० एस० (सर्जरी), एम० एस० (एनाटमी), एफ० बी०ए०एस० (वियेना)।
३४—डा० गंगा प्रसाद श्रीवास्तव	..	एम० बी० बी० एस०, एफ० आर० सी० एस० (एडिनवरा)।
३५—डा० एच० पी० बनर्जी	..	एम० बी० बी० एस०, डी० टी० एम०
३६—डा० आर० एन० मित्रा	..	एम० बी० बी० एस०।
३७—डा० एच० एम० कर	..	एम० बी० बी० एस०।
३८—डा० बी० एन० चटर्जी	..	एम० बी० बी० एस०, डी० टी० एम०।
३९—डा० डी० एम० कर	..	एम० बी० बी० एस०
४०—डा० एस० पी० जैन	..	एम० बी० बी० एस०, एम० डी०, एफ० आर० सी० एस०।
४१—डा० कन्हैया लाल	..	एम० बी० बी० एस०।
४२—डा० जितेन्द्र कृष्ण द्विवेदी	..	एम० बी० बी० एस०, एम० एस०।
४३—डा० आर० सी० पांडे	..	एम० बी० बी० एस०, एम० एस०।
४४—डा० एम० पी० माथुर	..	एम० बी० बी० एस०, डी० एम० आर० ई०।
४५—डा० डी० एन० भार्गव	..	एम० बी० बी० एस०, एम० डी०।
४६—डा० एम० पी० चतुर्वेदी	..	एम० बी० बी० एस०, एम० एस०।
४७—डा० ओ० पी० जैन	..	एम० बी० बी० एस०, डी० ओ० एम० एस० (बम्बई)।
४८—डा० ओ०पी० मित्तल	..	एम० बी० बी० एस०, डी० टी० टी०।
४९—डा० एस० मित्रा	..	एम० बी० बी० एस०, एम० डी०।
५०—डा० एम० सी० शर्मा	..	एम०बी० बी० एस०, एम० एस०।
५१—डा० नवल किशोर	..	एम० बी० बी० एस०, एम० एस०।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३२ पर)

सन् १९६४ में ब्लाक जीपों द्वारा तय की गई दूरी का महीनों के अनुसार विवरण

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम		जनवरी १९६४	फरवरी १९६४	मार्च १९६४	अप्रैल १९६४	मई १९६४	जून १९६४	जुलाई १९६४	अगस्त १९६४	सितम्बर १९६४	अक्तूबर १९६४	नवम्बर १९६४	दिसम्बर १९६४
१	मथुरा	..	४७३	४५०	३४७	३४६	१,१८४	४४९	४४९	५८०	६२१	५५	९२२	४९४
			के० एम०	के० एम०										
२	फरह	..	७१९	१,१४४	८१९	१,०६६	७०४	८१६	१,३८२	७६–८	७४६	१,२४५	१,३७०	१,९१३
३	राया	..	८०	..	४८०	१७१	१,०४२	५६३	६८८	१,४७५	८२१	१,३००	१,३४५	९३६
४	मांट	..	८१४	१,१०२	१,७०७	७४२	१,३९२	१,५५५	१,६६८	८६२	६४६	१,३१८	१,३०४	१,७०४
५	नौझील	..	४३६	२६८	२७३	३५६	३६६	३४४	२५६	११५	२४०	३२२	१०८	३१९
६	बल्देव	..	१,२३८	१,०८०	१,००२	९५२	१,४१५	१,५०९	१,१०४	१,०५८	७००	१,५५४	७१०	५७९
७	सादाबाद	..	२७१	१८०	४२	..	..	..	..	..	..	..	..	..
८	चौमा	..	७४९	३२७	१,०९१	४५०	४५०	४३५	९४	२८९	१९९	२८४	३११	३८८
९	नन्दगांव	..	६६६	४५०	४४९	३६०	६५२	९५८	१५९	१११	३९०	४५०	१,३६९	५६३

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २३७ एल० ए०—१९६५—८६२।

अनुवाद विधान सभा